लोक-सभा वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ६१, १९६२/१८८३-८४ (शक)

[१२ से २६ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र १८८४ (शक)]

2nd Lok Sabha

सोलहवां सत्र, १९६२/१८८३-८४ (शक)

(खण्ड ६१ में अंक १ से १० तक हैं)

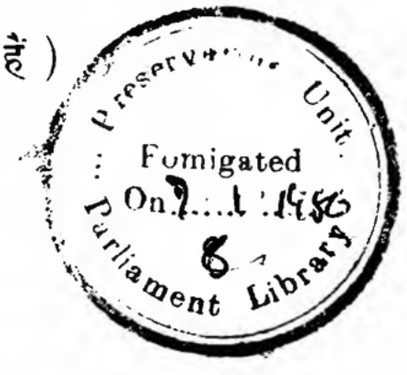

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

द्वितीय माला

विषय–सूची

[द्वितीय माला खंड ६१—अंक १ से १०—१२ से २६ मार्च १९६२/
२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र, १८८४ (शक)]

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १२ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ (शक)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया १—८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८–९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९—१४

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र १४

विधेयक पुरस्थापित—

(१) संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक . १४–१५

(२) गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक . . १५

(३) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक १५

अध्यादेशों के बारे में विवरण . . १५

दैनिक संक्षेपिका १६—२१

अंक २—मंगलवार, १३ मार्च, १९६२/२२ फाल्गुन, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १ से १५ तक . २३—४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६ से १८ ४९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १६ ५१—५९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ५९

गोआ की कार्यवाही में हताहत व्यक्तियों संबंधी प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६०—६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ ६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ ६२

विषय-सूची पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

एक सौ उन्नचासवां प्रतिवेदन ६२

रेलवे आय-व्ययक, १९६२–६३—उपस्थापित . . . ६३—६६

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ६७—७९

खंड २ से २३ और १

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९

गोदी कर्मचारी (रोज़गार का विनियमन) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ७९—८७

खंड २ से ७ और १ . . . . ८६–८७

संशोधन रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८७

भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव । . ८७—९२

खंड २ से ६ और १ . . . ९१–९२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ९२

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन ९२

दैनिक संक्षेपिका . . . ९३—९६

अंक ३—बुधवार, १४ मार्च, १९६२/२३ फाल्गुन, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १९ से २९ और ३१ से ३४ . ९७—११८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३० और ३५ . . . ११८–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७, १९ से ३८ और ४० से ५४ . ११९—३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . . १३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४–३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन . १३५

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र . . १३६

हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में हड़ताल के बारे में वक्तव्य . . १३६

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति

अड़सठवां प्रतिवेदन . . १३६–३७

संसिधान (बारहवां) संशोधन विधेयक . . . १३७–४७

विचार करने का प्रस्ताव . . . १३७–४७

खंड २, ३ और १ १४५–४६

पारित करने का प्रस्ताव १४६

गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक १४७–५६

विचार करने का प्रस्ताव . १५६

खंड २ से ११ और १ . . १५६

पारित करने का प्रस्ताव

सामान्य आय-व्ययक, १९६२–६३ —उपस्थापन १६०–६८

वित्त विधेयक, १९६२—पुरस्थापित . १६८

दैनिक संक्षेपिका १६६–७३

अंक ४—गुरुवार, १५ मार्च, १९६२/२४ फाल्गुन, १८८३ (शक) —

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ४३, ४६, ४७, ४९ से ५२ और ५५ से ५८ . . . . . १७५–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४, ४५, ४८, ५३, ५४, ५९ और ६० १९७–२००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ८६ २००–१३

पटल पर रखे गये पत्र २१३–१६

विधेयकों पर राय २१६

प्राक्कलन समिति—

एक सौ बावनवां प्रतिवेदन . २१६

विधेयक पुरस्थापित—

(१) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक . २१६–१७

(२) सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक २१७

(३) अतिरिक्त उत्तपादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . २१७

दैनिक संक्षेपिका . २५६–६१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव २१८–५५

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १६ मार्च, १९६२/२५ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६७ से ७२, ७४, ७६, ७७, ७९, ८१, ८२, ६१, ६५, ६४ और ७३ . . . . २६३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६६, ७५, ७८ और ८० . २८६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७ से १२१ . . . २८८–३०२

दिनांक १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में शुद्धि ३०२—३०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल के विदेश मंत्री का वक्तव्य जिसमें भारत से होने वाली नेपाल सरकार विरोधी कार्यवाहियों का आरोप है। ३०३–०४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०४—०६

लोक लेखा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . . ३०७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पचासवां प्रतिवेदन . . . ३०७

सदचेयों द्वारा त्यागपत्र . . ३०७

सभा का कार्य . . . ३०७–०८

राष्ट्रपति के अभिभाषश पर प्रस्ताव . . . ३०८—२९

अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया . ३२९—३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन ३३२

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प . . ३३२—५०

कार्य मंत्रणा समिति—

उनहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३५०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५१—५७

अंक ६—सोमवार, १९ मार्च, १९६२/२८ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६, ८८ से ९२, ९४, ९५, ९७ से ९९, १०१ और १०२ . . . . . ३५९—८१

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ और २ ३८१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ८५, ८७, ९३, ९६ और १०० . . ३८६—८८

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १२२ से १४८ .	३८८—४००
स्थगन प्रस्ताव—	
रेलवे दुर्घटनायें . . .	४०१–०२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४०२–०३
विधेयकों पर राय . . .	३०३
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्तावनवां प्रतिवेदन . . .	४०३
लोक लेखा समिति—	
इकतालीसवां प्रतिवेदन	४०४
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र . .	४०४
कार्य मंत्रणा समिति—	
उनहत्तरवां प्रतिवेदन . .	४०४
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	४०४–१२, ४२७–३७
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	४१२—२६
विनियोग विधेयक १९६२—पुरस्थापित और पारित .	४२६–२७
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक .	४३८—४१
विचार करने का प्रस्ताव . .	४३८–३९
खंड २ से ६ और १	४३९
पारित करने का प्रस्ताव	४३९—४१
सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४४१–४२
पारित करने का प्रस्ताव	४४२
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक .	४४२—४५
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४४२
दनिक संक्षेपिका	४४३—४७

अंक ७—मंगलवार, २० मार्च, १९६२/२९ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०, १११, ११३ से ११७, ११९, १२१, १२३ और १२५ से १२७ . .	४४९—७०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १०६, १०८, १०९, ११२, ११८, १२०, १२२, १२४, १२८ और १२९	४७०—७५
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १६९, १७१ से १९३, १९५ और १९६	४७५—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४९५—९९
प्राक्कलन समिति--	
एक सौ चौवनवां प्रतिवेदन . .	४९९
तेल कम्पनियों से हुए करारों के बारे में वक्तव्य . . .	४९९—५००
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक .	५०१—०३
विचार करने का प्रस्ताव . .	५०१–०२
खंड २ से ४ और १ . .	५०३
पारित करने का प्रस्ताव . .	५०३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . .	५०३—१३
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६२--पुरस्थापित और पारित .	५१३—१४
सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा .	५१४—३४
दैनिक संक्षेपिका .	५३५—४१
अंक ८--शुक्रवार, २३ मार्च, १९६२/२ चैत्र, १८८४ (शक)--	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३१, १३३ से १३५, १३९ से १४१, १४४, १४५, १४७, १४८ और १५०	५४३—६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२, १३६ से १३८, १४२, १४३, १४६, १४९ और १५१ से १५७	५६४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २१८, २२० से २२७ और २२९ से २४०	५७०—८७
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर कछार पहाड़ियों की कथित दुर्घटना तथा पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय का कथित अपहरण . . .	५८७–८८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कच्चे पटसन का मूल्य	५८८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५८८–८९
राज्य सभा से सन्देश	५९०

विषय	पृष्ठ
हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	५९०
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ छप्पनवां प्रतिवेदन . .	५९०
ब्लिट्ज के सम्वाददाता श्री ए० राघवन द्वारा क्षमा याचना	५९०
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र .	५९१
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा .	५९१—६०६
संविधान (संशोधन) विधेयक—(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) .	
[(१) श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् और (२) श्री नरसिंहन् का] वापिस लिया गया	६०६
प्रवर समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव	६०६—१४
दैनिक संक्षेपिका	६१५—२०
अंक ९—शनिवार, २४ मार्च, १९६२/३ चैत्र, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९, १६०, १६२, १६४, १६५, १६९, १७१, १७३, १७५, १७७ से १७९, १८२, १८५ से १८७ और १८०	६२१—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५८, १६१, १६३, १६६ से १६८, १७०, १७२, १७४, १७६, १८१, १८३ और १८४ . .	६४५—५१
अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २५२ और २५४ से २८५ . .	६५१—७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
तार घरों में 'धन प्रोत्साहन योजना' का जारी किया जाना .	६७०—७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६७२—७३
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ पचपनवां, एक सौ अट्ठावनवां और एक सौ उनसठवां प्रतिवेदन	
सभा का कार्य . . .	६७३—६७४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा .	६७४—७१७
राष्ट्रपति का सन्देश . . .	७११
लेखानुदान की मांगें, १९६२—६३ . . .	७१७—२२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरस्थापित और पारित .	७२२—२३
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७२३—२४
दैनिक संक्षपिका	७२५—३०

अंक १०--सोमवार, २६ मार्च, १९६२/५ चैत्र, १८८४ (शक)--

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८८, १८९, १९६ से १९९, २१३, २००, २१२, २१४, २२०, २२१, २११, २०५ और २१९ . ७३१--५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर .

तारांकित प्रश्न संख्या १९० से १९५, २०१ से २०४, २०६ से २१० और २१५ से २१८ . ७५१--५८

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६ से ३३५ . ७५८--८२

स्थगन प्रस्ताव--

१. कछार पहाड़ियों पर दुर्घटना . . . ७८२-८३

२. पाकिस्तान में कर्णफुली बांध और भारतीय राज्य क्षेत्र में उसका प्रभाव . . . ७८३-८४

३. इटली की फर्म के साथ तेल करार . ७८४-८५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७८५--८८

प्राक्कलन समिति--

एक सौ साठवां, एक सौ इकसठवां और एकसौ बासठवां प्रतिवेदन-- ७८८

वित्त विधेयक, १९६२--

विचार करने का प्रस्ताव . ७८८--९५

खंड २ से ४ और १ ७९५

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९५

टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ७९५--९७

खंड २, ३ और १ . . ७९६-९७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७९७

रेलवे बजट--सामान्य चर्चा . ७९७--८०५

दैनिक संक्षेपिका ८०६--१२

नोट:--मौखिक उत्तर वाले किसी प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, २० मार्च, १९६२

२९ फाल्गुन, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राजस्थान उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच

†*१०७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच स्थापित करने का प्रश्न पुनः उठाया गया है और वह सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) जब इस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद अन्तिम फैसला किया जा चुका था और सभा में स्पष्ट आश्वासन दिया जा चुका था, तो फिर इस पर पुनर्विचार की क्यों आवश्यकता पड़ी; और

(ग) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस प्रश्न को पुनः उठाने से सरकार, बार (वैधिकवर्ग) और जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) सरकार को राजस्थान के कतिपय बार संगठनों और स्थानीय निकायों से राजस्थान की जयपुर बेंच को पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। किन्तु सरकार फिलहाल इस मामले पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की काम की दशा

†

*११०. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री ५ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कार्य की दशा के सम्बन्ध में नियुक्त अन्तः विभागीय जांच समिति की रिपोर्ट क्या इस बीच प्राप्त हो गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट को एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) उसकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). यह समिति विभागीय स्तर की थी। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से विचाराधीन हैं। इस रिपोर्ट का वर्तमान स्थिति में सभा पटल पर रखने का विचार नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्री दातार :** ये सिफारिशें कर्मचारी, मशीनरी, लाभार्थ निधि, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन की गतिविधियां, काम की दशा आदि कई विषयों के बारे में हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इस बात के कारण कि प्रतिवेदन मनोरंजन और कल्याण की गतिविधियों के बारे में है उसे गोपनीय समझा जा रहा है और सभा पटल पर नहीं रखा जा रहा है।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** प्रतिवेदन काफी व्यापक है। मैंने सिफारिशें देखी हैं और मेरी राय में वे कर्मचारियों के लिये उपयोगी सिद्ध होंगी। इस सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्रालयों से परामर्श करना होगा और मेरा ख्याल था कि पहले हम कोई निर्णय कर लें और बाद में आवश्यक हो तो उसे सभा पटल पर रख दें।

†**श्री त० ब० बट्ठल राव :** सरकार को इस समिति की सिफारिशों पर निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें तीन महीने से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिये। हम मन्त्रालयों से परामर्श कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि यह तीन महीने से पहले ही हो जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या ये सिफारिशें दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह तो मैं ठीक से नहीं जानता। हो सकता है कि यह समिति मुख्यतः दिल्ली के लिये ही हो। लेकिन सिफारिशों को अन्य कर्मचारियों को लागू करना मुश्किल न होगा। मैं इस के बारे में पूछताछ करूंगा। जहां तक सम्भव हो, ये सिफारिशें दिल्ली के बाहर काम करने वाले कर्मचारियों को भी लागू की जानी चाहियें।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या सिफारिशें लागू करने के फलस्वरूप सरकार को कुछ आर्थिक दायित्व वहन करना पड़ेगा और यदि हां, तो क्या उसका कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मेरा ख्याल है कि सरकार को कुछ आर्थिक दायित्व वहन करना पड़ेगा और जब सिफारिशों के कार्यान्वय के प्रश्न पर विचार किया जायेगा तो इस पर भी विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधायें

+

†*१११. **श्री स० चै० सामन्त :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधा योजना का लाभ अब तक किन राज्यों ने उठाया है ;

(ख) प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वर्ष अब तक केन्द्रीय सरकार ने कितना धन दिया है; और

(ग) अब तक कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों को लाभ हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८]**

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह योजना संघ राज्य-क्षेत्रों में भी जारी है और यदि हां, तो अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह योजना संघ राज्य-क्षेत्रों में भी लागू है। खर्च किये गये धन के आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** विवरण में बताया गया है कि असम और जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर शेष सभी राज्यों ने योजना से लाभ उठाया है। किन्तु १९६१–६२ में कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है। क्या इसका अर्थ यह है कि सभी राज्य योजना से लाभान्वित हुए हैं और यदि हां, तो बराबर का अनुदान आम तौर पर कब दिया जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** असम और जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्य इस योजना में शामिल हो गये हैं। असम का मामला अभी विचाराधीन है जम्मू और काश्मीर राज्य ने भी लिखा है कि वह योजना को अन्तिम रूप दे रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले दो-तीन महीनों में सभी राज्य योजना में शामिल हो जायेंगे।

श्री भक्त दर्शन : राजनीतिक पीड़ितों की ओर से यह आम शिकायत मिल रही है कि उनके आवेदन पत्रों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाएगा कि जितने भी इस तरह के मामले हों उनमें उनको सारी सुविधाएं देने का प्रयत्न किया जाए ?

डा० का० ला० श्रीमाली: राज्य सरकारों को लिख दिया गया है। सारी योजना उनको भेज दी गयी है, और अगर कोई शिकायत किसी राजनीतिक पीड़ित को हो तो वह राज्य सरकारों को लिखे या मुझे लिखें तो मैं फिर उनको लिख सकता हूं। कोई भी शिकायत हो तो जरूर उसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण से पता चलता है कि १९५९–६० में यह योजना केवल चार राज्यों में लागू थी; १९६०–६१ में केवल छः राज्य योजना से लाभान्वित हुए। क्या कारण है कि सभी राज्य योजना से लाभ नहीं उठा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** राज्य सरकारों ने योजना को अन्तिम रूप देने में समय लगाया है । यह सच है कि १९५९–६० में केवल चार और १९६०–६१ में छः राज्य योजना से लाभ उठा रहे थे । १९६१–६२ में असम तथा जम्मू और काश्मीर इन राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्य योजना में शामिल हो जायेंगे और मुझे आशा है जम्मू और काश्मीर तथा असम भी निकट भविष्य में योजना कार्यान्वित कर देंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह : सन् १९६१ में कोई एमाउंट सेंक्शन नहीं हुआ था । मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् १९६२–६३ में भी कोई एमाउंट सेंक्शन हुआ है या नहीं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : वह तो बजट के ऊपर है । बजट जब मंजूर हो जायेगा तो कुछ कहा जा सकेगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : अगर सहायता देनी है तो जब तक कोई रकम स्वीकार नहीं करेंगे तो सहायता कैसे दी जायेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जब बजट पास हो जायगा तभी रकम के बारे में कहा जा सकता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : सन् १९६१–६२ में आप ने कोई रुपया नहीं दिया । सन् ६२–६३ में शायद आप रुपया देंगे या नहीं और पता नहीं कि आप के बजट में आयेगा भी या नहीं । मैं जानना चाहता हूं कि जब आप रुपया ही नहीं देंगे तो ऐसी स्कीम से फायदा क्या होगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : ऐसी बात तो नहीं है । रुपया दिया जायेगा ।

†**श्री वासूदेवन नायर :** कितने लोगों ने सहायता मांगी, कितनों को दी गयी और कितनों को नहीं दी गयी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** ये आंकड़े राज्य सरकारों के पास हैं क्योंकि आवेदन राज्य सरकारों की मार्फत आते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या ये अनुदान बराबर के नहीं हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** अनुदान बराबर के हैं । वे ५० प्रतिशत खर्च का उपबन्ध करते हैं । राज्य सरकारें योजना को लागू करती हैं इसलिये कितने आवेदन प्राप्त हुए आदि जानकारी हमारे पास नहीं होती । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं ये आंकड़े राज्य सरकार से प्राप्त कर सकता हूं । ये आंकड़े अभी मेरे पास तो नहीं हैं ।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति

†***११३. श्री तंगामणि :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए १९६१–६२ का केन्द्रीय अनुदान सब राज्यों को पूरा पूरा दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका वितरण किस प्रकार किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि मद्रास जैसे राज्य में धन की कमी के कारण उपयुक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो ऐसे अभ्यर्थियों की सहायता के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क), (ख), (ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति देने के लिये उपलब्ध राशि राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में दी जा चुकी है । १९६१–६२ के लिये पूरी राशि के अनुदान जून, १९६१ में राज्य सरकारों को दे दिये गये हैं ।

(ग) और (घ). अनुसूचित जातियों के जितने विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाने के लिये योग्य हों उन्हें अपनी वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है और इसमें योग्यता का कोई प्रश्न नहीं होता । अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है । चूंकि इस श्रेणी के विद्यार्थियों के लिये सीमित राशि उपलब्ध होने के कारण केवल योग्य छात्र चुने जाते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है । अन्य पिछड़े वर्गों को सम्बन्धित राज्य सरकारों का दायित्व घोषित किया जा चुका है । इसलिये इन विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध राशि नहीं बढ़ाई जायेगी ।

†**श्री तंगामणि:** १९६१–६२ के लिये कितना धन मंजूर किया गया है और मद्रास राज्य को कितना दिया जा चुका है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मद्रास राज्य के लिये २३,६७,४०० रुपया मंजूर किया गया था । क्या माननीय सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये दी गई राशि का ब्यौरा चाहते हैं ?

†**श्री तंगामणि :** मैं जानना काहता हूं कि सभी राज्यों को कुल कितना धन दिया गया ?

डा० का० ला० श्रीमाली : शिक्षा मंत्रालय ने कुल २,२२,६३,००० रुपया दिया था ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण में बताया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिये जो चुनाव किया जाता है वह योग्यता के आधार पर किया जाता है । क्या सरकार के ध्यान में ऐसे कोई उदाहरण लाये गये हैं जब कि विद्यार्थियों को आवश्यक अंक प्राप्त करने के बावजूद धन न होने के कारण छात्रवृत्ति नहीं दी गयी ?

†**डा० का० ला० श्रीमयली :** माननीय सदस्य जानते ही हैं कि अब इस योजना का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार नहीं वरन् राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । वे आवेदन प्राप्त करती हैं और निर्णय करती हैं । यदि कोई शिकायतें हों तो उनकी ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया जाना चाहिये । यदि माननीय सदस्य किसी शिकायत की ओर मेरा ध्यान दिलायें तो मैं राज्य सरकारों से पूछताछ करूंगा ।

†**श्री हेम बरूगा :** इस बात को देखते हुए और मेरा अनुभव भी रहा है कि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने में

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़ी कठिनाई होती है और चूंकि योजना राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती है इसलिये छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल पाती । क्या सरकार इन बातों की जांच करेगी और यह व्यवस्था करेगी कि विद्यार्थियों को इन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जहां तक मैं जानता हूं हमारे ध्यान में कोई शिकायत नहीं लायी गयी । यदि माननीय सदस्य के पास कोई शिकायतें हों तो वे मुझे बतायें और मैं अवश्य जांच करूंगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** कहीं कहीं तो छात्रवृत्ति योग्यता के आधार पर दी जाती है और कहीं-कहीं साधन की कसौटी से । ये तो भिन्न मापदण्ड क्यों हैं और क्या सरकार पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिये एक मापदण्ड नहीं लागू कर सकती ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस मामले में सामान्य सिद्धान्त यह है कि जहां तक अनुसूचित आदिम जातियों का सम्बन्ध है, हम उन सब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना चाहते हैं जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं क्योंकि ये जातियां सर्वाधिक पिछड़ी हुई हैं । जहां तक पिछड़े वर्गों का सम्बन्ध है उसकी स्थिति भिन्न है । इन जातियों के विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक है कि प्रत्येक को छात्रवृत्ति असंभव है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच है कि पहले जब इस योजना का काम केन्द्रीय सरकार करती थी तो पहले राज्य सरकारों को कुछ धन दिया जाता था और वह खर्च न होने की अवस्था में अन्य राज्यों को दे दिया जाता था ? योजना के विकेन्द्रीकरण के बाद इस धन का क्या हुआ है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जब केन्द्रीय सरकार योजना कार्यान्वित करती थी तो राज्य सरकारों को कोई धन नहीं दिया जाता था ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** छात्रवृत्ति की राशि देने में विशेषकर मैसूर राज्य में असाधारण विलम्ब क्यों होता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जहां तक मुझे ज्ञात है कोई विलम्ब नहीं हुआ है । माननीय सदस्य को राज्य सरकार से पूछताछ करनी चाहिये । इस विषय पर यहां चर्चा की गयी थी और माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि योजना का काम राज्य सरकारों को सौंप दिया जाये । यदि किसी प्रकार का विलम्ब हुआ हो तो केन्द्रीय सरकार इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकती । यदि कोई शिकायतें हों तो हम राज्य सरकारों को लिखेंगे ।

†**श्री त्यागी :** माननीय सदस्यों को कुछ शिकायतें मिली हैं कि इन वर्गों के उन लोगों को अधिक लाभ होता है जिनकी स्थिति औरों की अपेक्षा अधिक अच्छी है । क्या सरकार कोई मानदण्ड लागू करने जा रही है जिससे कि केवल ऐसे विद्यार्थी लाभान्वित हों जो ज़रूरतमन्द हैं न कि वे विद्यार्थी जिनके अभिभावकों की आमदनी अच्छी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को साधनों के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है । अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के सम्बन्ध में यह मापदण्ड इस कारण लागू नहीं किया जाता कि वे आम तौर से ग़रीब होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बसुमतारी :** क्या असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की थी कि चाय बागान कर्मचारियों को अधिक पिछड़ा वर्ग माना जाये और उन्हें छात्रवृत्तियां देने के लिये कुछ रकम मंजूर की जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** किसी राज्य विशेष के बारे में मैं तुरन्त कोई जानकारी नहीं दे सकता । हां, यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न पूछें तो मैं उन्हें आवश्यक जानकारी दे सकूंगा ।

दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों की मांगें

†**११४. श्री बलराज मधोक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा संस्था ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में कौन-कौन सी मुख्य मांगों का उल्लेख किया गया है ; और

(ग) सरकार ने इन मांगों के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** दिल्ली स्कूलशिक्षाक संस्था ने शिक्षा मंत्रालय को सीधे कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया किन्तु मंत्रालय को संस्था द्वारा दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को भेज गये पत्र की एक प्रति और एक छपा वक्तव्य, जिस में अन्य बातों के साथ कुछ मांगें थीं, प्राप्त हुआ ।

(ख) और (ग) । दिल्ली स्कूल शिक्षक संस्था द्वारा उपरोक्त पत्रों में उल्लिखित मुख्य मांगों तथा उन में से प्रत्येक पर दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही का एक विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९]**

†**श्री बलराज मधोक :** क्या यह सच है कि इस संस्था ने सहायता-प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को उपदान और पेन्शन दिये जाने की मांग की है और उस के लिये प्रत्यक्ष कार्यवाही की व्यवस्था की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** दिल्ली की शिक्षा संस्थाओं के ही नहीं वरन् अन्य राज्यों से उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मुझ से मुलाक़ात की और मैं ने उन्हें बताया कि शिक्षा मंत्रालय इस मामले पर राज्य सरकारों से पूछताछ कर रही है और शिक्षकों के लिये प्रत्यक्ष कार्यवाही करना उचित न होगा । जहां तक मुझे ज्ञात है उन्हों ने मेरी सलाह मान ली है । उन्हें आश्वासन दे दिया गया है कि शिक्षा मंत्रालय शिक्षकों की दशा सुधारने के लिये सभी संभव कदम सठायगा । राज्य सरकारें इस योजना का भार अपने ऊपर ले रही हैं किन्तु इस में कुछ समय लगेगा । इस में प्रत्यक्ष कार्यवाही आवश्यक नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण में बताया गया है कि दिल्ली नगर निगम शिक्षकों को १-७-६१ से 'ए' श्रेणी का नगर भत्ता देगा । क्या यह भत्ता १-७-५९ से देने के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध किया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह विवरण लम्बा है । माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किस भाग से किय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं उस विवरण का उल्लेख कर रहा हूं जो मंत्री महोदय ने सभा पटल पर रखा है । मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षकों ने १ जुलाई, १९६१ से 'ए' श्रेणी का नगर भत्ता दिये जाने की जो मांग की है उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? कि दिल्ली नगर निगम ने शिक्षकों के बारे में वेतन आयोग की सभी सिफारिशें मान ली हैं, क्या वे सभी सिफारिशें १ जुलाई, १९५९ से लागू की जायेंगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जायेंगी । विवरण में कहा गया है कि निगम ने वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने कर्मचारियों के वेतन क्रमों में १ जुलाई, १९५९ से संशोधन कर दिया है । पता नहीं माननीय सदस्य को क्या कठिनाई है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इस के लिये धन उपलब्ध कर दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यदि धन न हो तो वह उपलब्ध किया जायेगा ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** चूंकि मंत्री महोदय ने अन्य राज्य का उल्लेख किया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन का ध्यान उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा महंगाई भत्ते के बारे में किये गये आन्दोलन की ओर गया है और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को कोई सहायता देने जा रही है ताकि बढ़ाया हुआ महंगाई भत्ता दिया जा सके ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब नहीं दे सकता । इस राज्य की सरकार ने हमें लिखा है कि समान महंगाई भत्ता देने का प्रश्न विचाराधीन है । हम योजनाआयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं । भारत सरकार आम तौर पर शिक्षकों की मांगों के प्रति बड़ा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाती है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि केन्द्र से आवश्यक सहायता मिले तो वे महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये तैयार हैं । क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को महंगाई भत्ता बढ़ाने या उसे बराबर करने के लिये सहायता देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का वक्तव्य तो नहीं देखा है । किन्तु यह सच है कि राज्य सरकार ने हमें लिखा कि शिक्षकों का महंगाई भत्ता बराबर करने के लिये उसे धन दिया जाये । भारत सरकार की पूर्ण सहानुभूति है किन्तु बात धन की व्यवस्था करने की है । उत्तर प्रदेश सरकार योजना की राशि से धन निकालने के लिये तैयार नहीं है ; योजना आयोग योजना की राशि से उपबन्ध करने के लिये तैयार नहीं है । इसलिये इस मामले पर योजना आयोग से चर्चा की जा रही है । धन कहां से उपलब्ध होगा इस सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता । मैं इतना ही कह सकता हूं कि भारत सरकार का शिक्षकों की ओर विशेष कर इस मांग के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है ।

†**श्री वासुदेवन् नायर :** विवरण से पता चलता है कि शिक्षकों को कुछ बकाया राशि का भुगतान किया जाना है किन्तु दिल्ली नगर निगम के पास इस के लिये धन नहीं है । इन शिक्षकों को यह बकाया धन कब तक दे दिया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** विवरण में यह भी कहा गया है :—

> "इस प्रयोजन के लिये निगम ने १९६१-६२ और १९६२-६३ के आयव्ययक सम्बन्धी अपने पुनरीक्षित प्राक्कलनों में आवयश्यक धन का उपबन्ध कर दिया है ।"

इसलिये विवरण से यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त धन उपलब्ध किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि उस का उपबन्ध आय-व्ययक में किया गया है तो उन्हें भुगतान किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश के बदाऊं जिले में तेल के लिये छिद्रण

†***११५. श्री रघुवीर सहाय :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २३ नवंबर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बदाऊं जिले में एक गहरे कुएं की खुदाई का काम अब शुरू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कुआं कितनी गहराई तक खोदा जा चुका है ;

(ग) क्या दूसरे प्रस्तावित कुएं की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कहां ; और

(ङ) इस जिले में अब तेल मिलने की क्या सम्भावनायें हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) जी, हां ।

(ख) १५ मार्च १९६२ तक १२०३ मीटर गहराई तक पहुंचे थे ।

(ग) जी हां ।

(घ) संकरपुर गांव के समीप ; और

(ङ) वहां तेल मिलने की क्या संभावनाए हैं इस का अभी इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि जो सांख्यिकी उपलब्ध हुई है वह तेल की संभाव्यता का अनुमान लगाने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

†**श्री रघुवीर सहाय :** पहला संरचना सुराख, पूर्व अवसर पर मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार २६ अगस्त १९६० को अर्थात् १ वर्ष ७ महीने पहले आरम्भ किया गया था । इस जिले में तेल खोजने के बारे में इस ओर या उस ओर के निष्कर्ष पर पहुंचने में और कितना समय लगेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** दुर्भाग्यवश ऐसे मामले में कोई समय नहीं बताया जा सकता । हो सकता है हमें दर्जनों सुराख खोदने पड़ें और तब भी हो सकता है कि हम उस क्षेत्र में अनुसन्धान बन्द न करें । अस्थायी तौर पर हमारा कार्यक्रम वहां लगभग छः सुराख खोदने का है ताकि हमें भूतत्वीय सूचना मिल सके और यदि परिणाम अच्छे निकलें तो संभवतः हम अग्रेतर अनुसंधान तेज कर सकें ।

†**श्री रघुवीर सहाय :** क्या इस जिला में खुदाई कार्य के लिये विदेश से कोई मशीनरी मंगवाई गई है और यदि हां तो किस देश से तथा उस की लागत क्या है ? अथवा क्या यह वही छिद्रक है जिस का ज्वालामुखी में उपयोग किया गया था ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** सब जगह पुराने ढंग के छिद्रकों का ही प्रयोग किया जाता है चाहे बुदायूं में हो या दक्षिण में अथवा उत्तर में । हमारे पास काफी संख्या में छिद्रक हैं । इन में से एक छिद्रक बदायूं भेजा गया है क्योंकि हम समझते हैं कि हम यहां तेल की खोज कर सकते हैं । इसलिये हम बदायूं के लिये खास तौर पर कोई सामान विदेश से नहीं मंगवा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रघुवीर सहाय :** क्या बदायूं में कोई विदेशी शिल्पिक काम कर रहे हैं, यदि हां तो कितने और वे किन देशों के हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** कोई विदेशी शिल्पिक किसी खास क्षेत्र के लिये निश्चित नहीं है, और बदायूं और उत्तर प्रदेश के लिये इस प्रकार कोई विदेशी शिल्पिक निश्चित नहीं है । रूसी विशेषज्ञों का एक दल है जो समय समय पर भारतीय शिल्पिकों को सलाह देता रहता है । हो सकता है उन में से कुछ लोग वहां हों ।

श्री भक्त दर्शन : बदायूं ज़िले के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में भी तेल की खोज की जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन में से किन जगहों में अच्छे लक्षण प्राप्त हुए हैं और कहां पर कुएं खोदने का कार्य चलाया जा रहा है ।

श्री के० दे० मालवीय : बदकिस्मती से उत्तर प्रदेश में अच्छे लक्षण अभी नहीं मिल हैं । जब मिल जायेंगे, तो मैं माननीय सदस्य को तुरन्त सूचना दूगा ।

संयुक्त उपक्रमों में विदेशी पूंजी

†*११६. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के संयुक्त उपक्रमों में विदेशी पूंजी लगाने वालों को ५१ प्रतिशत शेयर अपने पास रखने दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक क्षेत्र पर विदेशी आधिपत्य न होने पाये इसके लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्या यह नीति १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प के विरुद्ध है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) से (ग). इस प्रश्न का सम्बन्ध वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय से है और वह मन्त्रालय बाद की किसी तारीख को अर्थात् उनके अगले प्रश्न वाले दिन को इसका उत्तर देगा ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : मैं इस प्रश्न के लिये तैयार हो कर आया हूं । यदि वित्त मन्त्री का इससे सम्बन्ध नहीं तो उनको चाहिये था कि मुझे या लोकसभा सचिवालय को सूचित कर देते कि वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री इसका उत्तर देंगे ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हमें इस प्रश्न की अग्रिम प्रति १२ मार्च १९६२ को प्राप्त हुई थी और हमने तुरन्त वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री से इस प्रश्न को लेने की व्यवस्था की । इसी बीच यह प्रश्न सूची में प्रकाशित हो चुका था । हमने पहले ही लोकसभा सचिवालय को लिख दिया था किन्तु उससे पहले यह प्रश्न सूची में छप चुका था अतः यह प्रश्न आज की कार्यसूची में आया है । हमने वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय से कह दिया है कि वे इस प्रश्न को ले लेंगे और बाद की किसी तारीख को उत्तर देंगे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : कल भी ऐसी ही बात हुई थी ।

†**अध्यक्ष महोय** : मैं इस विवाद को समझने में असमर्थ हूं । कल मैंने दूसरी बात कही थी । यदि दो मन्त्रालयों का किसी विशिष्ट प्रश्न से सम्बन्ध होता है और दोनों को संयुक्त रूप से सभा

---

†मूल अंग्रेज़ी में

को पूरा उत्तर देना होता है, तो मैं दोनों मन्त्रियों को सभा में उपस्थत होने को कहूंगा । निस्सन्देह यह असामान्य मामला होगा । परन्तु हर मामले में माननीय मन्त्री यह कह सकते हैं कि किसी विशिष्ट प्रश्न का उनके मन्त्रालय से सम्बन्ध नहीं होता, इसलिये उन्होंने सम्बद्ध मन्त्रालय को दे दिया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : किन्तु इतनी देरी से क्यों ?

†**श्री तंगामणि**: वे आपको पहले सूचना दे सकते थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न को नहीं समझ पाया । क्या उनको मा० सदस्य को लिखना चाहिये ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इन को लोकसभा सचिवालय को लिखना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि**: कम से कम एक शोधक शुद्धि पत्र जारी किया जा सकता है कि प्रश्न किसी और तारीख के लिये बदल दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई आपत्ति नहीं है । मा० सदस्य अधिक कुशल प्रतीत होते हैं । वित्त मन्त्रालय ने यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय को बदल दिया है और मा० उपमन्त्री ने बताया है कि इस प्रश्न का उत्तर किसी और दिन को दिया जाएगा । सभी मन्त्रालय प्रश्नकाल में यहां उसी दिन नहीं आते । यदि आज वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यहां होते तो मैं यह प्रश्न उनसे पूछ देता । परन्तु वे यहां नहीं हैं । मा० सदस्यों को कुछ दिन प्रतीक्षा करनी चाहिये । मैं अब इस विषय पर और अधिक चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री त्यागी** : क्या पूंजी निर्गम का मामला वित्त मन्त्रालय के अधीन है या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के अधीन ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : पूंजी निर्गम का विषय वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत आता है परन्तु यह प्रश्न पूंजी निर्गम से सम्बन्धित नहीं है, परन्तु इसका औद्योगिक नीति संकल्प से सम्बन्ध है । प्रश्न इसी ठंग से पूछा गया है और यह विषय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के अधीन आता हैं क्योंकि समवाय स्थापना की उसी मन्त्रालय का कार्य है अतः वे ही इसका उत्तर देंगे । उन्हें इसकी सूचना दे दी गई थी और उन्होंने इस प्रश्न को ले लिया है । इसी बीच प्रश्न कार्यसूची में छप गया । हमने इसके बारे में लोकसभा सचिवालय को भी सूचित कर दिया था । इससे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि हम इस की सूचना मा० सदस्य को दें ।

†**श्री त्यागी** : यह केवल इतना जानने का प्रश्न है कि क्या इन निर्गमों के सम्बन्ध में मंजूरी वित्त मन्त्रालय से प्राप्त की जाती है या आर्थिक कार्य विभाग से प्राप्त की जाती हैं, क्या विदेशी पूंजी को भारत में लगने देना चाहिये या नहीं और यदि हां, तो किस सीमा तक ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : वित्त मन्त्रालय का सभी मन्त्रालयों से सम्बन्ध होता है किन्तु इस आधार पर वह सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता ।

भट्टी के तेल पर उत्पादन-शुल्क

†***११७. श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के उद्योग कोयले के स्थान पर भट्टी के तेल को काम में ला सकें इसके लिये भट्टी के तेल पर लगा उत्पादन-शुल्क हटा देने के लिये वहां से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) जी हां । यह कोयले के सम्भरण की कमी के कारण है ।

(ख) गुजरात को कोयला भेजने की हालत को उत्तम बनाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । वैकल्पिक ईंधनों का प्रश्न विचाराधीन है ।

†**श्री मुरारका** : क्या सरकार को इस के सम्बन्ध में गुजरात राज्य से इस आशय का कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि कोयले के सम्भरण की कमी के कारण राज्य के औद्योगिक कार्यक्रम को हानि पहुंच रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : गुजरात राज्य सरकार की ओर से नहीं, अपितु विभिन्न संस्थाएं अर्थात् सूरत का वाणिज्य मण्डल, गुजरात मिलों का फैडरेशन, अथवा गुजरात में व्यापार तथा वाणिज्य से सम्बन्धित अन्य गैर सरकारी निकायों ने इस मामले में अभ्यावेदन पेश किया है ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि हाल ही में गुजरात की औद्योगिक सलाहकार समिति ने, जिसकी अध्यक्षता मुख्य मन्त्री ने की थी, यह संकल्प पारित किया था जिसमें केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि औद्योगिक इकाइयों को कोयले के स्थान पर भट्टी का तेल प्रयोग में लाने की अनुमति दी जाये क्योंकि कोयले का सम्भरण नियमित नहीं है, इस कारण उद्योगों को हानि होती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह केवल चार या पांच दिन या एक सप्ताह पूर्व की बात है । परन्तु उनके द्वारा संकल्प पारित किये जाने से हम यहां बंध नहीं जाते । हमें सब बातों पर विचार करके निर्णय करना पड़ता है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : गुजरात की कोयले की दैनिक आवश्यकता कितनी है और वह कितनी पूरी होती है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री सोमानी** : वित्त मन्त्री ने अभी बतलाया है कि यह संकल्प केवल चार पांच दिन या हफ्ता पहले सलाहकार समिति द्वारा पास किया गया था । क्या मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि कोयला सम्भरण की कठिनाई का यह प्रश्न उद्योग के सामने बहुत बड़ी अवधि से अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि से है ? क्या भारत सरकार ने इस संकल्प के पारित किये जाने से पहले, कोयले के स्थान पर भट्टी के तेल का प्रयोग किये जाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : हम इस प्रश्न पर पिछले तीन महीनों से विचार कर रहे हैं ।

†**एक माननीय सदस्य** : क्या परिणाम निकला है ?

उंगली चिह्न विभाग

†*११९. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के उंगली चिह्न विभाग (फिंगर प्रिंट ब्यूरो) में सुधार करने की कोई योजना भारत सरकार के विचाराधीन है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) कोई निश्चित योजना इस समय भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि अ० एन० केशव अय्यंगार को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिये अध्ययन दौरे पर भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या उसने इस प्रश्न के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दी है ?

†**श्री दातार** : मुझे पक्का पता नहीं कि आया उनकी सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं । परन्तु मझे पता है कि इस विभाग का विस्तार किया जा रहा है और परीक्षाएं हो रही हैं तथा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : जब इस विभा : का विस्तार किया जा रहा है तो क्या इंगलिस्तान के विशेषज्ञों को बुलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि किसी खास राशि की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु कुछ सामान और विशेषज्ञतापूर्ण मत की जरूरत है ? क्या छोटे जिला स्थानों तक भी इसका विस्तार किया जाएगा जहां इस प्रश्न की जांच करवाना बहुत कठिन होता है ?

†**श्री दातार** : इस स्तर पर इतनी जल्दी इन प्रश्नों का विचार नहीं किया जा सकता । उचित विस्तार करने के लिये कुछ कदम उठाये जा रहे हैं । जब वे कार्य पूरे हो जायेंगे सरकार इन सब बातों पर चिार करेगी ।

अखिल भारतीय सेवायें

†*१२१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों नें अन्य राज्यों से अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को लेने और केन्द्रीय सरकार को उसके अभ्यंश के अनुसार अफसर देनें का अपना दायित्व किस मात्रा में पूरा किया है; और

(ख) क्या पूरा ब्योरा दर्शाने वाला विस्तृत विवरण सभा पटल पर रख दिया जायगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) राज्यों की पदालियों को अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों के नियतन के मामले में जिस साधारण नीति का पालन किया जाता है वह है कि प्रत्येक राज्य के लिये आवंटित पदाधिकारियों में ५० प्रतिशत राज्य से बाहर के होने चाहियें । फरवरी, १९६२ के अन्त में ३६२ आई० ए० एस० अफसर और १६५ आई० पी० एस० अफसर केन्द्र में डैपूटशन पर थे जबकि केन्द्रीय डैपूटेशन अभ्यंश, आई० ए० एस० के लिये ४३७ पदों और आई० पी० एस० के लिये १९९ पदों का है ।

(ख) दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं जिनमें अपेक्षित सूचना दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री को यह सामान्य शिकायत मालूम है कि किसी विशिष्ट प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी केन्द्रीय मंत्रालय में अधिक हैं ? यदि हां, तो इस बुराई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमें कोई निश्चित शिकायत प्राप्त नहीं हुई, किन्तु मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य के मन में क्या बात है । उन्होंने पहले भी कई प्रश्न पूछे हैं और मुझ को पत्र लिखे हैं । मैं कुछ समय पश्चात् उनसे इस के बारे में बातचीत करूंगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस का क्या कारण है कि कुछ राज्यों के अफसर निश्चित अभ्यंश से संख्या में कहीं अधिक हैं ? उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश के लिये केन्द्र का डैपूटेशन अभ्यंश केवल ५० है जब कि वहां के ७९ अफसर केन्द्र में हैं । माननीय मंत्री समान वितरण के लिये क्या कार्रवाई कर रहे हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य विभिन्न राज्य के बीच समान वितरण या समान प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न उठारहे हैं । यह सम्भव नहीं है । जहां तक सम्भव होता है, निर्धारित अभ्यंश का पालन किया जाता है । उसके अनुसार, अफसर भर्ती किये जाने चाहियें या यहां बुलाये जाने चाहियें । परन्तु यह सब कुछ कई बातों पर निर्भर होता है । कुछ राज्य अपने अफसर देने को तैयार होते हैं, और अन्य नहीं होते । वास्तव में, हमें कुछ राज्यों के प्रति यह शिकायत है कि वे हमारी प्रार्थना और अनुरोध के बावजूद भी अपने अफसर हमें नहीं देते, क्योंकि उन को भी अच्छे और अनुभवी अफसरों की कमी होती है । ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश के पास अधिक अनुभवी और संभवतः कुशल अफसर हैं ।

†**श्री त्यागी** : कुशलता भी जरूरी होती है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं उत्तर प्रदेश के आकार को जानता हूं ।

†**श्री त्यागी** : कुशलता के बारे में क्या है ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : उत्तर प्रदेश के लिये ५० का अभ्यंश है और वहां के ७९ अफसर हैं । क्या राजस्थान का एक भी अफसर यहां सचिव या अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हम अवश्यमेव राजस्थान सरकार को कहेंगे कि वे अपने अफसर हमें दें । परन्तु मुझे सन्देह है कि वे जल्दी ही इसे स्वीकार करेंगे । फिर भी हम राजस्थान सरकार से यह बात कहेंगे ।

†**श्री हेडा** : किन किन राज्यों ने इस आशय की राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश का और तत्सम्बन्धी सरकार के संकल्प का पालन अभी तक नहीं किया कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के ५० प्रतिशत से अधिक अफसर सम्बद्ध राज्य के नहीं होने चाहियें ?

†**श्री त्यागी** : आंध्र प्रदेश उन में है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : बहुत से ऐसे राज्य हैं किन्तु स्थिति सुधर रही है । मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकारें भविष्य में आयोग की सिफारिश का पालन करने का प्रयत्न करेंगी ।

†**श्री बलराज मधोक** : विवरण संख्या १ से पता चलता है कि जम्मू और काश्मीर में अभी तक राज्य से बाहर का केवल एक अफसर लिया गया है । क्या बाहर का कोई अफसर नहीं मिलता या वह बाहर से किसी अफसर को नहीं बुलाते ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० मु० तारिक** : किन्तु वहां स्थानीय अफसर हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : क्या माननीय सदस्य जम्मू और काश्मीर से केन्द्र में डैपूटेशन पर आये लोगों की बात कर रहे हैं ?

†**श्री बलराज मधोक** : मैं दूसरे राज्य के अफसरों को उस देश में तैनात किये जाने का उल्लेख कर रहा हूं । वहां केवल एक अफसर बाहर का है । वहां के कई आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अफसर अन्यत्र तैनात हैं । वे जम्मू और काश्मीर में वापिस जाना चाहते हैं, किन्तु फिर भी उनको नहीं लिया जाता ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे ब्योरा मालूम नहीं है । मैं जांच करूंगा ।

†**खी अ० मु० तारिक:** : जम्मू और काश्मीर राज्य में भारत से बाहर के बहुत से अफसर हैं ।

नाविक सैनिक व वैमानिक बोर्ड

*१२३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ५ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नाविक, सैनिक व वैमानिक बोर्डों व उनके कर्मचारियों को स्थायी बनाने का जो प्रश्न विचाराधीन था उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतहसिंह राव गायकवाड़)** : राज्य सरकारों से प्राप्त हुए उत्तरों का निरीक्षण किया जा चुका है और जिला सैनिक, नाविक और वायु सैनिक बोर्डों के सेविवर्ग की सेवा सम्बन्धी शर्तें निर्धारित करने वाले संशोधित नियमों का मसौदा इस आधार पर तैयार कर लिया गया है कि इन बोर्डों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के स्थाई विभाग मान लिया जाय । संशोधित नियमों का यह मसौदा सरकार के सविस्तार निरीक्षणाधीन है और अन्तिम प्रकाशन से पहले शीघ्र ही राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करने के लिये, उन्हें भेजा जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह बतलाने की कृपा की जायेगी कि देर से देर कब तक इस बारे में अन्तिम निर्णय किया जा सकेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : जहां तक इस का सम्बन्ध है, प्रश्न राज्य सरकारों को भेजना पड़ेगा और मैं राज्य सरकारों की ओर से उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री भक्त दर्शन : इस उत्तर में यह बतलाया गया है कि इन बोर्डों को राज्य सरकारों के सुपुर्द कर दिया जायेगा और उन के स्थायी विभाग बनाये जायेंगे । उस हालत में क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ सहायता देती रहेगी या वह राज्य सरकारों की ही जिम्मेदारी हो जायेगी ?

†**सरदार मजीठिया** : इस प्रश्न के बारे में राज्य सरकारों से चर्चा करनी होगी, किन्तु मैं समझता हूं कि उन को केन्द्र की ओर से कुछ सहायता मिलती रहेगी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वे बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों को सहायता देने के प्रश्न का निपटारा करेंगे और स्थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना के इन तीनों विभागों के भूतपूर्व सैनिकों को सहायता देने के काम में केन्द्रीय सरकार इन बोर्डों की कहां तक सहायता करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार मजीठिया** : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं ये बोर्ड विशिष्ट राज्य के भूतपूर्व सैनिकों से सम्बन्ध रखते हैं। क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों की अधिकांश समस्याएं उस राज्य से सम्बन्धित होती हैं, यह उचित है कि वे उन का निपटारा करें। केन्द्रीय सरकार हमेशा उन की सहायता करेगी जहां तक पेंशनों का सम्बन्ध है, क्योंकि इन का केन्द्रीय सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या केन्द्रीय सरकार के आयव्ययक में इन बोर्डों की सहायता करने की कोई व्यवस्था है, क्योंकि ये बोर्ड सामान्यतया राज्यों में सार्वजनिक दान के आधार पर चलते हैं, और क्योंकि उनमें बड़ा अन्तर होता है, सहायता नियमित नहीं हो सकती ?

†**सरदार मजीठिया** : नहीं, निश्चय ही नहीं। बोर्ड सर्वथा सार्वजनिक दान के आधार पर नहीं चलते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ध्वज दिवस निधियों के साथ इस प्रश्न को मिला रहे हैं, जो सर्वथा पृथक् होती है।

श्री भक्त दर्शन : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने जरा साफ नहीं दिया। मैं जानना चाहता था कि स्टेट गवर्नमेंट्स से जो लिखा पढ़ी हो रही है उस के अनुसार क्या अन्दाजा है कि देर से देर कब तक इस बारे में आखिरी फैसला हो जायेगा।

†**सरदार मजीठिया** : जी नहीं। जैसा मैं ने कहा, प्रारूप नियम राज्य सरकारों को भेजे जायेंगे और यदि वे मान जायेंगी तो हम उन को निश्चय ही लागू कर देंगे।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या विभिन्न विधान मंडलों और संसद् के विरोधी दलों के सदस्यों को, यदि वे मिल सकेंगे, इन बोर्डों के काम में शामिल किया जायेगा, क्योंकि ये बोर्ड विवादास्पद हैं और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण में सब लोगों को दिलचस्पी है ?

†**सरदार मजीठिया** : जहां तक संसद् सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि वे इन बोर्डों के कार्य-संचालन में, भूतपूर्व सैनिकों को सहायता देने में, आते हैं, क्योंकि यह काम मुख्यतया जिला स्तर पर जिला अधिकारियों द्वारा निपटाया जाता है। पेंशनों के मामले में मैं कह चुका हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय स्वयं करेगा।

सस्ती अमरीकी पुस्तकें

†***१२५. श्री अ० मु० तारिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ते दामों पर अमरीकी पुस्तकों का प्रकाशन करने की कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) तथा (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४१]**

†**श्री अ० मु० तारिक** : विवरण में कहा गया है कि अब भी कुछ लघु पथ प्रदर्शनकारी सिद्धांतों के आधार पर ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। वे पथ प्रदर्शनकारी सिद्धान्त क्या हैं ? फिर, उन्हों ने कहा है कि कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये पुस्तकें कैसे प्रकाशित हो गईं जबकि अभी मंत्रालय और अमरीकनों के बीच विचार विमर्श हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** पथ प्रदर्शनकारी मुख्य सिद्धान्त निम्न हैं :—

(क) मंत्रालय प्रकाशन के लिये उपयुक्त पुस्तक का नाम बतायेगा और मंत्रालय की अनुमति के बाद ही कार्य आरम्भ होगा ।

(ख) ऐसे बड़े प्रकाशकों के साथ ठेके किये जायेंगे जिन्हों ने आपस में तय की हुई पुस्तकों के प्रकाशन के सम्बन्ध में आवश्यक प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त कर लिया हो । इस के लिये भी प्रत्येक मामले में शिक्षा मंत्रालय की पूर्वानुमति की आवश्यकता है ।

(ग) भारतीय विनियमों के अन्तर्गत रायल्टी के भुगतान के लिये सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है । शिक्षा मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी का निश्चय ज्ञात कर लेगी । इस के लिये प्रत्येक प्रस्तावित पुस्तक के बारे में उन्हें प्रार्थनापत्र भेजना होगा ।

(घ) योजनाधीन प्रकाशित होने वाली पुस्तक का मूल्य मूल मूल्य का तिहाई होगा । यह मूल्य संभावित आर्थिक सहायता तथा पुस्तक पर लिया जाने वाले सस्ते मूल्य को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जायेगा ।

(ङ) साधारणतया, पुस्तकों का वितरण सामान्य व्यापार द्वारा होगा ।

ये मोटे मोटे सिद्धान्त हैं एवं एक या दो और भी हैं । इन का संबंध इस बात से है कि प्रचार कैसे किया जाये और इस योजना को लागू करने में दिये गये सारे ठेकों तथा अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा की गई अन्य बड़ी कार्यवाही की नियमित सूचना मंत्रालय को कैसे दी जाये । ये पुस्तकें मंत्रालय की अनुमति से प्रकाशित हुई हैं और बताये गये ये सारे सिद्धान्त लागू किये गये हैं । आशा है कि माननीय सदस्य इस से सन्तुष्ट होंगे ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** माननीय मंत्री कहते हैं कि ये सारे सिद्धान्त लागू किये गये हैं । फिर, विवरण में यह क्यों कहा गया है कि वे अभी तक निश्चित नहीं हुए हैं ? उन्हें अन्तिम रूप दिये बिना कैसे लागू किया जा सकता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मोटे सिद्धान्तों पर सहमति हो गई है । शिक्षा मंत्रालय के सचिव के सभापतित्व में एक बोर्ड बनाया गया है और पुस्तकें चुनी जा रही हैं । संभव है कि अब भी कुछ ब्योरा तैयार करना हो ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या इन सिद्धान्तों तथा विनियमों का संबंध केवल अमरीकी पुस्तकों से है, या देश में सस्ते दामों बिकने वाली अन्य देशों की पुस्तकों पर, जैसे रूस की पुस्तकों पर, ये लागू होते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वे रूस पर भी लागू होते हैं । आजकल हमारी तीन योजनायें हैं और तीनों सरकारों के सहयोग से उन पर काम हो रहा है । एक ब्रिटेन योजना है, और ब्रिटेन सरकार ने कुछ पुस्तकें प्रकाशित भी की हैं । हमारी एक योजना और भी है जिस पर रूस से पत्र-व्यवहार हो रहा है और कुछ पुस्तकें चुन ली गई हैं । उन का अनुवाद हो रहा है और आशा है कि वे शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेंगी । फिर, एक और योजना है जो अमरीका की सरकार के सहयोग से चल रही है । वास्तव में भारत सरकार इस योजना को तीन सरकारों, अर्थात्, ब्रिटेन की सरकार, रूस की सरकार और अमरीका की सरकार, के सहयोग से चला रही है ।

†**डा० सुशीला नायर :** इन सब देशों की उत्तम पुस्तकों का चुनाव करने के लिये सरकार का प्रयास अच्छा है, परन्तु क्या सरकार किसी प्रकार विदेशों में छपी पुस्तकों का विक्रय रोक सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न देशों की अत्याकर्षक पुस्तकें बहुत ही सस्ते दामों पर बड़ी संख्या में बिकती हैं। इन में विशेष कर उस देश विशेष की विचारधारा का प्रोपेगेंडा होता है। क्या इस पर सरकार की कोई रोक है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं समझता हूं कि यह एक प्रश्न है और एक दम विचाराधीन प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। जहां तक वर्तमान प्रश्न का संबंध है, उस का उद्देश्य विद्यार्थियों को, विशेष कर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये सस्ती पुस्तकें उपलब्ध करना है। विज्ञान और प्रोद्यौगिकी की पुस्तकें सरलता से नहीं मिलतीं हैं। वे महंगी हैं। अतः हम ने इन सरकारों के साथ यह व्यवस्था की है कि स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा का हमारे विद्यार्थियों को विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी की सस्ती पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहियें। माननीय सस्दय का प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है और उस का संबंध विभिन्न मामलों से है। यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछें, तो हम उस का भी उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्रीमती रेणका राय :** माननीय मंत्री ने कहा था कि तीन सरकारों के साथ तीन विभिन्न व्यवस्था हैं। क्या तीन के लिये मूल सिद्धान्त समान हैं या उन में अन्तर है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** ये विभिन्न व्यवस्थायें हैं। जहां तक ब्रिटेन का संबंध है, पुस्तकें छपती हैं और सस्ते संस्करण हमारे परामर्श से निकाले जाते हैं। पुस्तकें हमारी अनुमति से प्रकाशित की जाती हैं।

अमरीकी पुस्तकों के लिये पी० एल० ४८० फण्ड्स से सहायता मिलती है। भारत-अमरीकी संयुक्त बोर्ड बनाया गया है जिस के सभापति शिक्षा मंत्रालय के सचिव हैं। पुस्तकों का निश्चय इस बोर्ड की अनुमति से होता है।

जहां तक रूस का सम्बन्ध है, जिस समय रूस की सरकार ने इंजीनियरों के प्रशिक्षण के बारे में करार किया था, उस समय यह निश्चित किया गया था कि कुछ पुस्तकें प्रकाशित होंगी और पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है। उन की परीक्षा करने के लिये एक एक टीम नियुक्त की गई है। इन पुस्तकों को भी, अन्तिम रूप से टीम के चुन लेने पर, प्रकाशित कर दिया जायेगा।

श्री जोकीम आल्वा : विज्ञान संबंधी पुस्तकों के लिये अनुमति देते समय क्या सरकार ने समूची स्थिति पर विचार किया था? क्या उन्होंने उन्हीं देशों से आने वाली और हमारे बुकस्टालों पर बिकने वाली योनि तथा अपराध और हत्या संबंधी सस्ती पुस्तकों के प्रश्न पर विचार किया था ? वे बहुत ही सस्ती और आकर्षक पुस्तकें हैं और रेलों में यात्रा करते हुए युवकों तथा युवतियों द्वारा इन पुस्तकों के पढ़ने से हमारी शिक्षा का ध्येय ही नष्ट हो जाता है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य योनि तथा अपराध संबंधी पुस्तकों पर आपत्ति कर रहे हैं। अन्य माननीय सदस्य जनता में मार्क्सवाद और साम्यवाद फैलाने के लिये आने वाली पुस्तकों पर आपत्ति करते हैं। ये प्रश्न वर्तमान प्रश्न के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इस बात को निश्चित रूप से जानना चाहते हैं कि वे सरकार द्वारा न छापी जायें। वे इन प्रकाशनों पर आपत्ति करते हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार उन का प्रकाशन नहीं करेगी।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अपराध तथा योनि संबंधी पुस्तकें सरकार कैसे प्रकाशित कर सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्यागी : क्यों नहीं कर सकती ? हो सकता है कि प्रकाशन अपराध या फैलाने या अपराध का प्रोपेगेंडा करने के लिये न हो, परन्तु अपराध रोकने के लिये हो ।

१९६० की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों का बहाल होना

†*१२६. **श्री तंगामणि** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई १९६० की हड़ताल में भाग लेने वाले अब भी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें बहाल किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) अन्तिम निश्चय कब तक हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क), (ख) और (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४२]**

†**श्री तंगामणि** : क्या इस बात को ध्यान में रख कर कि कर्मचारी संघों को मान्यता फिर दे दी गई है, क्या सरकार ने विभिन्न विभागों को अनुदेश दिये हैं कि वे संघों को इन मामलों पर पुनः बातचीत करने की सुविधा दें ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : हां, ऐसा किया गया है ।

†**श्री तंगामणि** : इस विवरण में उल्लिखित १८ मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इन मामलों पर विचार करना और उन्हें निपटाना विभिन्न मंत्रालयों का काम है । संघों को उन पर सम्बन्धित मंत्रालय से बातचीत करनी है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या रेलों और विभिन्न मंत्रालयों की पुरानी वार्ता-व्यवस्था ने फिर कार्य आरम्भ कर दिया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मेरा खयाल ऐसा ही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में उल्लेख है :—

"नौकरी से बर्ख्वास्त किये गये या निकाले गये कर्मचारियों की संख्या . . . १३६

नौकरी से हटाये गये अनस्थायी कर्मचारियों की संख्या . ६१
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किये गये कर्मचारियों की संख्या . ११
मुअत्तिल कर्मचारियों की संख्या जिन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है १८

यह भी कहा गया है कि —

"सक्षम संबंधित प्राधिकारियों ने मामलों का पुनरीक्षण किया है । ९ कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को बहाल करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । इन कर्मचारियों ने अपील की है और वे विचाराधीन हैं ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्री ने कहा था कि मान्यता के पुनः दिये जाने के बाद, स्वयं संघ इन मामलों पर बातचीत कर सकते हैं। क्या सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ ये कार्यवाही करने के बाद, विवरण के बावजूद भी उनके मामलों पर विचार किया जायेगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यही बात है। वास्तव में,मेरा ख्याल है कि मैंने यह खुले आम कहा है। मैंने संघ के प्रतिनिधियों को भी कहा है कि वे सम्बन्धित मन्त्रालयों से इन मामलों पर बातचीत कर सकते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार ने इन मामलों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक और सहृदयतापूर्ण विचार किया है। कुल लगभग ४६,००० मामलों में कार्यवाही की गई थी और उनमें से अधिकतर व्यक्तियों को छोड़ दिया गया तथा कोई कार्यवाही नहीं की गई। केवल २०८४ व्यक्ति नौकरी से बरख्वास्त या निकाले गये थे और २१३७ व्यक्ति नौकरी से हटाये गये। माननीय सदस्य देखेंगे कि वे बरख्वास्तगियां आदि भी रद्द कर दी गई थीं और अब बरख्वास्त किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या १३६ है जबकि नौकरी से हटाये गये व्यक्तियों की संख्या केवल ६१ है। अतः मेरा ख्याल है कि सभा इस बात से तुरन्त सहमत होगी कि इन सब मामलों पर अत्यधिक सहृदयतापूर्ण विचार किया गया था। बाकी रहे मामलों में कार्यवाही करना और अन्तिम निर्णय करना सम्बन्धित मन्त्रालयों का काम है।

†**श्री त्यागी :** मुझे याद है कि इस हड़ताल के समाप्त होने से पहिले सरकार ने अधिसूचित किया था कि हड़ताल करना अवैध होगा एवं भाग लेने वालों को दण्ड दिया जायेगा। क्या मैं यह समझूं कि वह आदेश कर्मचारियों को डराने के लिये केवल बन्दर भवकी था ताकि वे हड़ताल में भाग न लें या क्या सरकार उसके लिए दृढ़प्रतिज्ञ थी ? यदि वे दृढ़प्रतिज्ञ थे तो वे उस पर क्यों न जमे रहे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** सरकार उस आदेश पर जमी रही। उस आदेश के अनुसार कार्यवाही की गई। हड़ताल वापस लेने पर सारी स्थिति बदल गई। हड़ताल के समापन को ध्यान में रख कर, सरकार को आगे कार्यवाही करनी पड़ी।

†**श्री त्यागी :** क्या इस कार्यवाही को भविष्य के लिये भी उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जायेगा ताकि जब कभी कोई हड़ताल हो तथा आदेश दिये जायें और जब हड़ताल समाप्त हो जाये, तो क्या कर्मचारियों को सदैव नौकरी पर वापस ले लिया जायेगा ?

†**श्री नाथपाई :** श्रीमान्,.औचित्य के प्रश्न पर। क्या हम श्री त्यागी के लिये विशेष प्रक्रिया नियम बना रहे हैं। आप उन्हें नीति की बातें पूछने की अनुमति दे रहे हैं। हम भी ऐसे प्रश्न पूछ सकते थे। हम समझते हैं कि जानकारी लेने के लिये ही प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। यदि श्री त्यागी को नीति विषय प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है, तो हम आशा करते हैं कि आप हमें भी यह स्वतन्त्रता देंगे।

†**श्री त्यागी :** यह केवल जानकारी के लिये ही पूछा गया है कि क्या ऐसे मामलों में हड़ताल समाप्त होने पर सामान्य नीति यह होगी कि आदेश वापस ले लिये जायेंगे। **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय :** औचित्य का प्रश्न उठाया गया है। नीति के मामलों में, मैं नीति को विशेष मामलों में लागू करने के मामले पर प्रश्न पूछने की सदैव अनुमति देता हूं। यदि माननीय सदस्य प्रश्न काल मे नीति पर बहस करना चाहें तो मैं उसकी अनुमति नहीं देता। इस मामले में माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या सरकार ने नीति की घोषणा करने के बाद दण्ड देने की नीति को कार्यान्वित

---

†मूल अंग्रेजी में

किया या नहीं । माननीय सदस्य केवल यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या भविष्य में अवैध घोषित की गई हड़ताल में भाग लेने पर यही नीति लागू होगी । मैं नहीं जानता कि वह क्या प्रश्न पूछ रहे हैं । प्रश्न के पूछे जाने से पहिले मैं उसे अस्वीकार कैसे कर सकता हूं । अतः इसका उत्तर न दिया जाये । मैं यही कह सकता हूं ।

†**श्री त्यागी :** श्रीमन्, मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा । सरकर ने एक बार कुछ आदेश दिये । क्या सरकार ने उनमें लिखा था कि हड़ताल के समाप्त होने पर, उन सब कर्मचारियों को वापिस ले लिया जायेगा ? क्या उस आदेश में यह भी उल्लेख था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** इस तरह का कोई उसलेख न था ।

†**अध्यक्ष महोदयः** अगला प्रश्न ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** श्रीमान्, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं वह प्रश्न समाप्त कर चुका । अच्छा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या माननीय मन्त्री को बताया गया है कि नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के अधीनस्थ या क्षेत्राधिकार में दफ्तरों के लगभग ७ संघों को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है । अतः वे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये व्यक्तियों के मामलों के बारे में बातचीत नहीं कर सकें ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गृहकार्य मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** माननीय सदस्य का कहना ठीक है । मैं समझता हूं कि संघ नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक से इस पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं.....

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वे बातचीत नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** उन्हें बातचीत करनी है । इसका और कोई रास्ता नहीं है । स्वयं गृहकार्य मन्त्रालय इसमें बातचीत नहीं कर सकता । निश्चय ही हम सहायता देने की कोशिश करेंगे । जहां तक मुझे विदित है, संघ किसी प्रकार सम्बन्धित प्रधिकारियों से मिलने और उनसे इस मामले पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ।

दिल्ली में शीत की लहर

†*१२७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६१ और जनवरी, १९६२ में विकट शीत के कारण दिल्ली में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ख) बेघर लोगों को जगह देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) अन्धा मुगल में नगरपालिका निगम का एक 'रेन बसेरा' है । एक 'रेन बसेरा' दिल्ली गेट के पास और दूसरा हनुमान मन्दिर, निगम बोध घाट के पास बनाने का निगम का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जमना बाजार, काश्मीरी गेट, हार्डिंग पुस्तकालय दिल्ली गेट, पहाड़गंज, काबुली गेट, सब्जी मण्डी और बाग दीवार में भारत सेवकसमाज के 'रेन बसेरे' हैं। शीत की लहर के दिनों में टाउन हाल, दिल्ली और अग्रवाल धर्मशाला, पहाड़गंज, और कई अन्य स्थानों पर अस्थायी 'रेन बसेरे' बनाये गये थे।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इन 'रेन बसेरों' में कुल कितना स्थान उपलब्ध है ?

†**श्री दातार :** मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार नई दिल्ली में भी और अधिक 'रेन बसेरों' की इमारतें बनाने के लिये आर्थिक सहायता देगी ?

†**श्री दातार :** प्रथम, यह प्रश्न दिल्ली के नगरपालिका निगम को भेजा जाना चाहिये। उन्होंने कुछ स्थान चुने। सरकार से सहायना मांगना उनका काम है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** श्रीमान्, यह संघ प्रशासित दिल्ली का राज्य-क्षेत्र है। और माननीय मन्त्री कहते हैं कि उनके पास ऐसे व्यक्तियों के आंकड़े नहीं हैं जो शीत की लहर में मर गये। बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार के पास यह जानकारी नहीं है। वस्तुत: यह आश्चर्यजनक है।

†**श्री दातार :** सामान्यतया मृत्यु के रजिस्टरों में किसी रोग का उल्लेख होता है। शीत-लहर का प्राय: उल्लेख नहीं होता। यदि सरा रजिस्टर देखा जाये तो इस पर बड़ा समय लगेगा और परेशानी भी काफी होगी..... **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** देश के सभी भागों में अखबारों में दिल्ली में शीत की लहर के कारण मरे व्यक्तियों के बारे में समाचार छपे थे। यदि सरकार समझती है कि वह सम्बन्धित पत्रकारों की गलतबयानी थी, तो सरकार के वक्तव्य क्यों जारी नहीं किया ? वे ऐसे तर्क का सहारा क्यों लेते हैं जैसा कि माननीय गृहकार्य मन्त्री दे रहे हैं ?

†**श्री दातार :** मैं दिल्ली के नगरपालिका निगम द्वारा दी गई यथासंभव जानकारी के आधार पर बोल रहा हू। वे देखते हैं कि सारे मृत्यु-रजिस्टरों को देखने में और यह मालूम करने में कि लिखित मृत व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति शीत की लहर के कारण मरे, अधिक समय लगेगा ..... **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या हम यह समझें कि संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र इस प्रश्न को कोई महत्व नहीं देता ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** मैं मानता हूं कि दिल्ली प्रशासन को आंकड़े मालूम करने चाहियें और आशा है कि वे ऐसा करेंगे। हम ने उन्हें अनुदेश दे दिये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कटंगा में लापता सैनिक अफसर

†*१०३. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सेना में काम कर रहे लापता सैनिक अफसर का कटंगा में पता लग गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

एयर इंडिया इन्टरनेशनल से सुपर कांस्टलेशन विमान

†*१०४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिया इन्टरनेशनल से कुछ सुपर कांस्टलेशन विमान खरीदे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सौदे का क्या ब्योरा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). प्रतिरक्षा मंत्रालय एयर इंडिया इन्टरनेशनल से उनके सारे सुपर कान्स्टलेशन विमानों को उनके पुर्जों और उपकरण समेत, खरीदने के लिये बातचीत कर रहा है । औपचारिक करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जाने की आशा है, जिसके बाद सौदे का ब्योरा बताया जायेगा ।

कांगो में संयुक्त राष्ट्र सेना का भारतीय विमान

†*१०५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० जनवरी, १९६२ को या इसके लगभग संयुक्त-राष्ट्र सेना का एक भारतीय विमान कांगोली सेना की गोली लग जाने से क्षतिग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई; और

(ग) कितनी क्षति हुई ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस दुर्घटना के समय यह विमान संयुक्त राष्ट्र की थल सेना को विमान द्वारा ले जाने में सहायता कर रहा था ।

(ग) क्षति ऊपरी हुई।

तीसरे आम चुनाव पर व्यय

†*१०६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के तीसरे आम चुनाव पर व्यय की गयी कुल धनराशि का क्या ब्योरा है;

(ख) क्या चुनाव के दिन ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारियों को कोई भत्ता दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) सरकार द्वारा किये गये खर्च का ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है और उनको सभी राज्यों से एकत्र करने में कुछ महीने लगेंगे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) चुनाव कर्मचारियों को दिया गया भत्ता प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न था और यह इस बात पर निर्भर करता था कि कर्मचारी केन्द्रीय सरकार से सम्बधित हैं या राज्य सरकार से ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल प्रौद्योगिकी[1]

†*१०८. **श्री अगाड़ी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल प्रौद्योगिकी का और आगे अध्ययन करने के लिये तेल शोधक कारखानों के विशेषज्ञों को १९६२ में विदेशों में भेजने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होगा;

(ग) उच्च अध्ययन के लिये कितने व्यक्ति भेजे जायेंगे; और

(घ) कुल अनुमानित व्यय कितना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं। परन्तु पहले की तरह विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने और गुजरात तेल-परिष्करणी के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन में प्रशिक्षण के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रूस को प्रविधिज्ञ भेजे जायेंगे।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति संबंधी आयोग

†*१०९. **श्री हेम राज :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति सम्बन्धी आयोग की कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) क्या इसके प्रतिवेदन पर लोक-सभा में चर्चा करने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(ख) इस पर उचित समय पर विचार किया जायेगा।

बोकारो कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण

†*११२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंग्रेज़ विशेषज्ञों के एक दल ने सिफारिश की है कि बिहार के बोकारो कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी, नहीं। ब्रिटिश विशेषज्ञ दल ने बिहार में बोकारो कोयला-क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश नहीं की है। अतः इस बारे में कोई निर्णय करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Oil Technology.

अंकलेश्वर में उपलब्ध तेल

†*११८. श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकलेश्वर तेल क्षेत्र से निकाला गया तेल बम्बई के तेलशोधक कारखानों को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना तेल दिया जा चुका है; और

(ग) यह तेल किस दाम पर दिया गया ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) ७ मार्च, १९६२ तक लगभग २६,००९ टन ।

(ग) कच्चे तेल (क्रूड आयल) का 'डिलीवरी' मूल्य आयात किये हुए तेल के मूल्य (इपोर्ट पैरिटी) के आधार पर फलाया जायेगा । अंकलेश्वर के कच्चे तेल की उच्च 'ग्रेविटी' को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ वृद्धि कर दी जायेगी । कारखाने की टंकियों तक तेल भेजने के खर्च के खाते में भी कुछ समायोजन करना होगा ।

सरकारी विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदें

† **१२०. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में सरकार के विभिन्न विभागों की कितनी वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों ने, सरकारी दफ्तरों में इन परिषदों की स्थापना होने के पश्चात्, अपनी पदावधि पूरी होने से पूर्व, एक साथ पदत्याग किया;

(ख) उनके द्वारा पदत्याग किये जाने के क्या मुख्य कारण थे;

(ग) क्या उन की आम शिकायत यह थी कि वे कार्यसाधक नहीं थीं; और

(घ) यदि हां, तो इन परिषदों को अधिक कार्यसाधक बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल एक मामले में ।

(ख) पदत्याग पत्र में निम्नलिखित कारण बताये गये थे :

(१) निर्णयों की क्रियान्विति न की जानी;

(२) कर्मचारी परिषद् की बैठकों में सरकारी प्रतिनिधियों का कम शामिल होना; और

(३) स्टाफ़ सेक्रेटरी द्वारा भेजे गये लगभग २० नोटों का उत्तर न मिलना ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रोहतांग दर्रे में रज्जुपथ[1]

†*१२२. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल्लू घाटी में रोहतांग दर्रे पर रज्जूपथ बनाने के काम में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** मामला अभी विचाराधीन है ।

"एथिक्स आफ बेनिशमन्ट आँफ़ सीता" नामक पुस्तक पर प्रतिबंध

†*१२४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली बुक कम्पनी द्वारा प्रकाशित "एथिक्स आफ बेनिशमेंट आँफ सीता" नामक पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इस पुस्तक में "सरिता" पत्रिका, दिल्ली , के विरुद्ध एक मामले में न्यायालय में पेश किये गये लेखों का संकलन है ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख) जी, हां । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ९९-क के अधीन दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी की गयी अधिसूचना की प्रति, जिस में नई दिल्ली को 'सरिता' पत्रिका द्वारा प्रकाशित 'दि एथिक्स आफ बेनिशमेंट आफ सीता" नामक पुस्तक को जब्त घोषित किया गया है और जिस में जब्ती के कारण भी बताये गये हैं, सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]**

(ग) इस बारे में दिल्ली प्रशासन को एक अभ्यावेदन मिला है और प्रशासन उस पर विचार कर रहा है ।

'राकेटों का निर्माण'

†*१२८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना में भारत में राकेटों का निर्माण करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना पर कितना व्यय होगा ;

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) पहला भारतीय राकेट कब बन कर तैयार हो जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) प्रतिरक्षा उत्पादन का तृतीय पंचवर्षीय योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है । ऋतु विज्ञान सम्बन्धी अथवा अन्य असैनिक प्रयोजनों के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय की राकेटों के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेज़ी मे

[1]Ropeway.

मद्रास और मदुरै को उच्च श्रेणी के नगर घोषित करना

†*१२६. **श्री तंगामणि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकान किराया भत्ता और नगर भत्ता के लिये मद्रास और मदुरै को क्रमानुसार 'क' तथा 'ख' श्रेणी के नगरों मे रखने के बारे में और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा मे क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में अपने पूर्व निर्णय को बदलने का है ?

†**वित्त उप-मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी, हां । इस बारे मे सरकार को कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ख) और (ग) इस कार्य के लिये निर्धारित जनसंख्या की कसौटी के आधार पर मद्रास और मदुरै को क्रमशः 'ख' तथा 'ग' श्रेणी के नगर घोषित किया गया है । जैसाकि द्वितीय वेतन आयोग की राय है, इस समय जनसंख्या के अतिरिक्त और कोई अच्छी कसौटी नहीं है । अतः इस समय वर्गीकरण के पुनरीक्षण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

[1]बन्द की गई कोयले की खानें[1]

†१४६. **श्री न० म० देव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि धनबाद के पास बन्द हो चुकी कोयले की खानों में पोलैण्ड के इंजीनियरों की सहायता से फिर काम आरम्भ किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** बन्द हो चुकी कोयला खानों को पोलैण्ड के विशेषज्ञों की सहायता से खोलने के लिये कोई विशिष्ट योजना नहीं है । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने सूदमडीह क्षेत्र में; जहां कम गहराई वाली कई पुरानी बंद हुई खानें हैं, पोलैण्ड के सहयोग से गहरी खानों के विकास की परियोजना आरम्भ की है ।

कलकत्ता में कोयल की कमी

†१५०. **श्री न० म० देव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और पश्चिमी बंगाल के अन्य भागों में कोयले की कमी होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वैगनों की कमी के कारण कोयला भेजने में रुकावट आ जाती है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). वर्ष १९६१ में पश्चिम बंगाल को कुल ८,८३०,२०७ टन कोयला भेजा गया जबकि वर्ष १९६० मे ८,७५४,७१८ टन कोयला भेजा गया था । तथापि उपलब्ध परिवहन क्षमता से मांग अधिक हो जाने के कारण पश्चिम बंगाल में कुछ उपभोक्ताओं को कभी कभी कोयले की कमी हो सकती है । परन्तु सरकार कोयले के संभरण की स्थिति पर नियमित रूप से ध्यान रखती है और जिन उपभोक्ताओं के पास कोयले का थोड़ा भंडार होता है उन को शीघ्र संभरण के लिये तदर्थ उपाय किये जाते हैं । हाल ही

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Abandoned Collieries.

से कोयले के परिवहन के लिये कुल रेल परिवहन क्षमता का भी विस्तार किया गया है। जो अन्य उपाय किया गया है, वह औद्योगिक उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिये शालीमार में एक कोयला भंडार बनाना है। इन उपायों के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि उस क्षेत्र में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को अधिकाधिक पूरा किया जायेगा ।

"हाई स्पीड डीज़ल आयल" के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला तेल

†१५१. **श्री न० म० देव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि स्टेन्डर्ड वेक्यूम आयल कम्पनी ने "हाई स्पीड डीज़ल आयल" के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला तेल तैयार किया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** मेसर्ज़ स्टेन्डर्ड वेक्यूम आयल कम्पनी ने दावा किया है कि उन्होंने 'हाई स्पीड' डीज़ल आयल के स्थान पर प्रयोग किया जा सकने वाला तेल तैयार किया है, जिस के गुण की जांच इन्जन परीक्षण व सड़क परीक्षणों आदि के द्वारा भारतेय पेट्रोलियम संस्था द्वारा की जा रही है ।

चौथा इस्पात कारखाना

†१५२. **श्री न० म० देव :**
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोकारो में चौथे इस्पात कारखाने का निर्माण कब आरम्भ होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** बोकारो में परियोजना क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक बाह्य संसाधनों के प्राप्त हो जाने पर इस्पात संयंत्र का निर्माण किया जायेगा। इतने समय में स्थान की जांच और सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ किया गया है ।

सरकारी कर्मचारियों संबंधी विभिन्न नियमों का मुद्रण

†१५३. **श्री नेक राम नेगी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (१) असैनिक सेवा नियम, (२) बुनियादी नियम, (३) पेंशन नियम, (४) सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, (५) चिकित्सा नियम, और सरकारी कर्मचारियों से सम्बंधित अन्य नियम तथा विनियम समय समय पर संशोधनों को सम्मिलित करके बशर्ते कि उन में कोई संशोधन हुआ है, संशोधित रूप में नहीं छपते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन्हें न छापने के क्या कारण हैं, विशेष कर इस हालत में जबकि इन मे बहुत अधिक संशोधन होते हैं ;

(ग) उनके अन्तिम संस्करण कब छपे थे ; और

(घ) ३१ दिसम्बर, १९६१ तक हुए संशोधनों के साथ इन रचनाओं के संशोधित संस्करण जनता को किस तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध हो जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, नहीं। सामान्यतः इन नियमों का पुनर्मुद्रण किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) में लिखित नियमों और अन्य नियमों के पुनर्मुद्रण की स्थिति निम्न प्रकार है :

(१) असैनिक सेवा नियम---

संभवतः निर्देश उच्च असैनिक सेवा नियमों की ओर है---

२४ मार्च, १९५२ को पुनर्मुद्रण हुआ । इसके फिर पुनरीक्षण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वे भूतपूर्व राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किये गये अफसरों पर लागू होता है और संविधान के अनुच्छेद ३१४ के अधीन आता है ।

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५ के अधीन बनाये गये सभी नियमों का १ मई, १९६० को पुनमुर्द्रण हुआ ।

(२) मूलभूत नियम---

३१ दिसम्बर, १९५८ को पुनर्मुद्रण हुआ ।

(३) असैनिक सेवा विनियम---

वर्ष १९५० मे पुनर्मुद्रण हुआ ।

(४) केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियम---

वर्ष १९५५ में पुनर्मुद्रण हुआ ।

(५) चिकित्सा नियम---

वर्ष १९५३ मे पुनर्मुद्रण हुआ ।

(६) असैनिक सेवायें (अस्थायी सेवा) नियम---

वर्ष १९४९ में पुनर्मुद्रण हुआ ।

(७) सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय) सेवायें नियम, १९६०---

वर्ष १९६० में पुनर्मुद्रण हुआ ।

(८) केन्द्रीय असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम---

वर्ष १९५९ में पुनर्मुद्रण हुआ ।

(९) निवृत्ति-वेतन नियम---

वर्ष १९५० में पुनमुर्द्रण हुआ ।

(ख) अखिल भारत सेवायें अधिनियम, १९५१, केन्द्रीय सेवायें भविष्य निधि नियमों और केन्द्रीय असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमों के अधीन सभी नियमों का हाल ही मे पुनर्मुद्रण किया गया है और इसका उनके दुबारा मुद्रण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । अन्य नियमों के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :

मूलभूत नियम---

इन नियमों के पुनरीक्षण के बारे मे इस कार्य के लिये नियुक्त की गयी संहिताकरण समिति विचार कर रही है ।

निवृत्ति-वेतन नियम तथा असैनिक सेवा विनियम--

मूलभूत नियमों के पुनरीक्षण को अन्तिम रूप देने के बाद संहिताकरण समिति इन नियमों के पुनरीक्षण का कार्य संभालेगी ।

केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियम--

क्योंकि इन नियमों में बाद में अधिक संशोधन नहीं हुए अतः उन के पुनर्मुद्रण को आवश्यक नहीं समझा गया ।

चिकित्सा सेवा नियम--

इन नियमों के पुनरीक्षण पर स्वास्थ्य मंत्रालय विचार कर रहा है ।

केन्द्रीय असैनिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियम--

क्योंकि इन नियमों में बाद में अधिक संशोधन नहीं हुए अतः उनके पुनर्मुद्रण को आवश्यक नहीं समझा गया ।

आसाम में चीनियों तथा अन्य विदेशियों का अवैध प्रवेश

†१५४. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने चीनियों तथा अन्य विदेशी राष्ट्रजनो के आसाम मे घुसने पर कड़ी नज़र रखने के लिये एक निकाय स्थापित करने के लिये भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्योरा है ; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). पूर्व पाकिस्तान से पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के अवैध प्रवेश के विरुद्ध भारत-पाकिस्तान सीमा पर गश्त और देखभाल बढ़ाने के लिए और उन लोगों के विरुद्ध कार्यकारी कार्यवाही करने के लिये, जो वैध यात्रा कागजातों पर आसाम में आकर अपने आवास की अधिकृत अवधि समाप्त होने पर देश से नहीं जाते हैं, कुछ अतिरिक्त पुलिस कर्मचारियों की मंजूरी के लिये आसाम सरकार से एक प्रस्थापना प्राप्त हुई है । मामला विचाराधीन है ।

पैट्रोल का मूल्य

†१५५. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कुन्हन :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल के मूल्यों के बारे में आयल कम्पनियों के साथ कोई फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). सरकार ने १-१०-१९६१ से तेल मूल्य जांच समिति की सिफारिशें मान ली हैं। कथित समिति द्वारा सिफारिश की गयी वार्षिक १५ करोड़ रुपये की मूल्यों में कमी को खनिज तेल (उत्पादन और सीमा का अतिरिक्त मूल्य) अधिनियम, १९५८ के उपबन्धों के अधीन अतिरिक्त शुल्क लगा कर पूरा कर दिया गया है। उपभोक्ता मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सरकार के पक्ष में 'लागत और भाड़ा' के समायोजन के कारण अतिरिक्त शुल्क के पुनरीक्षण का प्रश्न और तेल मूल्य जांच समिति के प्रतिवेदन पर कम्पनी के विचार सरकार के विचाराधीन हैं।

भारत में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

†**१५६. श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी मास में बसिरहाट (जिला २४ परगना) सीमा पर, यात्रा सम्बन्धी मान्य-पत्रों के बिना भारत में घुसने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ग) इस मामले में और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जट-विमान इंजनों के निर्माता

†**१५७. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० ने पूर्णरूपेण भारत में बना टर्बो जेट विमान इंजन बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या लागत है और यह लागत ब्रिटेन में इसी प्रकार के इंजनों की उत्पादन-लागत से कम है या अधिक है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, सुरक्षित अधिकार वाले भागों और पुर्जों, जैसे ल्यूकस फ्यूल सिस्टम और रोटेक्स स्टार्टर्स को छोड़ कर जिनकी कीमत इंजन की कीमत का १० प्रतिशत है पूर्णतः कच्चे माल से आर्फियस ७०१ इंजन बनाने में सफल हो गया है।

(ख) उत्पादन की वास्तविक लागत का अनुमान कुछ इंजन बनने पर, उत्पादन स्थिर होने पर ही लगाया जा सकता है परन्तु इसके इसी तरह के ब्रिटिश इंजनों की लागत से कम होने की सम्भावना है।

बर्मा के सैनिक मिशन की भारत यात्रा

†**१५८. श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा का एक सद्भावना सैनिक मिशन जनवरी, १९६२ में भारत आया था;

---

†मूल अंग्रेजी मे

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमण्डल के साथ किस किस विषय पर विचार विमर्श किया गया; और

(ग) मिशन ने कौन कौन स्थान देखे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई ।

(ग) इकट्ठा दल के रूप में इस मिशन से कलकत्ता, दुर्गापुर, दिल्ली, आगरा, पूना और मद्रास का दौरा किया और छोटे छोटे दलों में कानपुर, देहरादून, जोधपुर, महू, बंगलौर, देवलाली, बम्बई और कोचीन का दौरा किया ।

भारतीय रुपये के सिक्कों का पिघलाया जाना

†**१५९. श्री प्र० चं० बरूआ**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में अनेक टन भारतीय रुपये के सिक्कों को पिघला कर नये सिक्के बनाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में भारतीय सिक्कों को इस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). अमरीका सरकार को, ऋण पट्टा करार के अधीन उस सरकार से ली गयी चांदी को वापस करने के लिये भारत के दायित्व की अंशतः पूर्ति के रूप में भारत सरकार ने अमरीका सरकार को वर्ष १९५७ में तुरीय चांदी के सिक्के[1] दिये थे जिनमें लगभग १२२० लाख 'फाइन औंस' चांदी थी । अमरीका सरकार द्वारा इन सिक्कों को गला कर धातु बनाने के लिये भारत सरकार को कोई सम्बन्ध नहीं है ।

कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी भत्ता

†**१६०. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, को, बोर्डिंग स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के लिए किये जाने वाले शिक्षा व्यय का कुछ भाग पूरा करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता देने की द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश के बारे में निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो निश्चय क्या है; और

(ग) निश्चय को लागू करने में और कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) १ मार्च, १९६२ से प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो प्रति मास ३४९ रुपये या इससे कम वेतन पाता है, और यदि उसका बच्चा या बच्चे उस स्थान से दूर, जहां वह रहता है, किसी मान्यता-प्राप्त स्कूल में पढ़ते हैं, तो वह सेकेन्डरी और हायर सेकेन्डरी कक्षाओं के लिये १५ रुपये प्रति बच्चा और प्रायमरी कक्षाओं के लिये १० रुपये प्रति बच्चा शिक्षा भत्ते के रूप में लेने का अधिकारी है परन्तु यह रकम ५० रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होगी । इस बारे में आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Quarternary Silver Coins.

(ग) इस बारे में ठीक अतिरिक्त व्यय का अनुमान लगाना कठिन है परन्तु इसके ५० लाख रुपये प्रति वर्ष होने की आशा है ।

निसान पैट्रोल गाड़ी[1]

†१६१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर के आयुध कारखाने ने जोंगा नामक निसान पेट्रोल गाड़ियां बनाना आरम्भ कर दिया है जो पहाड़ी प्रदेशों में प्रयोग होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका लागत-मूल्य क्या है; और

(ग) जबलपुर कारखाने की इस प्रकार की जीपों के उत्पादन की कितनी क्षमता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी, हां । तीन आद्यरूप बनाये गये हैं । भारी मात्रा में निर्माण मई, १९६२ के आरम्भ में शुरू किया जायेगा ।

(ख) निसान पेट्रोल जीप की अनुमानित निर्माण लागत १२,००० रुपये है। वास्तविक लागत पहली कुछ सौ जीपें बनने के बाद ही बतायी जा सकती है ।

(ग) इस समय प्रति मास १२५ जीप बनाने का लक्ष्य है, इस को बाद में प्रति मास २५० जीपें कर दिया जायेगा ।

दिल्ली में कोयले की कमी

†१६२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिदम्बर, १९६१ और जनवरी, १९६२ में दिल्ली में कोयले की बहुत कमी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कमी के दिनों में कोयला और ईंधन-वस्तुएं बहुत अधिक मूल्य पर बेचे गये थे ;

(घ) यह कमी कितने समय तक रही; और

(ङ) क्या मूल्य अभी तक घट कर उतने नहीं हुए हैं जो कि कमी होने से पहिले इन वस्तुओं के थे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). दिल्ली के लिये कोयले का मासिक आवंटन २५ ब्लाक रेक अर्थात् १८७५ वैगन है । इस आवंटन पर २१ रेक अर्थात् १५७५ वैगन दिसम्बर, १९६१ में आये १८ $^{1}/_{2}$ रेक अर्थात् १४८५ वैगन जनवरी, १९६२ में । पूरा संभरण न किये जाने का कारण ठंडा मौसम और असामान्य धुन्ध पड़ना और दिसम्बर में आपातकालीन संभरण है जिससे रेलवे के कार्य पर असर पड़ा । तथापि, फरवरी म नियमित रूप से संभरण हुआ । इस प्रकार दिल्ली में कोयल को कमी को गम्भीर नहीं कहा जा सकता ।

(ग) से (ङ). कोयला खानों से आने वाले कोयले और कोक के मूल्यों पर कोयला-खान नियंत्रण आदेश के अधीन नियंत्रण किया जाता है और जहां इस आदेश के उल्लंघन के मामलों का पता चलता है, अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस समय कोयला और कोक नियंत्रित मूल्य पर बेचा जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Nishan Patrol Vehicles.

कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें

†१६३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतानें कि कृपा करेंगे कि :

(क) कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों की स्थाप्ना के पश्चात् उनके मंत्रालय के अधीन विभागों की इन परिषदों द्वारा, वर्षवार कितनी सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) उनमें से कितनी सिफारिशों को कार्यन्वित किया गया है ;

(ग) कितनी सिफारिशें एक वर्ष से अधिक समय तक लम्बित रखी गई हैं; और

(घ) सम्बद्ध विभागों द्वारा कितनी सिफारिशें अस्वीकार की गई हैं और उनके अस्वीकार किये जाने के क्या कारण थे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४४]**

कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें

†१६४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों की स्थापना के पश्चात् उनके मंत्राल के अधीन विभागों की इन परिषदों द्वारा, वर्ष वार, कितनी सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) उन में से किनको सिफारिशें को कार्यान्वित किया गया है ;

(ग) कितनी सिफारिशें एक वर्ष से अधिक समय तक लम्वित रखी गई हैं ; और

(घ) संबद्ध वियागों द्वारा कितनी सिफारिशें अस्वीकार की गई हैं और उनके अस्वीकार किये जाने के क्या कारणे थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है । **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५]**

कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें

†१६५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों की स्थापना के पश्चात् उनके मंत्रालय के अधीन विभागों की इन परिषदों द्वारा , वर्षवार कितनी सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) उन में से कितनी कार्यान्वित की गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशें एक वर्ष से अधिक समय तक लम्वित रखी गई हैं, और

(घ) कितनी सिफारिशें संबद्ध विभागों द्वारा अस्वीकार करा दी गई हैं और अस्वीकार करने के क्या कारण थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पल रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट, १ अनुबन्ध संख्या ४६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें

†१६६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों की स्थाप्ना के पश्चात् उनके मंत्रालय के अधीन विभागों की इन पि षदों द्वारा वर्ष वार, कितनी सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) उनमे से कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं;

(ग) कितनी सिफारिशें एक वर्ष से अधिक समय के लिये लम्बित रखी गई हैं, और

(घ) संबद्ध विभागों द्वारा कितनी सिफारिशें अस्वीकार की गई है और उनके अस्वीकार किये जाने के क ा कारण थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :**

(क) वर्ष	की गई सिफारिशों की संख्या
१९५५	८
१९५६	३
१९५७	९
१९५८	१०
१९५९	४
१९६०	३
१९६१	७
कुल	४४

(ख) २९.

(ग) १. अधिक व्यय को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ श्रेणी के सभी सरकारी क्वार्टरों में बिजली के पंखे लगाने की सिफारिश अस्थगित कर दी गयी है ।

(घ) १४.

अस्वीकार करन के प्रमुख कारण

ये सिफारिशें नि:शुल्क आवास, मकान किराये में कमी, नि:शुल्क शिक्षा, चतुर्थ श्रेणो के सभी कर्मचारियों के लिये दो कमरे वाले मकान, दफ्तरियों को विशेष वेतन, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के हिन्दी कक्षाओं में शामिल होने की व्यवस्था, कनिष्ठ कर्मचारी परिषद के मंत्री को गणतंत्र दिवस के पास जारी करना और रात्रि की सेवा में और रविवार को और अन्य राजपत्रित छट्टियों के दिन दफ्तरियों के लगाने के बारे में थीं । इन पर सम्बन्धित मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया परन्तु वित्तीय ओर प्रशासनीय कारणों से इनको स्वीकार नहीं किया जा सका ।

†मूल अंग्रेजी में

कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें

†१६७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों से लेकर उनके मंत्रालयाधीन विभागों के इन परिषदों द्वारा, वर्षवार कितनी सिफारिशें की गई हैं;

(ख) उनमें से कितनी सिफारिशें अस्वीकार की गई हैं,

(ग) कितनी सिफारिशें एक वर्ष से अधिक समय तक लम्बित रखी गई हैं, और

(घ) संबद्ध विभागों द्वारा कितनी सिफारिशें अस्वीकार की गई हैं और उनके अस्वीकार किये जाने के क्या कारण थे ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क), (ख) और (घ). स्थिति निम्न प्रकार है :

वर्ष	की गयी सिफारिशें	क्रियान्वित की गयी सिफारिशें	क्रियान्वित नहीं की गयी सिफारिशें
	(क)	(ख)	(ग)
१९५५ .	५	४	१
१९५६ .	३	२	१
१९५७	७	७	–
१९५८ .	६	५	१
१९५९	१४	१२	२
१९६०	१२	८	४
१९६१ .	१६	९	७
कुल	६३	४७	१६

कोई भी सिफारिश अस्वीकार नहीं की गयी । परन्तु वर्ष १९५८ की एक सिफारिश एक व्यक्तिगत मामले से सम्बन्धित थी और इसलिये यह कर्मचारी परिषद में नहीं आती । बाकी कालम (घ) में १५ सिफारशों में से —

(१) छः सिफारिशें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त बनाने और छुट्टियों की रिक्तता में स्थापना नियुक्ति के बारे में थीं । उस समय लागू आदेशों के अधीन ऐसे पद बनाया जाना और नियुक्तियां किया जाना निषिद्ध था ।

(२) तीन सिफारिशें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निःशुल्क आवास दिये जाने के बारे में थीं जिसके विरूद्ध भी सरकार के विशिष्ट आदेश लागू होते थे ।

(३) छः सिफारिशें छाता, बाइसिकल, वर्दियां, धुलाई भत्ता आदि देने और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दफ्तर आने पर प्रतिदिन उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर न करने की छट देने के बारे में थीं । क्योंकि इन मामलों पर सरकार के आदेशों में निहित विशिष्ट नीति निर्णय लागू होते थे, हम उनको विषयों से सम्बन्धित मंत्रियों की सहमति के बिना स्वीकार या क्रियान्वित नहीं कर सकते थे ।

(ग) कोई नहीं

†मूल अंग्रेजी में

कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें

†१६८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों की स्थापना के पश्चात् उन के मंत्रालय के अधीन विभागों में इन परिषदों द्वारा, वर्षवार, कितनी सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) उन मे से कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशें एक वर्ष से अधिक समय तक लम्बित रखी गई हैं ; और

(घ) कितनी सिफारिशें सम्बद्ध विभागों द्वारा अस्वीकार कर दी गई हैं और उन के अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) से (घ). क्योंकि ये परिषदें वर्ष १९५४ से अस्तित्व में हैं इस जानकारी को एकत्र करने में जो समय अथवा श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें

†१६९. **श्री प्र० चं०बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों की स्थापना के पश्चात् उन के मंत्रालय के अधीन विभागों में इन परिषदों द्वारा, वर्षवार, कितनी सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) उनमें से कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशें एक वर्ष से अधिक समय तक लम्बित रखी गई हैं ; और

(घ) कितनी सिफारिशें सम्बद्ध विभागों द्वारा अस्वीकार की गई हैं और उन के अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट, १, अनुबन्ध संख्या ४७]**

दिल्ली में जामा मस्जिद के समीप विस्फोट

†१७१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जामा मस्जिद के पास चितली कबर मे एक मकान में १९ जनवरी १९६२ को एक भयानक विस्फोट हुआ ;

(ख) क्या उस के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १९ जनवरी, १९६२ को लगभग सायं ८ बजे चितली कबर बाजार, दिल्ली मे एक पटाखा फटा । कोई भी घायल नहीं हुआ ।

(ख) और (ग) । मामले की जांच की जा रही है ।

कोयला खानें

†**१७२. श्री प्र० गं० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २७ फरवरी १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र ने नई क्षेत्रों में कोयला खानों का विकास करने की दिशा में क्या अग्रेतर प्रगति की है ; और

(ख) जिन फर्मों या कंपनियों को खनन के पट्टे दिये गये हैं उन का पूरा ब्योरा क्या है और उन के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) यह बताया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानें नये क्षेत्रों के विकास के लिये वे अवकाश पग उठा रही है जिन के अधीन उन को कार्य करने की अनुमति दी गयी है । इन पगों मे खनन पट्टे का क्रियान्वयन, जहां आवश्यक हो, खोज और छिद्रण, खान परियोजनायें तैयार करना और खान उपकरणों का प्राप्त करना । इन प्राथमिक कार्यों के पूरा हो जाने पर वास्तविक विकास आरम्भ किये जाने की आशा है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिस में पट्टेधारी पक्षों का पूरा विवरण है । [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ४८**] । इन पत्रों को खनन पट्टा, जहां सार्वजनिक हित मे यह आवश्यक समझा गया, गैर-सरकारी क्षत्रों के विस्तार की अनुमति देने के लिये सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार दिया गया ।

समवायों द्वारा नियमित पुंजी

†**१७३. श्री प्र० गं० देव** : क्या **वित्त** मंत्री ४ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर १९६१ से बहुत से समवायों को पूंजी जारी करने की अनुमति दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, सितम्बर १९६१ से फरवरी १९६२ तक प्रत्येक समवाय को कितनी पूंजी जारी करने की अनुमति दी गई थी तथा इस के क्या कारण थे और इस का क्या उद्देश्य था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख)। १ सितम्बर, १९६० और २८ फरवरी, १९६२ के बीच १९० समवायों को पूंजी जारी करने की अनुमति दी गयी । ब्योरे का विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्य ३५६४–६२**]

हैलीकाप्टर

†**१७४. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैलीकाप्टर और दूसरी किस्म के विमान बनाने के लिये भारतीय विमान बल का एक डिपू चंडीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) उस की कितनी प्रत्याशित उत्पादन क्षमता होगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). भारत में हेलीकाप्टरों के निर्माण करने का प्रस्ताव है । इस बारे मे कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं । क्योंकि ये प्रस्ताव अभी प्राथमिक प्रक्रम में हैं, इस परियोजना के बारे में कोई ब्योरा बताना संभव नहीं हैं ।

भारतीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की पुस्तकें

†**१७५. श्री अगाड़ी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** २३ नवंबर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ से वर्षवार तथा देशवार, भारतीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाली पुस्तकों और पांडुलिपियों का अध्ययन करने के लिये कितने छात्र विदेशों में भेजे गये थे ;

(ख) क्या किन्हीं महत्वपूर्ण और मूल्यवान पुस्तकों तथा पांडुलिपियों का अधिग्रहण किया गया है या उन की प्रतियां ली गई हैं तथा भारत लाई गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो १९५७-५८ से, वर्षवार और देशवार ऐसी कितनी पुस्तकें अथवा पांडुलिपियां भारत लाई गई हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) वर्ष १९५७ से ७५ छात्र और लेखक भेजे गये परन्तु उन के अध्ययन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुकल नहीं होगा ।

(ख) जी हां ।

(ग) पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है । परन्तु वर्ष १९६०-६१ के दौरान तिब्बत से ४६ पुस्तकें (२८० खंडों में) प्राप्त की गयीं और वर्ष १९६१-६२ में कम्बोडिया से त्रिमिताकास के ९ खंड प्राप्त किये गये ।

लाहौल और स्पिती

†**१७६. श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ में लाहौल और स्पिति में किस योजनाओं के लिये कितनी राशि दी गई है तथा १९६२-६३ मे कितनी राशि दी जाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : पंजाब में लाहौल के सीमावर्ती जिलों के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित खर्च की योजनायें मंजूर की गई हैं :—

१९६१–६२ .	२२.८६४ लाख रुपये ।
१९६२–६३ .	२०.९०४ लाख रुपये ।

त्रिपुरा में निर्धन विद्यार्थियों को वृत्तिकाएं

†१७७. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के मैट्रिक से पहले, यूनिवर्सिटी से पहले तथा स्नातकोत्तर निर्धन विद्यार्थियों की संख्या क्या है, जो सरकार से वृत्तिकायें तथा भत्ते प्राप्त कर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ; 215

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) औसतन प्रत्येक विद्यार्थी को कितने रुपये मासिक की यह सहायता दी जाती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). त्रिपुरा प्रशासन से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसूर भूमि सुधार विधेयक

†**१७८. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत की संयुक्त रोपनकर्ता संथा और मैसूर राज्य रोपन कर्ता संथा ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है जिस म उन से प्रार्थना की गई है कि वह मैसूर भूमि सुधार विधेयक १९६१ के लिये अपनी अनुमति रोक दें ;

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य आपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उन आपत्तियों के बारे में सरकार का सुनिश्चित मत क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) आपत्ति बागान कम्पनियों और अन्य बागमालिकों के भूमि के माप पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बारे में थी ।

(ग) ज्ञापन मे जो आपत्तियां उठाई गई थीं, वे विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति रोके जाने के औचित्य के लिये पर्याप्त नहीं थीं ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

†**१७९. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के कार्यान्वय के बाद से अब तक सरकारी कार्यालयों में कितने अपर डिवीजन क्लर्क पदोन्नति दे कर असिस्टेन्ट बनाये गये ;

(ख) भाग (क) में उल्लिखित संख्या इसी अवधि में केन्द्रीय सचिवालय मे सीधी भर्ती के जरिये भरे गये असिस्टेंट के पदों की संख्या के कितनी प्रतिशत है ;

(ग) क्या मूल योजना के अन्तर्गत यह सोचा गया था कि केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में असिस्टैन्ट के ५० प्रति शत स्थान पदोन्नति दे कर और ५० प्रतिशत स्थान नई नियुक्तियों के जरिये भरे जायेंगे ; और

(घ) इस समय असिस्टैन्ट के कितने पद रिक्त हैं और वे किस तरीके से भरे जायेंगे?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें स्थिति बतायी गयी है। [**देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९**]

टी एसोसियेशन आफ इंडिया, कलकत्ता को कर की छूट

†**१८०. श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टी एसोसियेशन आफ इंडिया, कलकत्ता ने चार महीने पूर्व संघ सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें कर की कुछ छूट देने की प्रार्थना की गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी विशिष्ट मांगें क्या थीं; और

(ग) सरकार ने उनपर क्या निर्णय किया?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी, हां।

(ख) जो विशिष्ट मांगें की गयी; वे निम्न प्रकार है:

(१) पकेज चाय को छोड़ कर सभी किस्म की चाय पर आसाम भाड़ा कर पश्चिम बंगाल प्रवेश कर और चाय उपकर को चाय पर केंद्रीय उत्पादन-शुल्क मे मिला दिया जाये।

(२) विभिन्न करों को निम्नलिखित आधार पर मिलाया जाये—

(१) दार्जलिंग और कछार क्षेत्रों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रत्येक जोन से इकट्ठा की जाने वाली धनराशी के आधार पर उत्पादन-शुल्क की दर निर्धारित की जावे।

(२) 'इकट्ठा' उत्पादन शुल्क बकाया के रूप मे दिया जाये।

(३) निर्यात शुल्क में कमी अथवा प्रयोगात्मक आधार पर इसको हटाये जाने से निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

(ग) भारत सरकार समझती है कि आसाम भाड़ा कर की वधि बढ़ाई नहीं जा रही है। अन्य प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति

१८१. श्री भक्त दर्शन : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री ८ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) : केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने ग्यारह सिफारिशें की थीं, जिनमें से चार (चौथी, छटीं तथा दसवीं) सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं, तथा शेष सात विचाराधीन हैं।

राजभाषा

१८२. श्री भक्त दर्शन : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री ८ दिसम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१७ के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि राजभाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने जो आदेश दिये थे उनमें से प्रत्येक के बारे में क्या प्रगति हुई है और विभिन्न मन्त्रालयों ने उन पर कहां तक अमल किया है तथा उन विभिन्न आदेशों का पालन कराने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिय परिशिष्ट १, अनबन्ध संख्या ५०]**

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशनें

१८३. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री ८ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की दर बढाने के बारे में जो निश्चय ३१ दिसम्बर, १९६० का किया गया था उसे क्रियान्वित कराने की दिशा में इस बीच और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) सब भूतपूर्व सैनिकों को उन बढ़ोतरियों के लाभ देर से देर कब तक मिल जाने की आशा की जाती है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) २८ फरवरी, १६६२ तक की स्थिति के अनुसार प्रति रक्षा लेखा नियन्त्रक (पेन्शन), इलाहाबाद ने १४६८२७ विभिन्न मामलों में निवृत्ति वेतन मे अस्थायी वृद्धि में बढ़ौती की स्वीकृति दे दी थी। उस तिथि को उसके कार्यालय मे १०१७५ विभिन्न मामले निरीक्षण के विभिन्न स्तरों पर थे । यह स्वीकृतिएं वह वास्तविक अदायगियां करने के लिये अधिकृत प्रमाण-पत्र हैं, जो पेन्शनें अदा करने वाले अधिकारियों द्वारा, सेवानिवृत्त व्यक्तियों को देश भर में की जाती हैं, और की जायेंगी। इनके अतिरिक्त जैसे २३-११-६१ को उत्तर दये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ के उत्तर में पहले बताया जा चुका है सामान्य स्वीकृतियों द्वारा पेन्शन आ करने वाले अधिकारियों को पेन्शनरों की कई श्रेणियों के विषय में, अपने आप पेन्शन अदा करने का अधिकार दे दिया गया है। प्राप्य सूचना के अनुसार, पेन्शन अदा करने वाले अधिकारियों ने, नवम्बर, १६६१ के अन्त तक, ६७५०२ पेन्शनरों को पेन्शन अदा कर दी है। २८-२-६२ तक की स्थिति के अनुसार प्रतिक्षा लेखा नियन्त्रक ने विभिन्न स्वीकृतियों के अधीन दी गई, संशोधित अस्थायी वृद्धियों पर आधारित, ४५६८३ विभिन्न मामलों में की गई पहली अदायगियों की, लेखा निरीक्षण में जांच पड़ताल भी कर ली है।

(ख) उन पेन्शनरों की बहुसंख्या के देखते हुए, कि जिन्ह लाभ हुआ है, और इस बात को भी ध्यान मे रखते हुए, कि विभिन्न श्रेणियों के पेशन अदा करने वाले अधिकारी, जैसे कि पोस्ट मास्टर, अफसर खज़ाना, और पेन्शन पेमास्टर, देश भर में फैले हुए हैं, इस समय यह बता पाना सम्भव नहीं है, कि इस मामले मे सरकारी आदेशों को किस तिथि तक पूरी तरह कार्यान्वित किया जा सकेगा। तदपि, सम्बन्धित मामलों को शोघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए, प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्रतिरक्षा लेखा नियन्त्रक (पेन्शन), इलाहाबाद ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के मुख्य मन्त्रियों को लिखा पढ़ी की है, और अफसर-खज़ानों तथा पोस्ट मास्टरों को भी।

कोयला उद्योग

†१८४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग को बिजली की कमी महसूस हो रही है और इस उद्योग के विस्तार को देखते हुए, यह कमी और भी महसूस होगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध मे क्या कदम उठाने का इरादा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). इस समय एक अध्ययन दल तृतीय योजना में कोयला खान उद्योग के लिये बिजली की आवश्यकता और इसको पूरा करने के तरीके का पता लगा रहा है। यह दल इस महीने के अन्त मे अपना प्रतिवेदन दे देगा।

व्यवहार न्यायालय की डिग्री से कुर्क किये जा सकने वाले वेतन की अधिकतम सीमा

†१८५. **श्री नेकराम नेगी** : क्या **विधि** मन्त्री ६ सितम्बर, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यवहार न्यायालय की डिग्री के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारिषों के कुर्क किये जा सकने वाले वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ाने के बारे में क्या इस बीच निर्णय कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस असाधारण विलम्ब के, खासकर जबकि कई सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन में महंगाई वेतन मिला देने के कारण हानि उठानी पड़ रही है, क्या कारण हैं; और

(घ) १०० रुपये की जो सीमा है वह कब तक बचा कर ३०० रुपये कर दी जायेगी (जैसा कि तपेदिक के रोगियों के आहार-शुल्क के सम्बन्ध मे किया गया है) और क्या यह सीमा उन लोगों के लिये भी होगी जिनका वेतन ३०० रुपये से कम है और जिनका वेतन इस समय कुर्क है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (घ) . ९ सितम्बर, १९६० को प्रश्न संख्या १२५१ का उत्तर देते समय यह बताया गया था कि यह मामला विधि आयोग को विचारार्थ सौंपा गया है । तब से विधि आयोग ने समूची असैनिक प्रक्रिया संहिता पर एक प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया और उसको विचारों के लिये राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित निकायों में परिचालित किया गया । प्रारूप प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ साथ असैनिक प्रक्रिया संहिता की धारा ६० में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि वेतन की कुर्की के लिये छूट की सीमा को १०० से बढ़ा कर १५० कर दिया जाये । क्योंकि यह विषय समवर्ती सूची का है, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करना आवश्यक है और राज्य सरकारों के विचार प्राप्त होने पर इस मामले में और इस अन्य प्रश्न पर कि क्या असैनिक प्रक्रिया संहिता की धारा ६० का संशोधन करने के लिये पृथक विचार बनाया जाये, निर्णय किया जायेगा ।

सूरत के पास प्राकृतिक गैस

†१८६. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ मार्च, १९६२ को या इसी तारीख के आसपास सूरत से लगभग १५ किलोमीटर की दूरी पर एल्पाड़ के निकट प्राकृतिक गैस मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां गैस कितनी मात्रा में मिल सकेगी इसका अनुमान लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) २ मार्च, १९६२ को पानी के लिये एक नलकूप खोलते समय ओलाड़ में दबाव के नीचे गैस पायी गयी ।

(ख) क्योंकि इस कुएं का लक्ष्य मुख्यत: पानी था और गैस अथवा तेल नहीं, इसका गैस के लिये परीक्षण नहीं किया गया । एक अन्य गहरे कुए में गैस का पता लगाने का प्रस्ताव है ।

अंकलेश्वर का तेल

†१८७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंकलेश्वर में अब तक तेल के कुल कितने कुओं का छिद्रण किया गया है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में वहां कितने कुओं का छिद्रण किया जाने वाला है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उनमें से कितने कुओं में (१) तेल (२) गैस मिला और कितने सूखे पाये गये;

(घ) विभिन्न तेल-शोधक कारखानों को अब तक साफ करने के लिये अब तक कुल कितना तेल भेजा जा चुका है ; और

(ङ) अंकलेश्वर के अशोधित तेल को साफ करने की वर्तमान व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) १२–३–१९६२ तक ३४ कुएं।

(ख) १२४।

(ग) छिद्रण किये गये ३४ कुओं में से ३० तेल देने वाले हैं और ४ सूखे हैं।

(घ) ७–३–१९६२ तक २६,००९।

(ङ) इस समय अंकलेश्वर से कच्चा तेल बर्मा शैल और स्टैनवैक तेल शोधक कारखानों, बम्बई में साफ करने के लिये रेल द्वारा भेजा जाता है।

खम्भात और कलोल क्षेत्र में तेल की खोज

†**१८८. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खम्भात और कलोल तेल-क्षेत्र में तेल की खोज की प्रगति के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: आयोग ने अभी तक कैम्बे क्षेत्र में २५ कुएं और कलोल क्षेत्र में ३ कुए खोदे हैं।

कोयला और कोक की गैस बनाना

†**१८९. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद के निकट दिगवाडीह में स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था में कोयले और कोक से गैस बनाने के लिये एक अग्रिम संयंत्र स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कीमत क्या है; और

(ग) इस संयंत्र के प्रमुख पहलू क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) यह संयंत्र टैक्निकल सहयोग मिशन सहायता कार्यक्रम के अधीन लिया गया है और इसकी कीमत ५.३५ लाख अमरीकी डालर है।

(ग) इस संयंत्र में (१) अधिक राख बनाने वाले तान-कोकिंग कोयले, लिग्नाइट, लिग्नाइट ब्रिकेट्स अथवा वशरी मिडलिंग के प्रति घंटा ०.८ टन गैस बनाने के लिये गैस बनाने की मशीन; (२) प्रति घंटा २०० टन मीटर की क्षमता का लिन्डे आक्सीजन संयंत्र, (३) हाई प्रेशर (६०० पौंड वर्ग इंच) बोयलर, (४) कारबन डाय-आक्साइट दूर करने वाला संयंत्र और (५) 'इनआर्गनिक' और आर्गनिक सल्फर कम्पाण्ड्स और गोंद बनाने वाले पदार्थ को दूर करने के लिये सफाई संयंत्र (प्यूरीफिकेशन प्लाण्ट्स)

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान को कोयले का निर्यात

†१९०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर और दिसम्बर, १९६१ में पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में कोयले का निर्यात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) किन शर्तों पर ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) भारत-पाकिस्तान व्यापार करार (१९६०–६२) में प्रतिमास पाकिस्तान को १३०,००० टन कोयले के निर्यात की व्यवस्था है। इस करार के अनुसार, नवम्बर, और दिसम्बर, १९६१ में क्रमश: १०१,५२७ टन और ८५,४३९ टन कोयले का निर्यात किया गया।

दिल्ली में अन्धों की शिक्षा

†१९१. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में अन्धों की देखभाल और शिक्षा के लिये कुल कितनी संस्थायें हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन संस्थाओं में से प्रत्येक को किस प्रकार का अनुदान अथवा सहायता दी जा रही है और उसकी राशि कितनी है ;

(ग) क्या सरकार के पास अनेक गैर-सरकारी संस्थाओं के स्थान पर या उन्हें सहायता देने हेतु अन्धों के लिये एक सुसज्जित संस्था की स्थापना की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में लौह अयस्क

†१९२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के तोमका दायतारी क्षेत्र में लौह अयस्क निकालने की एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना क्या है ;

(ग) क्या योजना के खनन सम्बन्धी हिस्से को तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में शीघ्र कार्यान्वय के लिये स्वीकृति दे दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस योजना के शीघ्र कार्यान्वय के लिये भारत सरकार उड़ीसा सरकार को किस हद तक सहायता देगी; और

(ङ) क्या योजना आयोग इस योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये सहमत हो गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना में वर्ष १९६४–६५ तक २० लाख टन के वार्षिक उत्पादन के लिये तोम्का-दैतारी क्षेत्र में लौह-अयस्क निक्षेपों के विकास की व्यवस्था है।

(ग) योजना आयोग ने इन शर्तों पर (१) कि राज्य सरकार अपने समूची अधिकतम सीमा में योजना को स्थान दे (२) रेलवे इस क्षेत्र से फालतू उत्पादन को कलकत्ता अथवा विशाखापत्तनम के जरिये प्रदीप पत्तन तक ले जायें और (३) खनन परियोजना क्रियान्वित करने के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, योजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

(घ) राज्य सरकार ने भारत सरकार से अपेक्षित सहायता के बारे में नहीं बताया है।

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) में निहित शर्तों पर योजना आयोग ने सिद्धान्त रूप में योजना को स्वीकार कर लिया है।

तीसरे वित्त आयोग का प्रतिवेदन

†१९३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वित्त आयोग ने सरकार को अब अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी योजना मे उड़ीसा राज्य को आर्थिक सहायता देने के बारे में आयोग ने क्या सिफारिश की है ;

(ग) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या भारत सरकार उन सिफारिशों को संपूर्णतः कार्यान्वित करने के लिये सहमत हो गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयोग की सिफारिशें इसके प्रतिवेदन के चैप्टर ८ में दी गयी हैं जो १२ मार्च, १९६२ को सभा पटल पर रखा गया था।

(घ) आयोग की सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन के साथ परिचालित किये गये व्याख्यात्मक ज्ञापन में दी गयी हैं।

आम चुनावों के आंकड़े

१९५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे आम चुनावों में कितने लोगों ने मत दिये;

(ख) यह संख्या पिछले चुनावों में मत देने वाले लोगों की राज्यवार संख्या की तुलना में कैसी है ; और

(ग) तीसरे आम चुनावों में अवैध मतपत्रों की संख्या कितनी है और पिछले आम चुनावों में अवैध मतपत्रों की तुलना में यह कैसी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) से (ग). तीसरे आम चुनाव अभी समाप्त ही हुए है, बल्कि अभी भी कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान केवल अप्रैल, १९६२ में होने वाले हैं। जो जानकारी मांगी गई है वह तुरन्त उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है।

इस्पात का उत्पादन

†१९६. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में ३ इस्पात संयंत्रों में से प्रत्येक में इस्पात का वर्तमान उत्पादन क्या है ;

(ख) क्या इन इस्पात संयंत्रों में सभी यूनिटों में उत्पादन हो रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) पिछले तीन महीनों में तीनों सरकारी क्षेत्रीय इस्पात संयंत्रों में इस्पात के पिण्डों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

(मीट्रिक टन)

	दिसम्बर, १९६१	जनवरी, १९६२	फरवरी १९६२
भिलाई	६७,२५०	८५,३००	६९,०००
रूरकेला	३८,५०१	३८,६९७	३४,०९४
दुर्गापुर . . .	४२,०१५	५२,०८३	४५,०१६

(ख) और (ग). ३ होट डिप टिनिंग लाइनों और तीसरी कोक ओवन बैटरी के अतिरिक्त रूरकेला इस्पात संयंत्र के सभी यूनिट लागू हो गये हैं। टिनिंग संयंत्र की तीन लाइनें बन गई हैं और चालू हो गई हैं। बाद में बाकी तीन लाइनों का भी कमावेश दिया गया और वे लगाई जा रही हैं। तीसरी कोक ओवन बैटरी इस कारण चालू न की जा सकी कि इस समय चालू दो बैटरियां चालू दो धमन भट्टियों के लिये आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त कोयला पैदा कर सकती हैं। पहली धमन भट्टी के पुनः चालू होने से पूर्व, जिसकी अब मरम्मत की जा रही है, यह बैटरी भी चालू हो जायेंगी ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के तीसरी कोक ओवन बैटरी तीसरी धमन भट्टी और पहिये और धुरे संयंत्र के अतिरिक्त सभी यूनिट चालू हो गये हैं। इन यूनिटों में उत्पादन आरम्भ होने विलम्ब मुख्यतः वर्ष १९५८ में इस क्षेत्र में असामान्य वर्षा है जिससे समय लक्ष्य में परिवतन करना आवश्यक हो गया और पहिये और धुरे संयंत्र में पुनरीक्षण भी एक कारण है । भिलाई इस्पात संयंत्र में सभी यूनिट चालू कर दिये गये हैं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

लेखा परीक्षा, रेलवे, विनियोग लेखे, रेलवे इत्यादि जीवन बीमा निगम अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन रेलवे, १९६२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) वर्ष १९६०-६१ के विनियोग लेखे, रेलवे, भाग १—समीक्षा

(तीन) वर्ष १९६०-६१ के विनियोग लेखे, रेलवे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ।

(चार) खण्ड लेखे (ऋण लेखों के बारे में जो पूंजी विरणों सहित) संतुलन-पत्र, और हानि तथा लाभ का लेखा, रेलवे, १९६०–६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० ३५५३/३२]

(२) जीवन बीमा निगम एक्ट, १९५६ की धारा ४३ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १० मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २८५ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० ३५५६/६२]

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक २० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५३१ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(दो) दिनांक २७ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० ११४ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (चौथा संशोधन) नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५५७/६२]

निम्न लिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनीज अधिनियम १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये राष्ट्रीय खनिज पदार्थ निगम लि०, नई दिल्ली की वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० ३५४५/६२]

अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन का शुद्धिपत्र ; प्राक्कलन समिति के प्रतिवदन पर की गई कार्यवाही को दिखाने वाला विवरण

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : म निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग का प्रतिवेदन का शुद्धि-पत्र ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० ३५५८/६२]

(दो) प्राक्कलन समिति के बानवेंवें प्रतिवेदन के पैरा २८ में की गई सिफारिश के अनुसरण में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय और डाक तथा तार महानिदेशालय में वर्ष १९५९ और १९६० में भर्ती पर किस हद तक रोक लगायी गयी है यह दर्शाने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखियें संख्या एल० टी० ३५५९/६२]

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यासधारियों का प्रतिवेदन

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : मैं वर्ष १९६०–६१ के लिये भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यासधारियों के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५४६/६२]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३–ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यातप्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रख रहा हूं :

(क) दिनांक २४ फरवरी, १९६२ की जी ० एस० आर० संख्या २३७ ।

(ख) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २६८ ।

(ग) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २६९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५६०/६२]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २४ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २३२ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम १९६२ ।

(ख) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६६ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम १९६२ ।

(ग) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल०टी० ३५४१/६२]

(९) समुद्र सीमाशुल्क एक्ट १८७८ की धारा ४३–ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४२३ ।

(ख) दिनांक २ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४२४ ।

(ग) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९८ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) दिनांक २३ दिसम्बर, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या १४६६ ।

(ङ) दिनांक ३० दिसम्बर, १६६१ की जी० एस० आर० संख्या १५२० ।

(च) दिनांक ६ जनवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या २५ ।

(छ) दिनांक २० जनवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या ८६ ।

(ज) दिनांक २० जनवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या ८७ ।

(झ) दिनांक २७ जनवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या १०३ ।

(ट) दिनांक २७ जनवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या १०४ ।

(ठ) दिनांक ३ फरवरी, की जी० एस० आर० संख्या १३० ।

(ड) दिनांक ३ फरवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या १३१ ।

(ढ) दिनांक ३ फरवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या १३२ ।

(ण) दिनांक १७ फरवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या १६१ ।

(त) दिनांक १७ फरवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या १६७ ।

(थ) दिनांक १७ फरवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या १६८ ।

(द) दिनांक १७ फरवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या १६६ ।

(ध) दिनांक १७ फरवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या २०० ।

(न) दिनांक १७ फरवरी, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या २०१ ।

(प) दिनांक ३ मार्च, १६६२ की जी० एस० आर० संख्या २७२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० ३५५२/६२]

पत्नियों तथा बच्चों का भरण पोषण (वेतन से कटौती की दर) विनिमय

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं नौ सेना अधिनियम, १६५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत दिनांक १० मार्च, १६६२ की एस० आर० ओ० संख्या ८६ द्वारा संशोधित दिनांक १० फरवरी, १६६२ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४६ में प्रकाशित पत्नियों तथा बच्चों का भरण-पोषण (वेतन से कटौती की दर) विनियम, १६६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५५१–६१]

डाक बचत प्रमाण पत्र (प्रथम संशोधन) नियम भारत सरकार और फिनलैंड गणतंत्र के बीच दोहरे करारोपण से बचने के लिये करार

वित्त उपमंत्री (श्रीमती नारकेश्वरी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी हूं :—

(एक) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, १६५६ की धारा १२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २७ जनवरी, १६६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस०

†मल अंग्रेज़ी में

आर० १०२ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (पहला संशोधन) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल०टी० ३५६२/६२]

(दो) दिनांक ४ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४१ में प्रकाशित भारत सरकार और फिनलैण्ड के गणराज्य की सरकार के बीच आय पर दोहरे करारोपण से बचने के लिये किया गया करार ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३५६३/६२]

प्राक्कलन समिति

एक सौ चौवनवां प्रतिवेदन

†**श्री स० च० सामन्त** (तामलुक) : मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—नारियल जटा बोर्ड (प्रतिवेदन तथा लेखे) के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ चौवनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

तेल कम्पनियों से हुए करारों के बारे में वक्तव्य

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : २२-१२-५९ को लोक सभा में श्री नारायणन् कुट्टि मेनन तथा अन्य सदस्यों द्वारा पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम १९५९ के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा गया था उस के सम्बन्ध में मैं ने कहा था कि उस समझौते अथवा समझौतों से सम्बन्धित पत्र सभा पटल पर रख दिये जायेंगे और यदि आवश्यक होगा तो सभा में उस विषय पर चर्चा भी की जा सकती है । चर्चा के दौरान मैं ने उन कठिनाइयों का जिक्र किया था जो वार्ताओं के विवरण, सभा पटल के सम्मख रखने में आती हैं । ये कठिनाइयां सभा कार्य विभाग को भी बता दी गईं और उन्होंने मेरे वक्तव्य में जो आश्वासन निहित था उसे निलम्बित आश्वासनों की पंजी से हटा दिया । मैं आप के निदेशानुसार यह बताऊंगा कि उस आश्वासन को अमल में लाने में क्या कठिनाई थी ।

हमारे पास कई विदेशी तेल कम्पनियों के प्रस्ताव आये थे और उन के साथ एक ही समय वार्ता की जा रही थी । दो पक्षों के साथ यह वार्ता सफल रही, ये दो पक्ष एक ब्रिटेन की बर्मा आयल कम्पनी थी और दूसरी इटली की ई० एन० आई० कम्पनी । अन्य पक्षों के साथ वार्तायें हो रही थीं । जब तक अन्य पक्षों के साथ वार्ता समाप्त नहीं हुई है तब तक वार्ता के विवरणों को प्रकाशित कर देना अनुचित है । उक्त दोनों पक्षों के साथ हुए समझौतों के संबंध में मैं २९-८-६१ को अपने वक्तव्य में उल्लेख कर चुका था । तदुपरांत कई प्रश्नों के उत्तरों के रूप में सभा को यह जानकारी दी जाती रही । जबकि कई पक्षों के साथ एक ही समय वार्ता की जा रही है तो एक पक्ष द्वारा रखी गयी शर्तों को दूसरे पक्ष से गोपनीय रखना आवश्यक है । तथा उन की शर्तों को प्रकाशित करना अनुचित है । करार हो जाने के पश्चात् भी उस की शर्तों तथा निबन्धनों को एक पक्ष द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है जब तक कि दूसरा पक्ष जिस के साथ करार हुआ है उस की अनुमति न दे दे । अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियां कई देशों में कार्य करती हैं इसलिये हो सकता है कि वे एक देश में की गयी अपनी शर्तों को अन्य देशों की जनता को अथवा प्राधिकारियों को न बताना चाहें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उक्त स्थिति में मैं आशा करता हूं कि सभा उन समझौतों के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी मांगने की कोशिश नहीं करेगी ।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : सरकार द्वारा किसी विदेशी फर्म के साथ किया गया कोई करार तभी तक गुप्त रखा जा सकता है जब तक कि वह अन्तिम रूप से तय न पा चुका हो परन्तु वैसा हो जाने पर उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये अथवा उस की मुख्य बातें सदस्यों को बताई जानी चाहियें । अध्यक्ष पीठ ने ऐसा निदेश किया है और प्रधान मंत्री ने भी उस की पुष्टि की है । अब माननीय मंत्री कहते हैं कि करार की विषय वस्तु एक पक्ष द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती है यह एक आधारभूत प्रश्न है जिस पर भली प्रकार से विचार किया जाना चाहिये ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : क्या जब तक तेल कम्पनियों के साथ समझौते चलते रहेंगे तब तक कोई भी समझौता पटल पर नहीं रखा जायेगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : जब समझौता कर लिया गया है तो समझौते की निबन्धनों और शर्तों को पटल में न रखने का कोई कारण नहीं होना चाहिये । जब अन्य देशों के साथ की गयी संधियों को सभा पटल पर रखा जा सकता है तो इन शर्तों को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा को करार के बारे में जब तक कि वह किसी संलेख का भाग न हो जानकारी अवश्य प्रदान की जानी चाहिये । कोई कारण नहीं जान पड़ता कि यह मामला सभा से हमेशा दूर कैसे रखा जा सकता है ।

फिर भी कुछ मामले ऐसे हैं जिन को गुप्त रखना देश के हित में होता है, परन्तु किसी करार के हो चुकने पर सरकार को सभा को वे कारण बताने चाहियें कि उस सूचना को सभा से गुप्त रखने का उन्हें क्या हक है ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं इस सम्बन्ध में अपनी कठिनाई का उल्लेख कर चुका हूं मुझे पूरा विश्वास है कि इन समझौतों को सभा पटल पर रखना देश हित के विरुद्ध होगा । मुझे आश्चर्य है कि श्री मुरारका ने, जिन्हें औद्योगिक समवायों के बीच होने वाले समझौतों की अच्छी जानकारी है, यह आलोचना की है । यद्यपि ऐसे समझौते थोड़े ही व्यक्तियों से सम्बन्ध रखते हैं तो भी वे उन्हें प्रगट नहीं करना चाहते हैं । जबकि ये समझौते उन वार्ताओं से सम्बन्ध रखते हैं जो निरन्तर चलते रहते हैं । यदि समझौते का एक पहलू भी प्रगट हो जाये तो उस से काफी हानि होने की आशंका हो सकती है । इन में से कुछ समझौते केवल इस कारण हमारे लिये बहुत लाभप्रद हुए हैं क्योंकि वे गोपनीय रखे गये हैं । मेरे विचार से यदि उन्हें प्रगट किया गया तो उस से हमारे हितों को हानि होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री देश के हितों की रक्षा करना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि प्राक्कलन समिति जोकि इन मामलों से सम्बन्ध रखती है, उस की एक समिति उन समझौतों के सम्बन्ध में विचार करे जिन को प्रगट करना माननीय मंत्री जी देश के हित के विरुद्ध समझते हैं । मैं इस मामले पर अग्रेतर विचार करने के पश्चात् ही अपना निर्णय दूंगा । क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और जो भी निर्णय इस समय किया जायेगा वही भविष्य में लागू होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक---जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन १९ मार्च, १९६२ को श्री मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तावित निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगा अर्थात् :---

"कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, १९५७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : जहां तक इन अतिरिक्त शुल्कों का सम्बन्ध है, वित्त आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है, तथापि इस ने कुछ महत्वपूर्ण विषयों की ओर ध्यान नहीं दिया । अतिरिक्त उत्पादन शुल्क उस बिक्री कर के बदले में है जो पहले राज्यों का ही परमाधिकार था, परन्तु अब उस में केन्द्र हस्तक्षेप कर रहा है । बहुत सी मदें जिन पर अधिक करारोपण की गुंजाइश हो सकती थी, वे राज्यों से छीन कर केन्द्र के अधिकार में कर ली गई हैं । अब उन सब मदों में राज्यों को हानि उठानी पड़ेगी ।

कोचीन राज्य में, संविदा के अनुसार शर्त यह थी कि समुद्र सीमा शुल्क की केवल तीन मदें केन्द्र द्वारा ली जायेंगी । किन्तु अब ये बढ़ा कर ३३ या ३४ कर दी गई हैं । इस से राज्य को समुद्र सीमा-शुल्क से राजस्व की बहुत हानि हो रही है । राज्यों के लिये आयोजित अर्थव्यवस्था के लाभ भी हैं किन्तु इस की हानियां भी हैं । नये खर्च को पूरा करने के लिये राज्यों के राजस्व बढ़ाये नहीं जा सकते ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जितनी भी अतिरिक्त राशि अब वसूल होती है, वह वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनुपात के आधार पर बांटी जाती है । राज्यों में शिकायतों का होना स्वाभाविक है । सब हितों का संयोजन करना कठिन है, किन्तु वित्त आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है ।

†**श्री वारियर** : मुझे केरल राज्य के बारे में मालूम है कि उस ने प्रत्यावेदन दिया है कि दूसरे वित्त आयोग द्वारा निश्चित अनुपात को संशोधित किया जाये, किन्तु तीसरे वित्त आयोग ने केवल दूसरे वित्त आयोग की सिफारिश की पुष्टि कर दी है ।

केन्द्र अधिक से अधिक शक्तियां अपने हाथ में ले रहा है । राज्य केवल कुछ कर इकट्ठा कर सकते हैं किन्तु विकास योजनायें क्रियान्वित करने की सारी जिम्मेदारी उन पर है । राज्यों के पास कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और वे अपना संस्थापन व्यय बढ़ा नहीं सकते । इसलिये मेरा सुझाव है कि एक स्वतंत्र आयुक्त नियुक्त किया जाय जो वर्तमान स्थिति में केन्द्र और राज्यों के बीच उचित वित्तीय सम्बन्धों के बारे में विचार करे ।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : गत युद्ध के दौरान में कुछ राज्यों ने उत्पादन शुल्क के अलावा, बिक्री कर भी लगा दिया था । अब यह स्थायी हो गया है । इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह है कि वित्त आयोग की उस सिफ़ारिश को क्रियान्वित किया जाये कि विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों में से, जो कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर के स्थान पर लगाया गया है, कितना हिस्सा मिलना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक में कुछ राशियां निश्चित कर दी गई हैं। मेरी राय में पांच साल के लिये राशियां निश्चित करने की बजाय आय का वितरण प्रतिवर्ष हुआ करे।

अभी बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लागू नहीं किया गया। उन वस्तुओं पर बिक्री कर की वसूली जारी है जिस के कारण करापवंचन होता है और व्यापारियों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। कराधान यंत्र की त्रुटियां दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि अन्य आवश्यक वस्तुओं पर भी बिक्रीकर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लागू कर दिया जाये। इस प्रकार वसूल किया गया उत्पादन शुल्क राज्यों में बांटा जायेगा। दिल्ली में यह समस्या बहुत गम्भीर है। यहां के व्यापारियों की मांग है कि बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाया जाये। इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि इस सुझाव पर विचार किया जाये।

†**श्री मोरारजी देसाई**: मैं ने माननीय सदस्यों के भाषणों पर विचार किया है। वित्त आयोग ने उनके सुझावों पर विचार कर के ही अपना प्रतिवेदन दिया है और एक कठिन काम को बहुत अच्छी तरह किया है। यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार अधिकाधिक शक्तियां अपने हाथ में ले रही है। कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क में राज्यों की सहमति से परिवर्तित किया गया था। पहले तीन वस्तुओं पर ऐसा किया गया था, बाद में इन्हें बढ़ा दिया गया था। जब तक राज्य मांग न करें हम इन की संख्या अधिक नहीं बढ़ा सकते। संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष रूप से ऐसा करना भी संभव नहीं है। यह केवल तभी हो सकता है, जब सारे राज्य सहमत हों। पिछले वर्ष कुछ राज्यों की एक समिति स्थापित की गई थी किन्तु उनकी मांगें भिन्न-भिन्न थीं। कुछ चाहते थे कि वितरण जनसंख्या के आधार पर हो, कुछ उपभोग के आधार पर चाहते थे। इस लिए कोई निर्णय नहीं हो सका।

यह भी सत्य नहीं है कि कुछ राज्यों को घाटा हुआ है। अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने से पहले उन्हें जो कुछ मिल रहा था, उसकी गारंटी दे दी गई है। आंकड़ों से देखा जायेगा कि राज्यों को इन शुल्कों से बिक्री कर से अधिक आय हो रही है। आंकड़े यह हैं: १९५८–५९ में १६.१२ करोड़ रुपये; १९५९–६० में २८.३२ करोड़ रुपये, १९६०–६१ में ३३.६० करोड़ रुपये, १९६१–६२ में ४१.९८ करोड़ रुपये। यह राशि प्रतिवर्ष बढ़ रही है क्योंकि बिक्री की तरह, इस का अपवंचन नहीं हो सकता। किसी राज्य को उसकी वैध देय राशि से वंचित करने का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों के द्वारा वसूल की गई सारी राशि सब राज्यों में वित्त आयोग के निदेशों के अनुसार बांट दी जाती है। भविष्य में संभावित राजस्व वृद्धि को वितरण के सम्बन्ध में विचार में रखा गया है। मेरे विचार में इन वस्तुओं पर बिक्री कर के होने से राज्यों को कोई लाभ नहीं होगा। यह भी सत्य नहीं है कि राज्य अपनी स्वायत्तता खो रह ह। भारत सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। जब राज्यों की सहमति से योजनाएं बनाई जाती हैं, तो यह भारत सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि उन्हें क्रियान्वित किया जाये। फिर भी सरकार इन के क्रियान्वयन में नमनीयता लाने का प्रयत्न कर रही है। आपस की सलाह से परिवर्तन करने दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में नियम भी बदले जा चुके हैं। यदि स्वायत्तता का अर्थ यह है कि भारत सरकार धन देकर उस पर पर्यवेक्षण न करे, तो वह कोई आयोजना नहीं होगी। दोनों को सहयोग से काम करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं ने यह कभी नहीं कहा कि करों से वसूल की गई राशि केन्द्रीय सरकार की है और राज्यों का इस में कोई हिस्सा नहीं । वास्तव में यह देश की है और राज्य और केन्द्र दोनों बराबर के भागीदार हैं । यह राशि राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार उचित रूप से बांटी जाती है । इस लिए कुछ राज्यों को अधिक और कुछ को कम मिलता है । वास्तव में केन्द्र अपने पास कुछ नहीं रखता । अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की आय सब राज्यों में बांट दी जाती है । तीसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वस्तुओं की संख्या ८ से ३५ तक बढ़ा दी गई है । वास्तव में राज्यों को ३४ करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे और यह राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जायेगी । इसलिये यह शिकायत नहीं की जा सकती कि वित्त आयोग ने राज्यों के प्रति न्याय नहीं किया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, १९५७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंडों के बारे में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २, ३, ४, १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २, ३, ४, १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : में प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेलवे), १९६१-६२

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन वर्ष १९६१-६२ के रेलवे की अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा करेगा ।

वर्ष १९६१-६२ के लिये रेलवे की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३	चालू लाइनों तथा अन्य को भुगतान . .	५,५६,०००
१३	खुली लाइनों के निर्माण कार्य (राजस्व)—श्रमिक कल्याण	३६,५६,०००

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : ये मांगें सदन के समक्ष है। इन पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: १९६१–६२ की अनुदानों की अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करते समय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मूल रूप में ये ९ मांगें थीं। छः तो भारित व्यय की थीं और उन्हें केवल जानकारी के लिये ही प्रस्तुत किया गया था। इसके लिये यह निर्णय किया गया है कि रेलवे के कार्य की प्रगति एवं व्यय की गति से सम्बन्धित जो नवीनतम सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर मांग संख्या १६ के अन्तर्गत की सभी अनुपूरक मांगों के समस्त स्वीकृत भाग को वापिस कर लिया जाय।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्): १९६१–६२ की रेलवे की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। सब से प्रथम मांग संख्या ३ के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। मांग में ५,५६,००० रुपये की मांग की गयी है। इस संदर्भ में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा संचालित लाइनों को भारतीय रेलवे द्वारा सम्भाल लेना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि रेलवे बोर्ड को मेरे इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। छोटी लाइनों को सरकारी सहायता देने की कोई अवधि निश्चित कर लेनी चाहिए। मेरा मत तो यही है कि इन लाइनों को सहायता देते रहना उचित नहीं है। आप कब तक इन्हें सहायता देते जायेंगे। जब लोगों को इससे कोई लाभ ही नहीं तो इन्हें चालू रखने का क्या मतलब हो सकता है।

मांग संख्या १६ के अन्तर्गत श्रम कल्याण के नाम पर २६ लाख रुपया मांगा गया है। यह रुपया रेलवे कर्मचारियों के लाभ के लिये है। इस दिशा में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। दोरणाकल जंकशन पर रेलवे का अस्पताल अभी जिस स्थान पर बनाया गया है उससे रोगियों को बहुत असुविधा हो रही है। मेरी मांग यह है कि यह अस्पताल रेलवे क्वार्टरों के पास बनाया जाना चाहिए। यहां पर काफी संख्या में रेलवे कर्मचारी रहते हैं। इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि दोरणाकल स्टेशन पर स्थापित ताप विद्युत् सन्यन्त्र को पूर्ण क्षमता शक्ति के साथ चलाया जाना चाहिए। उसका जितना सम्भव हो लाभ उठाया जाना चाहिए। इससे विद्युत् उत्पादन की लागत कम हो जायेगी और रेलवे क्वार्टरों को भी वह सुविधा प्राप्त होनी सम्भव हो जायेगी। इसके अतिरिक्त जल सम्भरण की समस्या है। मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद-मनभाड़ लाइन के पूर्णिया स्टेशन पर जल सम्भरण की स्थिति बड़ी शोचनीय है, वहां जल सम्भरण की व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए।

अब मैं मांग संख्या १६ की ओर आता हूं। जहां तक इस मांग का सम्बन्ध है, रेलवे ने स्वीकृत तथा भारित व्ययों से सम्बन्धित—संवैधानिक उपबन्ध का पालन करने में देर की है। देश में लोको-मोटिव इंजिन बनाने के कार्य के लिये एक लाख रुपया स्वीकार किया गया था परन्तु इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। देश भर में डीजल इंजनों के निर्माण के कार्य की गति बढ़ाई जानी चाहिए।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

इसके लिये एक समिति का भी निर्माण किया गया था। इस दिशा में मेरा यह भी सुझाव है कि यद्यपि डीज़ल इंजनों के लिये हमें विदेशों से भी कर्जा मिल सकता है परन्तु फिर भी विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को देखते हुए हमें एक या दो वर्ष तक डीज़ल इंजनों का आयात नहीं करना चाहिए।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं मांग संख्या ३, ५, ६, १३ पर और कुछ १८ के भाग पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। मांग संख्या ३ के सम्बन्ध में जो कुछ श्री विट्ठल राव ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। सहायता देने के बारे में हमें समय अवधि निर्धारित कर देनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर सरकारी मालिकों को अधिक ढील नहीं देनी चाहिये। शनैः शनैः स्थिति ऐसी बन जायेगी कि सरकार इन लाइनों को स्वयं अपने हाथ में लेने के योग्य हो जायेगी।

मैं महसूस करता हूं कि कारखानों के संचालन के मामले में बहुत ढील हो रही है और इस दिशा की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके अतिरिक्त रेलवे में सामान की चोरी की घटनायें और बर्बादी के मामले बहुत होते हैं। क्या उन्हें रोके जाने का कोई उपाय नहीं हो रहा। यह बात मांग संख्या ५ के अन्तर्गत आती है। इस बारे में मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि रेलवे कारखानों में श्रमिकों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। जो कि हड़ताल के पूर्व नहीं थे। मैं इस बात पर अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या ये प्रतिबन्ध उचित हैं ? मेरा मत तो यह है कि उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, उनका कुछ न लाभ ही है और न ही इसकी आवश्यकता ही है।

मांग संख्या १३ की ओर आता हूं श्रम कल्याण के लिये १५,००० रुपया मांगा गया है। अस्पताल इत्यादि खोले जायेंगे। इस दिशा में मेरा अनुभव यह है कि कई बार कर्मचारियों को उपयुक्त औषधियां उपलब्ध ही नहीं होतीं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि रेलवे के अस्पतालों में दवाइयों का वितरण अधिकारियों की श्रेणियों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त डाक्टरों द्वारा जो कीमती दवाइयां बताई जाती हैं वे भी अस्पतालों में उपलब्ध की जानी चाहियें। कई बार देखने में आया है कि ५० या ७० रुपये मासिक वेतन लेने वाले कर्मचारी औषधियां खरीद करते हुए भारी कर्जों के नीचे आ जाते हैं। कई बार तो ऐसे हालात भी हो जात हैं कि बेचारा कर्मचारी इलाज कराने में नितान्त असमर्थ हो जाता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि रेलवे के अच्छे स्कूल हैं। परन्तु होस्टलों का प्रबन्ध अच्छा नहीं। मेरा विचार है कि उन बच्चों के लिये पर्याप्त होस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिनके माता पिता का स्थानान्तरण होता रहता है। इसी प्रकार खेलों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। रेलवे विभाग के खिलाड़ियों को अपनी तरक्की से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। किसी खिलाड़ी की पदोन्नति इसलिये नहीं रोकी जानी चाहिये क्योंकि वह रेलवे के खेलों में भाग लेता है। ऐसे मामलों में माननीय मन्त्री को स्वयं ध्यान देना चाहिए।

रेलवे क्वार्टरों की सफाई के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि रेलवे के पुराने क्वार्टर स्वच्छता की दृष्टि से ठीक नहीं हैं। उनके स्थान पर नये क्वार्टर बनाये जाने चाहियें। अथवा उन्हें नया रूप दिया जाना चाहिए। मांग संख्या १८ के सम्बन्ध में मैंने यह निवेदन करना है कि तीसरे दर्जे के डिब्बों में अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये। नहाने के लिये फव्वारे बनाये जाने चाहियें और ऐशट्रेयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिये चाहे इसके लिये कुछ और दिशा का व्यय कम करना पड़े। साथ ही डिब्बों में तीन "टायर" प्रणाली समाप्त कर दी जानी चाहिए। मेरे विचार में तीसरा टायर बेकार होता है इसलिये दो 'टायर' होने चाहियें। इन शब्दों से मैं पुनः यह अनुरोध करूंगा कि मन्त्री महोदय मेरे सुझावों की ओर समुचित रूप से ध्यान दें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गयी हैं, यह बजट का एक छोटा सा प्रतिशत है। रेलवे मन्त्रालय की अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करने की दिशा में यह परिवर्तन बड़ा श्लाघापूर्ण है। मेरे विचार में यह सही बजट व्यवस्था का आदर्श है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इस बार काफ़ी सचेत होकर काम किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

ये जो बहुत सी मांगें हैं इनका सम्बन्ध अदालत की डिग्रियों से है। गत पाच दस वर्षों में यह अदालती मामलों के इतने बढ़ जाने के बारे में मन्त्री महोदय को सविस्तार बताना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में हुई वृद्धि की शत प्रतिशतता की स्थिति क्या है। रेलवे मुकदमे बाजी की ओर अधिकाधिक झुक रही है। न्यायालय के मामलों की संख्या बढ़ गयी है। कभी कभी मामलों के सम्बन्ध में ठीक तरह से कार्यवाही नहीं की जाती है। मेरा निवेदन यह है कि रेलवे के कानूनी विभाग को थोड़ा अधिक सतर्कता से काम लेना चाहिए और यह अदालती मामलों पर होने वाले व्यय की बचत करनी चाहिए।

रेलवे लाइनों का गैर-सरकारी स्वामित्व समाप्त किया जाना चाहिए। इस बात में मैं अपने मित्र श्री बनर्जी और श्री त० व० विट्ठल राव से सहमत हूं। रेलवे मन्त्री को सदन के समक्ष स्पष्टतः यह कहना चाहिये कि कब तक वह इस बात को समाप्त करवा देंगे। यह रेलवे के मुह पर कलंक का एक धब्बा है जिसे शीघ्र ही मिटा देना चाहिए।

यात्री सुविधाओं के सम्बन्ध में मांग संख्या १३ के उल्लेख से मैं यह कहना चाहता हूं कि कई स्टेशनों पर तो यात्री सुविधा के बारे में बहुत कुछ खर्च कर दिया जाता है और कई एक स्टेशनों की बहुत बुरी तरह उपेक्षा कर दी जाती है। मेरे विचार में जालन्धर-पठानकोट और अमृतसर-पठानकोट लाइनों के स्टेशन उस श्रेणी में आते हैं जिनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि इनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। मुझे इस बात पर भी खेद है कि यात्री-सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में उत्तर-रेलवे की उपेक्षा की जा रही है। सरकार को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि किसी भी रेलवे की उपेक्षा न हो।

मांग संख्या १३ के अन्तर्गत जो धन केन्द्रीय रेलवे को दिया जा रहा है यह बहुत अच्छी बात है, परन्तु मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वाराणसी के डीजल इंजन के कारखानों के कार्य की गति बढ़ाइ जानी चाहिये। इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा का उपबन्ध किया जाना चाहिये मुझे इस बात का हर्ष है कि रेलवे दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ रही है।

डीज़ल द्वारा रेल चलाने की योजना के आरम्भ की बात सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इसलिए कि हमारे देश में रेलवे का निरन्तर प्रसार होता जा रहा है और इतने विशाल प्रसार को संभालने के लिये केवल कोयले से काम नहीं चलेगा। हमें कोयले के साथ ही, डीज़ल तेल और विद्युतीकरण का भी सहारा लेना ही पड़ेगा।

इसके लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा भी जुटाई जा सकती है। लेकिन सब से बड़ी आवश्यकता कार्य-क्षमता की है। यदि कार्य-क्षमता हो, तो विदेशी मुद्रा जुटाने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। और, इसमें शीघ्रता करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं इन अनुपूपक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री नलदुर्गकर (उस्मानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे के डिपार्टमेंट ने अब तक जो तरक्की की हैं, उसकी बाबत मैं ज़रूर मुबारकबाद देता हूं, लेकिन इस सिलसिले में कुछ बातों की तरफ़ मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई-मद्रास जो सैंट्रल रेलवे लाइन है, उस पर कुरडुबाड़ी एक जंक्शन है। हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ़ प्रान्तों से तीन लाख यात्री साल में दो मर्तबा पंढरपुर में बिठाबा के, जो कि परमेश्वर के दसवें अवतार समझे जाते हैं, मंदिर के दर्शनों के लिए कुरडूबाड़ी से जाते हैं। कुरडूबाड़ी में वार्सी लाइट रेलवे, जो कि पहले थी, और सैंट्रल रेलवे, इन दोनों का वहां पर स्टेशन है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि दोनों रेलवेज़ के दरमियान पर कोई कामन प्लैटफार्म नहीं है। इसका नतीजा यह है कि वार्सी लाइट रेलवे से उतरने के बाद सैंट्रल रेलवे पर पहुंचने के लिए तकरीबन दो फ़रलांग का फासला तय कर के पुल पर से स्टेशन को जाना पड़ता है। मैंने इस सिलसिले में दो मर्तवा आला जनाब मिनिस्टर की तवज्जह मबजूल कराई है, लेकिन उन्होंने अभी तक उसकी निस्वत मुझे कोई जवाब नहीं दिया है।

एक क्वेस्टियन का जवाब देते हुए मुझे बताया गया कि कुरडूबाड़ी सिराज की नैरो-गैज लाइन को ब्राडगेज बनाया जाने वाला है और उस के बाद वहां पर कामन प्लैटफार्म के बारे में सोचा जायगा। लेकिन वह लाइन न ब्राड़गेज हुई और न मिटरगेज हुई। अब सुना जाता है कि वह पूरी लाइन अब मीटर गेज होने वाली है। मैं माननीय मंत्री जी से फिर कहना चाहता हूं कि पंढरपुर जाने वाले यात्रियों को खसूसन बारिश के ज़माने में बड़ी तक्लीफ का सामना करना पड़ता है। अगर मिनिस्टर साहब और डिप्टी मिनिस्टर साहब वहां पर जा कर खुद देखें, तो वे समझ सकते हैं कि उन लोगों को कितनी तक्लीफ़ होती है।

इस लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बम्बई से मद्रास जो सैंट्रल रेलवे लाइन है, उस पर स्थित कुरडूबाड़ी जंक्शन पर एक कामन प्लैटफ़ार्म बनाया जाये, ताकि पंढरपुर जाने वाले यात्रियों को तक्लीफ न हो।

मैंने रेलवे मिनिस्टर साहब के सामने शोलापुर से औरंगाबाद तक रेलवे लाइन बनाने के बारे एक पलान रखा था। इस बारे में पहले हैदराबाद गवर्नमेंट ने सिफारिश की थी। उस के बाद बम्बई गवर्नमेंट ने भी उस की सिफ़ारिश की। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब के औरंगाबाद जाने के बाद मैंने एक अनस्टार्ड क्वेस्टियन अतारांकित प्रश्न पूछा था, जिस के जवाब में उन्होंने कहा कि गो महाराष्ट्र सरकार ने उस लाइन की मन्जूरी दे दी है, लेकिन चूंकि थर्ड फाइव यीअर प्लान के एलोकेशन्ज़ पूरे हो चुके हैं, इस लिए इस पर अभी गौर नहीं किया जा सकता है शोलापुर सहरन रेलवे की मीटर गेज लाइन का टर्मिनेशन है और सैंट्रल रेलवे का स्टेशन भी है। अगर वहां से औरंगाबाद तक लाइन बनाई जाये, तो शौलापुर से दिल्ली तक मीटरगेज की पूरी लिंक तैयार हो जाती है। अगर एलोकेन्शज़ पूरी हो जाने की वजय से थर्ड फाइव यीअर प्लान में उस की निस्बत ग़ौर नहीं हो सुकता, तो आईन्दा प्लान में उस पर ग़ौर किया जाये। अगर अभी से उस के सरवे के सिलसिले में कुछ कदम उठाए जांयें, तो वहां के लोगों में विश्वास पैदा हो जायगा कि वहां पर रेलवे लाइन बनाई जाने वाली है और मैंने जो ये प्रश्न उठाया उसका भी सभाधान होगा।

मैं इस अमर का भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह रेलवे लाइन नुक्सानदेह नहीं होगी, बल्कि उस से बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि शोलापुर से औरंगाबाद के बीच की ज़मीन बहुत फ़रटाइल उर्वर है। वहां पर लाटूर को पूरे हिन्दुस्तान में तीसरे नम्बर का कामर्शल सैंट्रल समझा जाता है। इस लिए इस लाइन से वहां पर व्यापार बहुत बड़ जायगा। मेरे पास इस बारे में जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उन से ज़ाहिर होता है कि सिर्फ उस्मानाबाद में बीस पच्चीस हज़ार रुपये रोज़ाना के ट्रांज़ेक्शन्ज़ होते हैं। इस लिए इस लाइन से कोई नुक्सान नहीं होगा।

चन्द रोज पहले मैंने फिर अखबारों में पड़ा कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए पाकिस्तान को अपनी गाड़ी हिन्दुस्तान में से ले जाने की इज़ाज़त दी जायगी। मैं ने पहले भी इस सदन में इस रेलवे लाइन की निस्वत आला जनाब मिनिस्टर की तवज्जह मबजूल कराई थी।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : ऐसी कोई रेलवे लाइन निकालने की बात नहीं है ।

श्री नलदुर्गकर : मुझे खुशी है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के दरमियान नहीं हो रहा है । यह एक बहुत अच्छी बात है और उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं और अपनी खुशी का इज़हार करता हूं । लेकिन अगर ऐसा कोई विचार है, या कोई कारेसपोंडेंस चल रही है, तो हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हमारी तरफ़ से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के बावजूद जो राष्ट्र हमारे साथ दोस्ताना ताल्लूक नहीं रखना चाहता, उस के साथ जो भी करार और इकरार नामे किये जायें, वे बड़ी अहतियात के साथ करने चाहिए ।

स्लीपर कोचिज़ के बारे में माननीय सदस्य, श्री बनर्जी, ने जो ख्यालात ज़ाहिर किये हैं, मैं उन से मुत्तिफिक नहीं हूं । हालांकि मेरे पास फर्स्ट क्लास का पास था, लेकिन फिर भी मैं ने तजुर्बा हासिल करने के लिए सदन उन दोनों स्लीपर्ज़ में सफ़र किया । मेरा अनुभव यह है कि वे कोचिज़ थर्ड क्लास पैसेंजर्ज़ के लिए बड़े अच्छे हैं । सिवाये इस बात के कि फस्टक्लास में गद्दियां रहती हैं, जो कि इन में नहीं हैं, सब तरह का आराम इन स्लीपर कोचिज़ में है । उन में सफर करने वालों के लिए स्पैशल कनडकटर रखे गए हैं और उनकी तमाम ज़रूरियात की तरफ तवज्जह दी जाती हैं। उन दोनों स्लीपर कोचिज़ के बारे में रेलवे डिपार्टमेंट ने जो इन्तज़ाम किया है, उसके लिये मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूं ।

मैं रेलवे डिपार्टमेंट को पिछले पांच सालों में उसने जो कुछ भी प्रगति की है, उसके लिए मुबारिकबाद देता हूं । बम्बई से शोलापुर तक वा दूसरी रेलवे लाइंज़ पर हम जब सफर करते हैं तो जो छोटे स्टेशन होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि जो आवश्यक सुविधायें हैं वे भी पहुंचाई नहीं जाती हैं । देहातों से बहुत से लोग इन रेलों पर सफर करते हैं, दूर-दूर से वे वहां आते हैं सफर करने के लिये और उसकी तादाद भी काफी होती है । जब इन छोटे स्टेशनों पर पीने का पानी भी नहीं मिलता है तो बहुत तकलीफ होती है । मेरे पास इसकी फेहरिस्त है और अगर मंत्री जी चाहें तो मैं इस फेहरिस्त को उनके सामने पैश कर सकता हूं । मैं उम्मीद करता हूं कि रेलवे डिपार्टमेंट ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन की तरफ जरूर तवज्जह देगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक आखिरी बात कह कर मैं खत्म करता हूं । मैं मराठवाड़ा का यहां जिक्र करना चाहता हूं । मराठवाड़ा की तरफ जो पहली निज़ाम गवर्नमेंट थी, उसने कोई तवज्जह नहीं दी अब महाराष्ट्र सरकार ने कोई तवज्जह उस इलाके की तरफ देने का वादा किया है और इस बारे में क़दम उठाया है। मैं रेलवे डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि आप तो ज़रा हमारे प्रान्त की तरफ हमदर्दाना तौर से गौर करें । अगर आप ने उस इलाके की तरफ थोड़ा सा भी गौर किया तो उस इलाके की बहुत तरक्की हो सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आनरेबल मिनिस्टर ।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : मुझे सिर्फ पांच मिनट बोलने के लिये चाहियें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तब उठे हैं जब मैंने मिनिस्टर साहब को बुला लिया है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं पहले भी उठा था लेकिन आपकी नज़र इधर नहीं पड़ी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इधर भी देखा था लेकिन आप उठे नहीं । आप बोल लीजिये ।

श्री अ० मु० तारिक : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक रेलों का ताल्लुक हैं इसमें कोई शक नहीं है कि जो तरक्की रेलों ने की है उस पर जितना भी फख्र किया जाये थोड़ा है। आजादी के बाद रेलों ने बहुत ज्यादा तरक्की की है।

लेकिन इसके साथ ही साथ मैं चन्द बातों की तरफ मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आजकल रेलों में सफर करना इंतिहाई खतरे का बायस बन गया है। आज के ही अखबारों में आपने पड़ा होगा कि कल रेलवे की किसी लाइन पर पांच चार आदमी दरवाजा खोल कर अन्दर घुस गये और उन्होंने औरतों के जेवरात उतार लिये, मर्दों के साथ मारपीट की। इस तरह की वारदातें न होने पायें, इसके लिए रेलवे पुलिस को काफी खबरदार रहना चाहिए। जो जंजीर का तरीका है वह बहुत पुराना पड़ गया है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सी डिमांड के तहत यह चीज़ आती है ?

श्री त० ब० विट्ठल राव : पैसेंजर एमेनेटीज़ में यह चीज़ आ जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : पैसेंजर एमेनेटीज़ में तो यह लिखा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वे कर रहे हैं। उनमें तो यह चीज़ नहीं आती हैं।

श्री अ० मु० तारिक : जंजीर का जो तरीका हमारे यहां है वह पुराना पड़ गया है और उसमें कोई तरमीम की जानी चाहिए। डिब्बों में जहां लोग बैठे हों, कोई ऐसा ईलैक्ट्रिक बटन लगा दिया जाना चाहिए जिससे कि बहुत ज्यादा कशमकश न करनी पड़े और दूसरे आदमी को मौका न मिले तलवार या छुरी इस्तेमाल करने का। जंजीर का तरीका आज के जमाने में और आज की दुनिया में पुराना पड़ गया है। कोई बटन बैठने की जगह के नजदीक अगर लगा दिया जाये . . .

उपाध्यक्ष महोदय : जो जंजीर अब हैं उसको भी लोग इतनी दफा खींच देते हैं कि रेलें वक्त पर पहुंच नहीं पाती हैं और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर बैठने की जगह पर बटन लगा दिया जाये तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अ० मु० तारिक : जंजीर उस वक्त भी खींची जाती है जब आप शरारत करना चाहते हैं। लेकिन जब जान खतरे में हो . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं शरारत नहीं करना चाहता। लेकिन मैं तो यही . . .

श्री अ० मु० तारिक : माफ कीजिये, मेरी मुराद हम सब से हैं। जब शरारत करनी होती हैं तब यह बड़ा आसान होता है। लेकिन जब जान खतरे में हो तो वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। जोर भी इतना लगाना पड़ता है कि जब तक हम जंजीर खींचने में कामयाब होते हैं, तब तक अपनी जान को ही सलाम कर बैठते हैं। आज माडर्न तरीके कई हैं, इलैट्रक बटंज़ हैं, एलार्म चेंज़ हैं। जग ट्रेन चलती हो और कोई शख्स दरवाज़ा खोलता है तो अलार्म हो जाता है। इस तरह की कोई चीज़ आपको भी करनी चाहिए।

अब मैं डाइनिंग कार्ज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आजादी के बाद हमारी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि डाइनिंग कार्ज़ का दर्वाज़ा हर आदमी के लिए खुला है चाहे वह फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करता है या सैकिंड में या थर्ड में। आजादी से पहले चन्द क्लासिस को ही यह रियायत थी। जब हमने यह रियायत आम कर दी है तो हमें चाहिए कि हम जगह भी बड़ाएं। डाइनिंग कार्ज़ की वही तादाद रही, वही पांच छः टेबल्ज़ रहे लेकिन इजाज़त आपने हज़ारों आदमियों को दे दी। इसका नतीजा यह होता है कि बहुत से लोगों को क्यू में खड़े रहना पड़ता है और क्यू भी बहुत बड़ी

नहीं हो सकती है। इसका नतीजा यह होता है कि कई लोग तो खाना तक नहीं खा सकते हैं। इसके रेट्स बहुत कम हैं, यह मैं मानता हूं लेकिन जगह बहुत थोड़ी है। कई लोगों को यहीं नई दिल्ली में या कलकत्ता जाते हुए रास्ते में उतर जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके जगह को बढ़ाएं।

अब मैं सफाई के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं। बाहर के लोग जब सफर करते हैं या हिन्दुस्तान के सैयाह जब सफर करते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। एक तो नहाने का जो बाथ रूम है वह बहुत छोटा है। शावर्ज़ का तो यह हाल है कि जब मैं यहां से कलकत्ता गया तो प्लेटीनम का शावर लगा हुआ मैंने पाया लेकिन जब उसी ट्रेन से मैं वापिस आया तो उसमें डिग्रेट के डिब्बे का शावर लगा हुआ पाया। हमें यह मालूम नहीं आया इसको मुसाफिर उतार लेते हैं या जब डिब्बा शैड में जाता है वहां इसे तबदील कर दिया जाता है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब मैं चाहता हूं कि आप इसमें हमारी हिमायत करें। आखिर हम सब मुसाफिर हैं और मुसाफिरों के लिए जो सहूलियतें मुहैय्या की जाती हैं वे उनको मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, यह देखना भी हमारा फर्ज़ है। जितने शावर लगे भी हुए हैं उन में जंग लग गया है और ये शावर सेहत के लिए बेहद खराब हैं। नहाना तो क्या कोई इनको देखना भी पसन्द नहीं कर सकता है। बहुत ही पुराने हैं। पहले चार पांच मिनट तक जो पानी निकलता है वह ज़ंग आलूदा होता है, ब्राउन कलर का होता है। इस तरफ ध्यान देने की खास तौर से ज़रूरत है। जो नई टाइप की कोचिज़ बनी हैं उन में दोनों तरफ बाथ रूम्ज़ हैं। सौ सौ पचास पचास आदमी कैबिन में बैठे होते हैं लेकिन उनके लिए कुल दो बाथ रूम है। वहां भी क्यू का सवाल पैदा होता है और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

अब मुझे कोचिज़ की सफाई के बारे में कुछ कहना है। मैं समझता हूं कि दिल्ली में जो मक्खियां आती हैं, वे मेरठ और आगरा से आती हैं और रेलवे की वजह से आती है। डिब्बे बहुत ही गंदे होते हैं। उन पर जो जालियां लगी होती हैं, फर्स्ट, सैकिंड और थर्ड क्लासिस में उनमें से बाहर अगर आप देखना चाहें तो अंधेरा ही अंधेरा आप को दिखाई देगा, कोई रोशनी नहीं आप देख सकते हैं, इतनी गंदी वे जालियां हैं। मैं समझता हूं ४०-५० साल से वे बदली नहीं गई हैं। इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि रेलों ने बहुत ज्यादा तरक्की की है और रेलें हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम हैं लेकिन ये चंद मामूली चीजें हैं जो हमारे नैशनल कारेकटर पर असर डालती हैं, बाहर के लोगों पर डालती हैं, सैयाहों पर डालती हैं और इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। ये चीज़ें खुद हम पर जिम्मेदारी डालती हैं, इस वास्ते इनकी तरफ तवज्जह दिलाना बहुत जरूरी है।

अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह शिकायत के तौर पर नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इस पर ध्यान दें। कुछ रेलवे आफिसर्स या उनके दोस्त, मैंने अकसर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर भी देखा है, या दोनों ही जिस वक्त रेल चलने वाली होती है, घूमते फिरते हैं और बहुत से सैयाहों को जो अपने अयालों के साथ होते हैं, एक खास परेशानी का सामना करना पड़ता हूं। मैं खुद साहिबे अयाल हूं, मैं लड़कियों का बाप हूं एक बीवी का खाविन्द हूं और एक मां का बेटा हूं। इस तरह की चीज़ों को देख कर मुझे बड़ा रंज हुआ। वजीर साहब जिन को इन बातों की कद्र है, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात को बगैर इन्फार्मेशन दिये हुए जायें और देखें कि क्या होता है। उनको मालूम होगा कि लोगों की शराफत को जिस तरह वहां चैलेंज किया जाता है वह गैरत के बहुत दूर है।

ये चंद बातें थीं जिनकी तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूं कि रेलवे हुक्काम इनका कुछ इलाज जरूर करेंगे। मैं रेलवे मिनिस्टरी के कामों की कद्र करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो चन्द खामियां मैंने बयान की हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जायेगी।

†**श्री सैं० वें० रामस्वामी :** मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने और कई महत्वपूर्ण सुझाव देने वाले माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

श्री विट्ठल राव ने आर्थिक सहायता की अदायगी का उल्लेख किया था, अन्य दो सदस्यों ने भी उसके बारे में कुछ कहा था। मांग संख्या ३ उन लाइनों से सम्बंधित है जिनके संचालन के लिये आर्थिक सहायता की अदायगी की जानी है। ऐसी केवल ४ रेलवेज़ हैं--अहमदपुर-कटवा, बर्दवान-कटवा, फुटवा-इस्लामपुर और बांकुरा-दामोदर नदी रेलवेज़। इन लाइनों के सम्बन्ध में करार है कि सरकार यदि चाहे तो इनको खरीद सकती है। खरीदने की अन्तिम तिथियां--चारों लाइनों के लिये, इस क्रम में रखी गई हैं। ऊपर गिनाई गई चार रेलवेज़ के क्रम से--३१ मार्च, १९६८; ३१ मार्च, १९६९; ३१ मार्च, १९६७ और ३१ मार्च, १९६८। तभी इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री विट्ठल राव ने द्रोणकल अस्पताल के सुधार और तापीय संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के बारे में भी कहा था। उन्होंने पूर्णा रेलवे बस्ती के लिये जल-सम्भरण का प्रश्न भी रखा था। हम इन सभी सुझावों पर विचार करेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने डीज़ल इंजनों का उल्लेख किया था। अब यातायात इतना बढ़ गया है कि भाप से चलने वाले इंजनों से ही काम नहीं चल सकता। भाप से चलने वाले इंजन २,००० टन से अधिक भार नहीं खींच सकते। इसलिये हम कुछ क्षेत्रों मे डीजल इंजन और कुछ अन्य क्षेत्रों में विद्युत-चालित इंजन चला रहे हैं। भाप से चलने वाले इंजनों के निर्माण का भी प्रश्न है। चितरंजन कारखाना वर्ष में १६८ इंजन तैयार कर सकता है। हमें, आज के यातायात के अनुसार, ११,००० इंजनों की जरूरत है और यातायात बढ़ने पर १३,००० इंजनों की जरूरत पड़ेगी। चित्तरंजन कारखाने की निर्माण-क्षमता लगभग ढाई गुनी ही बढ़ाई जा सकती है। इसलिये डीज़ल इंजनों की खरीद रोकने का सुझाव ठीक नहीं है। हां, यह सुझाव अच्छा है कि वाराणसी डीज़ल इंजन कारखाने का काम तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिये और उसमें यथाशीघ्र निर्माण शुरू करना चाहिये। लेकिन वाराणसी में इतनी विद्युत सुलभ नहीं है। यह कठिनाई पड़ रही है। इसके सम्बंध में उत्तर प्रदेश सरकार से बात चल रही है। हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए आशा है कि डीज़ल इंजनों का निर्माण जल्द ही शुरू हो जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी ने संधारण और मरम्मत के काम में ढिलाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि रेलवे पुलिस को रेलवे सामान की चोरी रोकने मे समर्थ होना चाहिये। हम इसके प्रति सतर्क हैं। लेकिन रेलवे प्रशासन, कर्मचारी और पुलिस की सतर्कता के साथ, इसके लिये आम जनता के सहयोग की भी आवश्यकता है। और, वह तभी होगा जब जनता में नागरिकता की भावना और अधिक विकसित होगी।

श्री बनर्जी ने रेलवे अस्पतालों में औषधियों की कमी के बारे में कहा था। ताज्जुब की बात है। टिटैनस रोकने की सीरम बड़ी आम सी चीज़ है, जो देहाती अस्पतालों में भी रहती है। कोई भी चोट लगने पर, सावधानी के तौर पर, इसी का टीका लगाया जाता है। अच्छा हो यदि माननीय सदस्य उसका कुछ और ब्यौरा हमें बतायें, जिससे कि मामले की जांच की जा सके। और, होस्टलों के बारे में यह है कि यदि मांग हो, तो हम और अधिक होस्टल खोलने के लिये तैयार हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेल-कूद के क्षेत्र में रेलवे का रिकार्ड काफी शानदार है। हाकी, क्रिकेट और तैराकी—में रेलवेज़ ने काफी नाम कमाया है। हम खिलाड़ियों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिये तैयार हैं।

रेलवेज़ में हम सफाई के बारे में भी बड़े सर्तक रहते हैं। नयी और पुरानी—दोनों ही प्रकार की रेलवे बस्तियों में सफाई का एकसा ख्याल रखा जाता है। मांग संख्या १८, यात्री सुविधाओं के बारे में है। उसमें यात्रियों को भोजन के पैकेट देने की व्यवस्था का भी उल्लेख है। दक्षिण भारत में इस प्रकार के पैकेट बहुत चल पड़े हैं और पसंद भी किये जाते हैं। उत्तर भारत में भी उनको चालू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। नहाने के लिये फुहारे, सिगरेट इत्यादि के लिये राखदानियां, इत्यादि जुटाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। तीसरे दर्जे के डिब्बे में नहाने के फुहारे लगाना कुछ मुश्किल दिखता है, क्योंकि पानी इकट्ठा रखने की टंकी की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी।

यह बात बिल्कुल गलत है कि तीन खण्डों वाले डिब्बों को सभी ने नापंसद किया है। कुछ सैक्शनों में वे बड़े लोक प्रिय हुए हैं। पता नहीं माननीय सदस्य को ऐसी सूचना कहां से मिली है। एक पैसा भी ज्यादा खर्च किये बिना सभी सुख-सुविधायें तो नहीं जुटाई जा सकतीं। लोग दो खण्डों वाले डिब्बों में सोने के स्थान के लिये तीन रुपये ज्यादा नहीं देना चाहते, पर तीन खण्डों वाले डिब्बों में सभी सुविधायें चाहते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा ने मांग संख्या १३ के सम्बन्ध में पूछा था कि उत्तर रेलवे के प्रतिकर के कितने मुकदमें न्यायालयों में चल रहे हैं। मेरे पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य पूर्व सूचना दें, तो सूचना मंगा सकता हूं। माननीय सदस्य को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि अब देश में माल यातायात का परिणाम ही नहीं उसका मूल्य भी अत्यधिक बढ़ गया है। परिणाम की अपेक्षा मूल्य कहीं अधिक बढा है। इसे देखते हुए, प्रतिकर के दावों की संख्या अधिक नहीं बढ़ी है।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मूल्य का प्रश्न ही कहां उठता है?

†**सैं० वें० रामस्वामी** : माननीय सदस्य प्रतिकर की मात्रा की बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि माल-यातायात की वृद्धि के परिमाण और उसके मूल्य को देखते हुए प्रतिकर की राशि अधिक नहीं बढ़ी है। हां, हम उसके प्रति सतर्क रहते हैं। हमारा विधि विभाग भी यही कोशिश करता है कि प्रतिकर की राशि कम से कम रहे।

माननीय सदस्य यह भी कह रहे थे कि कुछ स्टेशनों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है, पर शाखा लाइनों के स्टेशनों की उपेक्षा की जाती है। इसका निर्णय हर स्टेशन की आवश्यकता, और जनता तथा देश के लिये उसकी अहमियत देखकर किया जाता है। हम मुख्य लाइनों और शाखा लाइनों के बीच ऐसा कोई विभेद नहीं करते।

मराठवाड़ा के माननीय सदस्य की कुछ बातों पर गम्भीरता से विचार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुर्दवाडी जंकशन पर प्लेटफार्म नहीं है। हम इस पर विचार करेंगे और यात्रियों की असुविधाओं को यथाशीघ्र दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री त० ब० विट्ठलराव : उस संकरी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जायेगा?

†**श्री सैं० वें० रामस्वामी** : इस पर विचार करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि पंडारपुर से लाखों तीर्थयात्री जाते हैं और संकरी लाइन के कारण उनको बड़ी असुविधा होती है। निधियां सुलभ होने पर हम उसे दूसरी लाइन में बदलेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

औरंगाबाद और शोलापुर के बीच एक नयी लाइन डालने की बात कही गई है। तृतीय योजना सभा के सामने है। माननीय सदस्यगण देख सकते हैं कि उसमें किन-किन लाइनों को सम्मिलित किया गया है। पीने के पानी की व्यवस्था का प्रश्न हल करने के लिये हम स्वयं चिन्तित हैं। हमने आदेश जारी कर दिये हैं कि यदि नगरपालिका न हो, उससे जल की व्यवस्था न की जा सकती हो, तो वहां पम्प लगा दिये जायें।

श्री अ० मु० तारिक ने खतरे की जंजीर के स्थान पर बटन लगाने की बात कही थी। आपने ठीक कहा था कि वह प्रश्न किसी भी मांग में शामिल नहीं है। भोजन डिब्बों के बारे में हमें मालूम है कि अब उनमें काफी भीड़ रहती है। हम अब उनको दूसरे नमूने पर बनवा कर उनमें अधिक गुंजाइश करने की सोच रहे हैं। साथ ही, हम भोजनादि की विभागीय व्यवस्था को भी अधिक विस्तारित कर रहे हैं।

रेलवे में सफाई रखने के सुझाव के लिये मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। माननीय सदस्यों और जनता के सहयोग से हमें इसमें सफलता भी मिलेगी।

†**श्री मा० श्री० अणे** (नागपुर) : कुर्दवाडी स्टेशन पर एक मिला जुला प्लेट फोर्म बनाने की बात का क्या हुआ ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां बड़ी लाइन और संकरी लाइन के बीच दोनों का कोई समान प्लेटफार्म नहीं है। इससे यात्रियों को ट्रेन बदलने में बड़ी असुविधा होती है। हम इसकी जांच करेंगे और यात्रियों की असुविधायें दूर करने का प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
३	चालू लाइनों तथा अन्य को भुगतान . .	५,५६,००० रुपये
१३	खुली लाइनों के निर्माण कार्य (राजस्व) श्रमिक कल्याण .	३६,५६,००० रुपये

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६२

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तयवर्ष १९६१–६२ मे रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, ३, अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २, ३, अनुसूची, खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री जगजीवनराम :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री त० व० विट्ठल राव (खम्मम) : वर्ष १९६२-६३ के आय व्ययक की चर्चा करते समय मुझे यही कहना है कि यह कालावधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवधि में ही तीसरी योजना का प्रथम वर्ष शुरू हो जाता है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वस्तुओं का मूल्य जो बराबर बढ़ा था वह तीसरी योजना के पहले वर्ष में अब स्थिर हो चला है। उपभोक्ता मूल्य देशनांक बढ़कर १२८ तक पहुंच गया है। तीसरी योजना की सफलता इस बात पर ही निर्भर करती है कि मूल्य बढ़े नहीं। लेकिन दूसरी योजना की अवधि में मूल्य बढ़े हैं। कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य भी, जो कि कुछ स्थिर से हो चले थे, बढ़े हैं। उदाहरण के लिये कोयले का मूल्य ही पिछले वर्ष में दो तीन बार बढ़ा है।

निर्यात के मामले में भी मुझे संदेह है कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे। १९६५-६६ के अंत तक हमारा निर्यात लक्ष्य ८५० करोड़ रुपये का है। यूरोपीय साझा बाज़ार में

---

†मूल अंग्रेजी में

इंगलिस्तान के शामिल हो जाने से कपड़े का निर्यात कम हो जायेगा। अतः जब तक हमारी व्यापारिक नीति में तीव्रता के साथ परिवर्तन नहीं होगा तथा पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापार में वृद्धि नहीं होगी, एवं अफ्रीका के स्वतंत्र देश तथा सामाजवादी देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध नहीं बढ़ाये जायेंगे तब तक हम अपना निर्यात लक्ष्य पूरा नहीं कर सकेंगे।

सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हमें अपने संसाधनों के लिये कर-उत्पादन शुल्क अथवा इसी प्रकार की अन्य बातों पर निर्भर न रह कर सरकारी संस्थानों में उत्पादित अतिरिक्त उत्पादन पर निर्भर रहना चाहिये। सरकारी संस्थानों में से कुछ संस्थानों ने तो अच्छी उन्नति की है किन्तु कुछ ने नही। अतः मेरा निवेदन है कि उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिये। उदाहरण के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का काम प्रगतिशील नहीं है। उसकी एक खदान में गत वर्ष आग लग गई थी जिससे लगभग १० लाख टन कोयले की हानि हुई। यह हानि देश के हित से बहुत बड़ी हानि है। इसकी जांच के लिये एक समिति की नियुक्ति की गई थी जिसने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है। यह प्रतिवेदन अब तक आ जाना चाहिये।

लोहना खदान को प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने की अनुमति दी गई है। यह औद्योगिक नीति संकल्प, १९५६ के विरुद्ध है क्योंकि इस खदान के मालिक अधिकतर विदेशी हैं। ऐसा करने से विदेशियों को लाभ पहुंचेगा। गत वर्ष बंगाल कोयला समवाय को भी इसी प्रकार अनुमति दी गई थी। इससे तो विदेशी प्रभुत्व ही बढ़ेगा।

कलिंग वायुसेना को बम्बई से बड़ौदा तक सेवा बढ़ाने की अनुमति देना भी ठीक नहीं है क्योंकि यह एक गैर-सरकारी संस्था है। हमारे पास लगभग २००० डकोटा है। हमें उनका प्रयोग करना चाहिये यह भी औद्योगिक नीति संकल्प १९५६ के विरुद्ध है।

जहां तक इस्पात उत्पादन की बात है हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सके हैं। इस बारे में हमारी प्रगति बहुत कम है। मेरा निवेदन यह है कि इस्पात उत्पादन की प्रगति यही रही तो हम १०५ लाख टन इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को तीसरी योजना के अन्त तक कभी भी पूरा नहीं कर सकते। इस्पात देश के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जब तक इस्पात संयंत्रों को पूरी क्षमता से काम करने का अवसर नहीं मिलेगा तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे।

दक्षिण क्षेत्र में विद्युत् की कमी हो जाने के कारण कोयला खदानों पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ा है। आन्ध्र प्रदेश के कोटागोडियम नामक स्थान पर एक तापीय संयंत्र लगाने की योजना थी। लेकिन तीसरी योजना का प्रथम वर्ष समाप्त हो गया है किन्तु अभी तक इसके लिये जमीन तक नहीं ली गई है। मैं कह नहीं सकता कि आगामी ४ वर्षों में यह संयंत्र वहां लग भी सकेगा या नहीं।

नागार्जुन सागर बांध के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार से बराबर यह प्रार्थना करती चली आ रही है कि उसे अधिक धन दिया जाये ताकि यह काम शीघ्रता से किया जा सके। इस बांध के वहां बन जाने से चावल तथा अन्य अनाज की पैदावार अधिक हो सकती है और पी० एल० ४८० के अन्तर्गत आने वाले आयात में कमी की जा सकती है।

जहां तक आन्तरिक संसाधनों की बात है उद्योगपतियों को इस बात के लिये अभी तक मजबूर नहीं किया गया है कि वे भविष्यनिधि अंशदान ६¼ प्रतिशत से बढ़ा कर ८⅓ प्रतिशत कर दें। हालांकि वे इस स्थिति में हैं कि वे ऐसा कर सकें। दरअस्ल यह द्वितीय योजना काल के शुरू में ही हो जाना चाहिये था। फिर गरीब लोगों से, जिनको कि उनकी वांछित राशि भी नहीं मिलती है, बचत योजना के अन्तर्गत धन मांगने का क्या हक है। भविष्यनिधि अंशदान बढ़ाने के लिये तीन समितियां बनी हैं। सभी ने अंशदान बढ़ाने की सिफारिश की है लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

आय व्ययक में लगभग ६३·४६ करोड़ का घाटा दिखाया गया है। मेरा वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि वे आगामी वर्ष में कोई अप्रत्यक्ष कर न लगायें। क्योंकि अप्रत्यक्ष कर की स्थिति चरम सीमा तक पहुंच गई है।

बताया गया है कि कृषि का उत्पादन बढ़ा है लेकिन ग्राम पंचायत, सहकारी संस्थायें आदि के होते हुए भी ग्रामीण लोग अभी तक महाजनों के चंगुल से नहीं छूटे हैं। मेरे क्षेत्र में ये महाजन लोग १०० प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं। अतः इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है।

देश की शीघ्रता प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि प्रविधिक शिक्षा दी जाये। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करने के लिये भी यह आवश्यक है कि हमारे देश में इंजीनियरों की संख्या बढ़े। अतः मेरा अनुरोध है कि आगामी वर्षों में प्रविधिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाये। सरकार ने इस दिशा में कुछ पोलीटेकनिक स्कूल खोले हैं लेकिन वहां आवास की बहुत कमी है। साथ ही इनमें काम करने वाले अध्यापकों के रहने के लिये क्वार्टर भी नहीं है। इस मद में राज्य सरकारों को कुछ राशि अवश्य दी गई है लेकिन वह आवश्यकता से कम है। केन्द्रीय सरकार से मांग करने पर ज्ञात हुआ है कि तीसरी योजना में इस मद के लिये कोई राशि नहीं रखी गई है। अतः इस बारे में कुछ अवश्य किया जाना चाहिये।

गोआ भारत का अंग बन गया है। यह प्रसन्नता की बात है। लेकिन अंगोला में रहने वाले निवासी बड़ी दयनीय स्थिति में हैं। सरकार को उनकी स्थिति ठीक करने के लिये सम्बन्धित सरकार से बात-चीत करनी चाहिये।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

अन्त में मुझे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में एक निवेदन करना है। द्वितीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि यदि पूरे साल भर तक मूल्य देशनांक में १० अंकों की वृद्धि बराबर बनी हे तो उनका महंगाई भत्ता बढ़ा देना चाहिये। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली थी। चूंकि गतवर्ष १० अंकों की वृद्धि बनी रही है। अतः इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शीघ्र ही बढ़ा देना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : इस वर्ष भी घाटे का आय व्ययक प्रस्तुत किया गया है। बस एक अच्छी बात यह दिखाई पड़ती है कि कर लगाने के बारे में कोई संकेत नहीं मिलता। इस आय व्ययक में १२१ करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इसका कारण पूंजीगत व्यय की वृद्धि है। मैं आशा करता हूं कि इस दिशा में कदम उठाये जायेंगे कि यह घाटे की मात्रा कुछ कम हो जाये।

वित्त मन्त्री ने आर्थिक विकास पर सन्तोष प्रकट किया है। यह ठीक है कि कच्चे माल का मूल्य घटा है लेकिन तैयार माल एवं कृषि-उत्पाद के मूल्य बढ़े हैं। उपभोक्ता मूल्य देशनांक बढ़े हैं। मूल्य स्थिर अवश्य हुए हैं लेकिन बहुत ऊंचे जाकर।

वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में कहा है कि कर लगाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में मेरा यही अनुरोध है कि कर इस ढंग से लगाये जायें कि उनका भार सामान्य व्यक्ति पर न पड़े। क्यों कि वे पहले से ही काफी दबे हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे देश में ४० करोड़ व्यक्तियों में से १० करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो बिल्कुल नंगे रहते हैं। वे गरीबी से त्रस्त हैं। इन १० करोड़ में से ६ करोड़ ऐसे हैं जिनकी प्रतिदिन की आय केवल २५ नये पैसे हैं। २ करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी दैनिक-आय १२ नये पैसे है या वे भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकांशतः लोग गरीबी से त्रस्त हैं। अतः मेरा निवेदन है कि वित्त मन्त्री कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कर का भार इन गरीबों पर न पड़े। तथा उन लोगों पर ही पड़े जो धनी हैं।

वित्त मन्त्री ने आयकर इकट्ठा करने वाले पदाधिकारियों के कार्य पर सन्तोष प्रकट किया है। यह अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आय कर का बहुत सा भाग उद्योगपतियों द्वारा भुगतान नहीं किया जाता वे चोरी से बचा जाते हैं। अतः हम पदाधिकारियों को और भी सतर्क रहने के लिये कहा जाये। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या हमारे ये पदाधिकारी इतने कुशल हो गये हैं कि वह वांछित कर वसूल कर लेते हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें इतना कुशल होने के लिये कहा जाये कि वे वांछित राशि वसूल करने में सफल हो सकें और यह देखें कि चोरी से कर न छिपाया जाये। हमारा ध्येय यह होना चाहिये कि हम अधिक से अधिक कर वसूल कर सकें।

यह भी देखना है कि सरकारी क्षेत्र के संस्थान हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ अंशों में सहायता करें। कर लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि राजस्व का आय व्यव अथवा हानि यथासम्भव रोकी जाये। तथा राजस्व का सही और पूरा पूरा लाभ उठाया जाये।

यह ठीक है कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है लेकिन जिस दर पर बढ़ रही है वह चिंताजनक है। तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय ३० प्रतिशत तक बढ़ने की सम्भावना है लेकिन डर है कि यह बढ़ भी सकेगी।

विदेशों से हम बराबर ऋण ले रहे हैं। इन ऋणों का भार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों दोनों पर ही पड़ रहा है। इसका प्रभाव हमारे पौंड पावने की स्थिति पर भी पड़ रहा है।

निर्यात आय भी तेजी के साथ नहीं बढ़ रही है। हमें डर है कि शायद ही ८५० करोड़ रुपये के लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे। इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। आय व्ययक को देखने से पता चलता है कि प्रतिरक्षा पर इस वर्ष व्यय बढ़ा दिया गया है। देश की राजनैतिक स्थिति को देखते हुए यह ठीक है अतः इस वृद्धि का मैं स्वागत करता हूं।

पाकिस्तान हमें बराबर बुरा भला कहता चला आ रहा है। पाकिस्तान से बराबर हमें खतरा बना हुआ है। पाकिस्तान और भारत की सीमा के २२५० मील में से अभी तक १९७२ मील की हदबन्दी की गई है। अतः शेष हदबन्दी शीघ्र ही की जानी चाहिये।

काश्मीर की स्थिति भी हमारे लिये चिन्ता का विषय बनी हुई है। आजाद काश्मीर के प्रेजीडेंट ने घोषणा की है कि वह अपने सैनिक बल को बढ़ा रहे हैं और कभी भी काश्मीर पर आक्रमण कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात हो हम तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती ही रखना चाहते हैं। लेकिन हमारी सद्भावनाओं के बावजूद भी सीमान्त क्षेत्रों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। आसाम के सीमान्त क्षेत्रों में भी स्थिति बड़ी गड़बड़ है। चीन ने भी हमारे देश के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया है। इसके अलावा उसकी नीयत भी खराब है और वह भारत पर आक्रमण करने की तैयारी में है। अतः हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारियों को अधिक सम्पन्न बनाना है। अतः प्रतिरक्षा के मामले में जो राशि बढ़ाई गई है आशा है कि सभी लोग उससे सहमत होंगे।

आइल इण्डिया लिमिटेड को आसाम में काम करने के लिये अनुज्ञप्ति नहीं दी गई है अतः उसका काम रुक गया है। अतः शीघ्र ही यह अनुज्ञप्ति दे दी जानी चाहिये।

आसाम में गैर अधिकृत रूप से २ लाख से भी अधिक विदेशी लोग घुस आये हैं। इस अवैध प्रवेश को रोकने के लिये आसाम सरकार को ३ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। लेकिन वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में इस बारे में कुछ नहीं कहा है। अतः मेरा निवेदन है कि आसाम राज्य की मांगों पर ध्यान दिया जायेगा।

†**श्रीमती रेनुका राय** (मालदा) : वित्त मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हमारे सामने देश की आर्थिक स्थिति की बहुत स्पष्ट तसवीर खींची है। माननीय मंत्री ने मूल्यों के बारे में जो कुछ कहा है, उस में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चीनी, गुड़, चाय, दूध और घी जैसे खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी हुई है। यह भी सच है कि कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्यों में नहीं हुई है। कुछ और वस्तुओं, जैसा कि सिमेंट के मूल्यों में कमी हुई है। इस्पात, चीनी, कोयला और सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

निर्यात के बारे में, यह एक बहुत अच्छा लक्ष्य है कि निर्यात बढ़ गये हैं किन्तु हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। घाटे की अर्थव्यवस्था का मुकाबला करने के लिए उत्पादन और निर्यात बढ़ाना ही एकमात्र साधन है।

लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मत देकर यह सिद्ध कर दिया है कि योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम इतना खराब नहीं हुआ है, जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है।

यह सत्य है कि राजस्व आय में वृद्धि हुई है किन्तु इस में भी सन्देह नहीं कि करापवंचन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। यदि इस को रोका जा सके, तो नये कर लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करना देश के प्रति अन्याय होगा। कर इकट्ठा करने की व्यवस्था में सुधार करना चाहिये।

यह बड़े खेद की बात है कि बजट में सामाजिक और विकास सेवाओं में १२.६ करोड़ रुपये की बचत हुई है। इस का अर्थ यह है कि रुपया खर्च करने के प्रबन्ध पर्याप्त नहीं थे और आवंटन उन मदों के लिये नहीं किया जाता जो आसानी से क्रियान्वित हो सकें। यह बड़े दुख की बात है कि यह रकम जो देश के बच्चों की भलाई के लिये है, प्रशासन द्वारा खर्च न की जा सके/ वित्त मंत्री को यह देखना चाहिये और राज्यों को भी स्मर्ण कराना चाहिये कि भविष्य में ऐसा न हो और राशियों को पुनः आवंटन कर दिया जाये। प्रशासन पर किये गये व्यय के बारे में वित्त मंत्री बहुत सावधान हैं और इस को बढ़ने से रोकने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं।

वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में, मुझे हर्ष है कि सरकार ने इन्हें मान लिया है, जिस से राज्यों की आय बढ़ गई है। मैं समझती हूं कि सीमान्त पर सड़कों के निर्माण के लिये अधिक रुपया देना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं बजट का समर्थन करती हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : पिछले चुनावों में कांग्रेस ने कुल मतों में से ५० प्रतिशत मत भी प्राप्त नहीं किये। इससे शासक दल को अपनी ओर देखना चाहिए और अपनी त्रुटियों को जानना चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

म नहीं कह सकता कि भावी बजटों की रूपरेखा क्या होगी। मेरे विचार में अप्रत्यक्ष कर और नहीं लगाने चाहिए क्योंकि ये चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं और निर्धनता और बेरोज़गारी बढ़ रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं योजना की सफलता के पक्ष में हूं किन्तु प्रश्न यह है कि क्या योजना लोगों के लिये है या लोग योजना के लिये हैं। ऐसी योजना का क्या लाभ, जिसका फल गरीब श्रमिकों तक न पहुंचे। इस सम्बन्ध में रिहान्ड बांध का हवाला दिया जा सकता है। इस के पूरा होने के बाद केवल श्री बिड़ला के एलोमीनियम कारखाने को लाभ पहुंचा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था अर्थात्, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का विकास, वह पूरा नहीं हुआ।

माताटीला बांध की वास्तविक लागत के बारे में अभी तक मालूम नहीं हो सका। चाहे बुंदेलखंड हो या पूर्वी जिले हों, वहां बेरोजगारी और सूखा बढ़ रहा है। दूसरी योजना की समाप्ति के बाद भी इनकी हालत बिल्कुल नहीं बदली। दूसरी योजना के बाद बेकारों की संख्या १ करोड़ थी। अब मालूम नहीं तीसरी योजना के बाद कितनी होगी।

मैं सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और परियोजनाओं के पक्ष में हूं, किन्तु उन के कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में पूरी पूरी छानबीन की जानी चाहिये। वहां एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजा वाद चल रहा है।

अपने अन्तर्देशीय संसाधनों के बारे में, मैं पूछना चाहूंगा कि आय बीमे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता? यदि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी है, तो वह कहां गई है? कुल राष्ट्रीय आय का ७५ या ८० प्रतिशत भाग सात या आठ परिवारों की जेबों में गया है।

चीनी उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक है, क्योंकि चीनी के उद्योगपति काफी मुनाफा कमा चुके हैं।

यह दावा गलत है कि मूल्यों का स्थिरीकरण हो चुका है, यद्यपि तीन चार तक स्थिरता अवश्य रही है। इसलिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होनी चाहिये। मूल्य देशनांक बढ़ चुका है तथा वेतन आयोग ने इस वृद्धि के सम्बन्ध में जो शर्तें निर्धारित की थीं, उन्हें सरकार स्वीकार कर चुकी है। मेरा सुझाव है कि महंगाई भत्ता ५० प्रतिशत तो तत्काल बढ़ा देना चाहिये। शेष ५० प्रतिशत को मध्यस्थता द्वारा निश्चित करना चाहिये।

दुकानदारों के लिए विक्रय कर का लेखा रखने का तरीका बहुत जटिल है। इसको सरल बनाना चाहिए। ऐसा कर देने से करापवंचन भी कम होगा।

सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये कि विकास-अतिरिक्त व्यय जरूरत से अधिक बढ़ता न चला जाये। इस में छानबीन की आवश्यकता है।

भ्रष्टाचार को रोकने की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिये।

मुझे इस बात पर हर्ष है कि देश में प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा रही है। आर्डनेन्स कारखानों के कार्य-निष्पादन में और सुधार किया जाना चाहिये और इनमें और भरती की जानी चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका अता फरमाया। बहुत अरसे के बाद मैं यहां पर यह आखरी स्पीच कर रहा हूं। और मैं यह कहता हूं कि मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की खिदमत में बहुत ज्यादा फाइनेन्स के बारे में अर्ज नहीं करूंगा, टक्सेज़ के बारे में अर्ज नहीं करूंगा और इस तरह की

चीजों के बारे में अर्ज नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें कहना चाहता हूं जो कि मेरे दिल में चुभ रही हैं जिनको कि मैं अपना दिल खोल कर उनके सामने रखना चाहता हूं चाहे वे उनके डिपार्टमेंट के जरमेन हों या न हों। लेकिन मैं चाहूंगा कि उन पर तवज्जह दें।

कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि उन्होंने जो अब के दौरा किया हिन्दुस्तान का तो उन्होंने देखा कि हिन्दुस्तान के लोग बैटर ड्रेस्ड हैं, और बैटर फैड हैं। आज हाउस में जब कभी भी कोई बिल आता है या कोई बहस होती है तो हम सब से पहले यह सुनते हैं कि हिन्दुस्तान की हालत बहुत खराब है। कहा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक तरह तरक्की नहीं कर रहा है और चीजों का प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं हो रहा है। जब इस तरह का क्रिटिसिज्म किया जाता है तो क्रिटिसिज्म का असल प्वाइंट खत्म हो जाता है। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह सही है कि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जबरदस्त हुआ है। हमारे देश में पर कैपीटा इनकम भी बढ़ गयी है। हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ी है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या उसका वह असर हुआ है जो कि हम चाहते थे। आखिर अगर इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाये और लोग उसका ठीक फायदा न उठा सकें, अगर इनकम बढ़ जाये और उसका बटवारा ठीक न हो और इतनी इनकम बढ़ जाये कि उसको लोग फालतू कामों पर खर्च करें और असल काम में काम न लायें तो उससे क्या फायदा उस इनकम के बढ़ाने से और क्या फायदा इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से। क्या फायदा ऐसी आमदनी बढ़ने से अगर हमारी आबादी इतनी बढ़ जाये कि हम पूरी तरक्की न कर सकें और हर एक आदमी को यह दुःख हो कि उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। मैं अदब से अर्ज करना चाहूंगा कि सब के सब सवाल एक दूसरे से ऐसे मिले जुले हैं और एक दूसरे पर इतना असर रखते हैं कि सरकार एक सवाल को दूसरे सवाल से जुदा नहीं कर सकती। इस वास्ते जो चीज मुझे दिखाई देती है और जिसको कि मैं अर्ज करना चाहता हूं वह ४, ५ बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा।

नम्बर एक मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि दरअसल इस देश के अन्दर जिसको कि नेशनल इंटैग्रेशन कहते हैं जिसके कि वास्ते अभी कमेटी भी बैठी है और हमने इसकी बाबत हाउस में बहुत स्पीचेज भी सुनी हैं लेकिन दरअसल देखा जाय तो नेशनल इंटैग्रेशन के लिहाज से हम अधोगति को जा रहे हैं। हम देखते हैं कि पुरानी मुहब्बत, रवादारी, हमदर्दी और मिल कर काम करने की भावना कम होती चली जा रही है। लोग अपने सैलफिश प्वाएंट आफ व्यू से हर एक चीज को देखते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में पैट्रयाटिज्म बढ़ी है और हमारा मुल्क आगे बढ़ा है लेकिन मैं उन लोगों को यह बतलाना चाहूंगा कि हकीकत कुछ और है और लोगों के अन्दर कास्ट सिस्टम इतने जोर से बढ़ता चला जा रहा है जिस का कि कोई ठिकाना नहीं।

आप एलेक्शंस का जिक्र करते हैं लेकिन मैं तो कहूंगा कि एलेक्शन तो अलग चीज है हम और आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो पायेंगे कि अनटचेबुल्स् में, अछूत जातियों में, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स् में आपस में जितना भेदभाव है वह ऊपर की जातियों में नहीं है। मैं देखता हूं कि उन के अन्दर इस कदर तफरका है कि वह कभी आपस में मिल ही नहीं सकतीं। सिवाय इसके कि गवर्नमेंट को भी कुछ कहना हो तो वह कभी कभी मिल जाते हैं और एक होकर बोलने लगते हैं वैसे आपस में उन में इतना डिसइंटैग्रेशन है जिसका कि कोई ठिकाना नहीं। जब तक यह डिसइंटैग्रेशन कायम है, हिन्दुस्तान में इंटैग्रेशन की बात करना बिलकुल गलत है और यह हरगिज नहीं होगा।

अब के दफा क्या हुआ ? मैं खास एलेक्शंस का जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं एक वाकये का जिक्र जरूर करना चाहता हूं । मेरे जिले में जहां कि पहले कांग्रेस को जीत हुई हर एक चीज़ में पार्लियामेंट के अन्दर भी और साथ ही लोकल असेम्बली में भी और हर एक चीज़ में कांग्रेस की ही फतह होती थी । आखिर उसके अन्दर क्या बात थी ? उसमें एक बात थी और वह यह कि तमाम अछूत वोट कांग्रेस को मिला करते थे क्योंकि वह समझते थे कि यह गवर्नमेंट और कांग्रेस हमारी मददगार है और हम को मदद देगी । लेकिन अब की मर्त्तबा हमारे दोस्तों ने और हमारे लोगों ने क्या सिलसिला चलाया ? उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस चमारों के साथ चली गई है । बाकी जितने नॉन चमारस हैं उन्होंने सब ने आकर कांग्रेस के बरखिलाफ़ वोट दिये क्योंकि कांग्रेस तो चमारों की है और चमारों का साथ देती है, नौकरियां मिलें तो चमारों को, वजीफ़े मिलें तो चमारों को, हालांकि यह दुरुस्त नहीं है । चमार आबादी के लिहाज से ब्राह्मणों को छोड़ कर हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के अन्दर दूसरे नम्बर पर हैं । अब उनके इस प्रचार का असर यह हुआ कि आपस में उनका भेदभाव बढ़ा और गैर-चमारों का कांग्रेस को वोट नहीं मिला । जो कांग्रेस की वोट्स थीं उसके वास्ते यह हुआ कि चमारों को हमारे कांग्रेस के ऊपर के लोगों ने कई जगह उनको नीचा दिखाने की कोशिश की और उनके आदमियों को नहीं आने दिया गया । उन्होंने चमारों को यह कह कर वापिस भेज दिया कि कांग्रेस हमारी दुश्मन है । इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती थी । यह क्या बात हुई ? असल मामला जाता रहा । कांग्रेस क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है और यह लोग क्या करते हैं यह सब जाता रहा । वहां एलेक्शन में बात तो यह रही कि यह किस बिरादरी का है किसी उम्मीदवार को खड़ा करते वक्त यही चीज़ देखी गई । सारे हिन्दुस्तान की हिस्ट्री देखें सब जगह जातिवाद पर चुनाव लड़ा गया । जहां कहीं देखा कि किसी को हराना है, जानते हैं कि जो शख्स वह खड़ा कर रहे हैं वह उसके मुकाबले में फेल होगा लेकिन उसे खड़ा कर दिया ताकि १०—२० हजार वोट किसी तरह से कट जायें । हर एक जगह यही हुआ । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह चीज ऊपर की जातियों में हुए डिसइंटेग्रेशन के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक है और कभी इस देश का भला नहीं हो सकता है । सच पूछा जाय तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है और मुझे कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं कि यह कास्ट सिस्टम का मौनेस्टर आज के दिन हिन्दुस्तान में जितना पावरफुल है उतना शायद कभी न रहा होगा । यह कास्ट सिस्टम मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ह्यूमन नेचर के साथ एक तरह से इम्बैडिड सा हो गया है ।

महात्मा जी ने कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए बड़ी कोशिश की और हरिजनों के वास्ते तो उन्होंने अपनी जांन तक की बाजी लगा दी लेकिन मुझे यह कहने की इजाजत दी जाय कि महात्मा जी ने भी उस बहादुरी व प्रुडेंस से काम नहीं लिया जो कि इस देश के सरकम्स्टान्सेज वारेंट करते थे । उन्होंने ऊपर की जातियों में आपस में शादी करने के वास्ते एक दफा भी नहीं कहा । मुझे अफसोस है कि गांधी जी ने भी हरिजनों की एक नई कास्ट बना दी । हमारी गवर्नमेंट ने भी यही किया । जब कांस्टीटुएंट असेम्बली चलती थी उस वक्त मैंने अर्ज किया था कि आप इसमें शैड्यूल्ड कास्ट को बर्थ की बिना पर न रखिये, जाति की बिना पर न रखिये । अगर आप ने इस तरह से इसको रक्खा तो देश को बड़ा नुक्सान होगा । बहुत गौर खोज के बाद मैं महसूस करता हूं और मैं अपनी कंसिडर्ड ओपिनियन देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने यह अव्वल दर्जे की गलती की जो उसने शैडयूल्ड कास्ट को बर्थ की बिना पर रक्खा । सब जातियों को अलग अलग रख कर उन में तफरका बढ़ाया और देश में तफरका बढ़ाया और इसका सौल्यूशन नामुमकिन बना दिया । अगर गवर्नमेंट चाहती है कि देश में नैशनल इंटेग्रेशन हो तो उसके लिए जरूरी कदम भी उसको उठाने होंगे । अब यह तो हो नहीं सकता कि आप जमीन में बीज तो बबूल के बोयें और उम्मीद करें कि पेड़ आम के निकलेंगे । अगर कास्ट की बिना पर सारा सिस्टम चलता है और कास्ट की बिना पर सारी रिआयतें वगैरा दी जाती

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हैं और उनको देते समय यह ध्यान रक्खा जाता है कि यह मोची है, धानक है, चमार है या क्या है तो मुझे बतलाइये कि वह दिन कहां से आयेगा जब यह कास्ट सिस्टम हिन्दुस्तान से खत्म हो जायगा ? यह कास्ट सिस्टम इस तरह से तो खत्म होने वाला नहीं है । गवर्नमेंट कास्ट सिस्टम के बेस पर चल कर खुद उस की जड़ों में पानी दे रही है और उसको मजबूत कर रही है । अगर आप चाहते हैं कि वाकई यह कास्ट सिस्टम की लानत हमारे देश से दूर हो तो यह जो कास्ट्स को लेकर आप आये दिन प्रेसीडेंटल आर्डर्स पास करते हैं उनको बंद करिये तभी आपका यह नेशनल इंटेग्रेशन का प्लान कामयाबी के साथ आगे चल सकेगा । इसके सिवाय मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि . . .

श्री पहाड़िया (सवाई माधोपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : यह कहना गलत है कि गैर-चमारों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने इलाके के लिए कह रहे हैं ।

श्री पहाड़िया : वे हर एक इलाके के लिए कह रहे हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे अफसोस है कि मैं माननीय सदस्य के इंटरप्शन को नहीं सुन सका इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहते चले जाइये ।

पंडित ठाकर दास भार्गव : मैं गवर्नमेट से अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि वह मुझे बतलाये कि उसने सारी बिरादरियों के इंटेग्रेशन के वास्ते क्या किया ? सिवाय प्लैटीच्यूडस के और यहां पर कंडैम करने के अलावा गवर्नमेंट ने क्या स्टैप लिया ? जब तक हमारी आजादी नहीं आई थी मुझे याद है कि पंजाब के अन्दर सिक्खों और हिन्दुओं मे आपस में शादियां होने लगी थीं । रावलपिंडी साइड पर इंटरकास्ट मैरिजेज़ और बिरादरियों मे भी चलती थीं और उनके अंदर यह कास्ट का तफरका मिटता चला जा रहा था लेकिन अब मैं देखता हूं कि वह सब का सब खत्म हो गया । अब इंटरकास्ट मैरिजेज़ होती ही नहीं हैं और इंटर प्रौविंशिएल मैरिजेज़ जो कि काफी हुआ करती थीं अब वे भी नहीं होती हैं । कास्ट सिस्टम को खत्म करने और नेशनल इंटेग्रेशन को लाने के लिए सिर्फ एक इलाज है कि इंटर कास्ट मैरिजेज और इंटर प्रौविंशिएल मैरिजेज शुरू की जायें । इस से बढ़ कर और कोई दूसरा इलाज नहीं है लेकिन गवर्नमेंट यह नहीं करती है । गवर्नमेंट ने कतई कोई काम नहीं किया और उलटे कहती है यह है कि डिसइंटेग्रेशन हो रहा है । अगर आप सही मायनों में चाहते हैं कि नेशनल इंटेग्रेशन हो तो इस इलाज को आप शुरू कीजिये । अछूतों और सवर्ण जातियों के अन्दर शादियां करवाइये । इस तरह से उनको आपस में मिलाइये और एक करिये । कास्ट सिस्टम को अगर आप वाकई तोड़ना चाहते हैं तो आपको यह चीज करनी होगी वरना यह कास्ट सिस्टम कभी टूटने वाला नहीं है और यह हमको तबाह कर देगा ।

आज अफसोस का मुकाम है कि अलहदगी की भावना दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है और हिन्दुस्तान की एकता को नुक्सान पहुंच रहा है । अब पंजाब को जुदा कर दो, द्राविणों को जुदा कर दो यह जो सारे मूवमेंट्स चलते हैं यह मुल्क को डिसइंट्रैगेट कर रहे हैं । इसी तरह आसामी कुछ बोलते हैं और बंगाली भाई कुछ बोलते हैं । अब जाहिर है कि इन सब का नतीजा डिसइंटेग्रेशन ही होने वाला है । मुझे अफसोस है कि गवर्नमेंट नेशनल इंटेग्रेशन लाने के लिए उस जरूरी इलाज को नहीं कर रही है जिसका कि मैं जिक्र कर चुका हूं । गवर्नमेंट को इसकी तरफ खास तवज्जह देनी चाहिए । बिला तवज्जह के गवर्नमेंट की सारी स्कीमें धरी की धरी रह जायेंगी ।

मैं आपकी खिदमत मे अर्ज करना चाहता हूं कि मैं अपने इलाके को ज्यादा बेहतर जानता हूं। अगर मेरा डिस्क्रिप्शन दूसरे इलाकों को सूट न करे तो मैं अपने उन भाइयों से माफी चाहूंगा। मैं अपने पंजाब को जानता हूं, अपने जिले हिसार की बाबत थोड़ा बहुत जानता हूं बाकी मुझे दूसरी जगहों की बहुत ज्यादा वाकफियत नहीं है। अब यह कहा जाता है कि लोगों की आमदनी बहुत कम हो गयी। अभी थोड़े दिन हुए एक रिपोर्ट छपी थी कि रूरल लोगों की आमदनी बहुत कम हो गई खसूसन रूरल ऐरिया में लेकिन मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जो हम आंख से देखते हैं उसके कतई बरखिलाफ है। आज हम देखते हैं कि पंजाब में गांवों के अंदर किसी भी आदमी की तीन रुपये रोज से कम की आमदनी नहीं है। अभी पिछले दिनों एक मिनिस्टर साहब ने कहा था कि भले ही कितने लोग मेरे पास आयें मैं उनको तीन रुपये रोज दूंगा। तीन रुपये रोज वहां लोग कमाते हैं। अब यह सवाल दूसरा है कि वह तीन रुपया उनका जाता कहां है। यह तीन रुपये उनके खाने पर खर्च नहीं होता और उनकी जरूरयात पर खर्च नहीं होता बल्कि वह जाता है सट्टे के अन्दर यानी गैम्बलिंग के अन्दर, वह सिनेमा देखने में रुपया उनका जाता है। वह उनका रुपया शराबखोरी में जो कि जिंदगी को तबाह करने वाली चीज है, उसमें जाता है। अब यह शराबखोरी सबसे बुरी और इंसान को बिल्कुल तबाह करने वाली चीज है। अब आये दिन हम यहां पर नशाबंदी के लिए मीटिंग्स करते हैं और श्री श्रीमन् नारायण ने इसके वास्ते एक प्रोहिब्शिन कमेटी भी बनाई हुई है यह सब कुछ किया गया है लेकिन उसका कुछ असर होता नहीं नजर आता। आप किसी से भी पूछिये तो आपको यही कहेगा कि हमारे यहां पहले की बनिस्बत अब शराबखोरी कई गुना अधिक बढ़ गयी है। देश में शराबखोरी बढ़होतरी पर है। शराब से मर्डर्स होते हैं और दूसरे कई तरह के जरायम होते हैं। शराब से इंसान की अक्ल कायम नहीं रहती है।

महात्मा जी ने चार स्तून स्वराज्य के लिये बनाये थे जिसमें शराबखोरी को खत्म करना एक स्तून था। लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि क्या यह दुरुस्त नहीं है कि इस मद से गवर्नमेंट को जो आमदनी होती है वह पहले से दुगनी और चौगुनी हो गयी है? जब तक देश में शराबखोरी चलती है तब देश का भला न हो सकेगा। कोई गांव मेरे जिले में ऐसा न होगा जहां कि शराब बनाने की भट्टी न लगी हुई हो। हमें तो शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए कि जिस देश के अन्दर महात्मा गांधी ने नशाबंदी और शराबखोरी को एक दम बन्द करने की आवाज बुलन्द की और देशवासियों को उसे कतई बन्द करने का हुक्म दिया वहां यह सब कुछ हो रहा है।

दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह डिसइंटैग्रेशन के बारे में है। यह तो ठीक है कि डिसइंटैग्रेशन की तरफ ले जाने वाली चीजों को लोग डिक्राई करते हैं और बजा तौर पर डिक्राई करते हैं लेकिन उसका इलाज तो करना चाहिए वह नहीं किया जाता है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट और हम लोग उसका सही इलाज नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जोकि हमारे काबू की हैं और हम उनको कर सकते हैं लेकिन हम एम० पीज० और एम० एल० एज० जोकि यहां रहते हैं हम ही कुछ नहीं करते हैं और सिवाय इसके कि हाउस में कुछ बोलें आगे कुछ नहीं करते हैं।

शराब दूसरी चीज़ है, जिसकी तरफ़ मैं आनरेबल फ़िनांस मिनिस्टर साहब की तवज्जह खास तौर पर दिलाना चाहता हूं। वह इस बारे में ड्रास्टिक स्टेप्स लें, काम करें। प्रचार करें और गवर्नमेंट इस काम पर खर्च करे। वह दूसरे कामों पर तो खर्च करती है, लेकिन प्रचार पर बहुत कम खर्च करती है। सरकार की तरफ़ से यह कहा जाता है कि लोग अपने आप यह काम करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि लोग खुद कुछ नहीं करेंगे। अगर यह वाकई एक वैलफ़ेयर स्टेट है, तो गवर्नमेंट का यह फ़र्ज़ है कि जहां तक मुमकिन हो, वह इस बारे में प्रचार करे और लोगों को बताये कि शराब की आदत लोगों को तबाह कर देगी।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

मैं सब से पहले १९४७ में पार्लिमेंट में आया था । इस दौरान में मैं ने देखा है कि हमारा टैक्सेशन का सिस्टम कई सूरतों में कांस्टीट्यूशन की दफ़ा १४ के खिलाफ़ है । मैं खास तौर पर यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस सिस्टम में तब्दीली करने के लिए मैं ने जितनी कोशिश करनी थी, वह मैं ने कर ली और मैं उस में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मेरी नाकामयाबी का मतलब यह नहीं है कि जो कुछ मैं कहता रहा हूं, उस में जान नहीं है, या आईन्दा इस का इलाज नहीं होगा ।

मैं ने कई दफ़ा फैला कर इस हाउस में हिसाब दिया है कि अगर एक हिन्दू ज्वायंट फ़ैमिली की चार लाख की आमदनी होती है और उस फ़ैमिली के चार मेम्बर हैं, तो उस हिन्दू या सिख की माहवार आमदनी एक हज़ार रुपया माहवार होगी । लेकिन अगर वही चार आदमी पारसी हैं, या माहेमेडेन ला से गवर्न होते हैं और हिन्दू ला से गवर्न नहीं होते हैं, तो सारे टैक्स दे कर उस की आमदनी चार हज़ार रुपये माहवार होगी । अगर यह दुरुस्त है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस सैकुलर स्टेट में हिन्दू या सिख होना जुर्म है या किसी पर हिन्दू ला एप्लाई होना खराब समझा जाता है ।

मैं जानता हूं कि अगर इस सिस्टम में तब्दीली की जाये, तो इस से गवर्नमेंट के खज़ाने को नुकसान होगा । इसी लिए कोई इस तरफ़ तवज्जह देने के लिए तैयार नहीं है । मुझे इस बात का इल्म है कि मि० सुष्टर और मि० ब्लैकेट और दूसरे फ़िनांस मिनिस्टर्ज़ ने यह तस्लीम किया कि यह एक सख्ती है । उन्होंने कहा कि जब टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी बनाई जायगी, तो उस के सामने ये बातें रखी जायें । जब श्री जान मथाई की चेयरमैनशिप में टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी बनी, तो मैं उसके सामने पेश हुआ । पहले वह मानते थे कि जो कुछ मैं कहता हूं, वह सही है । उन्होंने खुद फ़िनांस बिल्ज़ में तरमीमें की थीं और हिन्दू ज्वायंट फ़ैमिली को कुछ रियायतें दे कर उस की अश्कशोई की । अगर डबल इनकम हो और दो आदमी हों, तो उन पर टैक्स न लगे, वग़ैरह, इस किस्म की थोड़ी सी रियायत उन्होंने दी, लेकिन बाकी वही रखा ।

मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस बात को जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि अगर चार आदमियों का कुनबा हो, तो उस पर पच्चीस हज़ार रुपये का सुपर टैक्स लगेगा और अगर एक आदमी हो, तो भी उतना ही टैक्स लगेगा । इस से तो यूक्लिड का वह उसूल ही ग़लत हो गया कि "दि होल इज़ ग्रेटर दैन दि पार्ट" । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह एक ऐसी इन-ईक्विटी है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है ।

मैं ने गवाही में ये सब बातें कहीं और उन्होंने कहा कि यह सब ठीक है लेकिन हम खजाने में जो कमी होगी रुपये की कैसे पूरा करें । मैं ने अर्ज़ किया कि आप हवा और पानी पर टैक्स लगा दें, लेकिन इन्सानों पर टैक्स क्यों लगाते हैं । उन्होंने कहा कि हम इस वक्त इस बारे में फ़ैसला नहीं करते, क्योंकि अभी हिन्दू ज्वायंट फ़ैमिली की थ्योरी और हिन्दू ला फ्लक्स की हालत में है, पता नहीं, इस का क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा--उन्होंने यह नहीं लिखा कि यह टैक्स वाजिब है और यह लगाया जाना चाहिए--और यह कह कर उन्होंने पीछा छुड़ा लिया ।

थोड़े दिनों बाद श्री टी० टी० कृष्णमाचारी तशरीफ़ लाये और उन्होंने यक-क़लम मथाई साहब की दी हुई रियायत को छीन लिया और कहा कि यह मुनासिब नहीं है । मेरे कई बार अर्ज़ करने पर उन्होंने कहा कि फ़िनांस मिनिस्टर के तौर पर मैं सब से पहले रुपये की तरफ़ देखता हूं । मौजूदा फ़िनांस मिनिस्टर साहब से मुझे उम्मीद थी कि वह ज़रूर इन्साफ़ करेंगे । चुनांचे उन्होंने वायदा किया कि इस को देखेंगे । उन्होंने देखा और मुझे चिट्ठी लिखी कि हम इस वक्त इस में तरमीम नहीं करना चाहते । लेकिन इस उसूल की बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि इस में

इन-ईक्विटी है या नहीं, जो कुछ वह कर रहे हैं, वह वाजिब है या नहीं । पता नहीं, उन्होंने इस के मुताल्लिक क्या सोचा, क्या नहीं सोचा । मैं जानता हूं कि सरकार के लिए इतना रुपया छोड़ना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह कोई और तरीका निकाले, कोई टैक्स लगाये, कुछ ही करे, लेकिन इस तरह से वह कांस्टीट्यूशन की दफ़ा १४ को न तोड़े, "ईक्वालिटी बिफोर दि ला" के उसूल की ख़िलाफ़-वर्ज़ी न करे, एक सैकुलर स्टेट में रिलिजन की बिना पर डिस्क्रिमिनेशन और डिफ़रेंसियेशन न करे, क्योंकि यह वाजिब नहीं है ।

हम देखते हैं कि हुकूमत ने हिन्दू ला को तो ख़ैरबाद कह दिया है । हिन्दू ला में सैपेरेशन आफ़ स्टेट्स पर पार्टीशन होता है, जब कि उस ने इनकम टैक्स एक्ट की दफ़ा २५ में यह लिख दिया है कि एक्टुअल मीट्स एंड बाउंड्ज़ से पार्टीशन होगा, जो कि हिन्दू ला के ख़िलाफ़ है, दूसरे लाज़ के ख़िलाफ़ है और ऐसा ला नहीं है, जो कि जेनरल ला आफ़ दि लैंड हो ।

यही नहीं, हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया कि ज़िन्दा आदमी की जायदाद एस्टेट ड्यूटी में ली जाती है । फ़िनांस मिनिस्टर साहब मुझे माफ़ करेंगे अगर मैं तवजह दिलाऊं कि श्री गोपाल रेड्डी श्री अनंतशयनम् अय्यंगार के, जो कि उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे, जब आखरी बिल इस मामले पर पेश हुआ चन्द सवालों का जवाब न दे सके । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन एनामेलीज़ को दूर किया जाना चाहिए । ये एनामेलीज़ ज़ाहिर करती हैं कि इस मुल्क में रूल आफ़ दि ला नहीं है, यहां पर ईक्वेलिटी नहीं है, यहां पर डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि नहीं होनी चाहिए । इस की वजह यह है कि इस में रुपये-पैसे का सवाल आता है और यह बात हमारे सेन्स आफ़ आनर के अगेन्स्ट जार करती है ।

यह दुरुस्त है कि इस हुकूमत को दुख देने के लिए मैं अगली लोक सभा में नहीं आया हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे आदमी निकलेंगे, जो इस कानून में तब्दीली कराने के लिए कोशिश करते रहेंगे ।

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : सुनना तो क्या, उन्होंने देखना भी बन्द कर दिया है । वह अब किसी को देखते नहीं हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे इस बात पर पूरा कान्फिडेंस है, विश्वास है कि जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूं, वह इस सब पर ग़ौर करेंगे । अगर ऐसा न होता, तो मैं कुछ भी अर्ज़ न करता ।

मैं मिनिस्टर साहब से यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि वह इस क्वेस्टियन को ज़रूर देखें और यह तसल्ली कर लें कि इन तीन बातों में डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं और वह इस को दूर कर दें ।

इस के बाद मैं एक और बात का ज़िक्र करना चाहता हूं, जो कि तवज्जह की मुस्तहक है, हालांकि मैं समझता हूं कि वह डैफ़ इयर्ज़ पर फ़ाल करेगी । एक सब से बड़ा सवाल यह है कि जो लोग तीन चार रुपये रोज़ कमाते हैं--जिस को वे शराब, सट्टेबाज़ी और सिनेमा पर ख़र्च करते हैं--उनको यह कमाने का क्या फ़ायदा है ? उन को क्या मिलेगा ? उन के टेन्योर को, जिसमें वे सिक्योरिटी फ़ील करते, सरकार ने छीन लिया है । आज एक शख्स भी सीरी नहीं बन सकता । अगर वह सीरी हो, तो ज़मीन में उस का हिस्सा हो । आज लैंड-लार्ड्ज़ न उन को खेती में शामिल करते हैं और न उन को हिस्सा देते हैं । वे ग़रीब बेचारे मज़दूरों की तरह काम करते हैं और पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं । इसलिए यह ज़रूरी है कि टैनन्ट्स को लैंड-लार्ड्ज़ के साथ ज़मीन पर टैन्योर दिया जाये, क्योंकि हर एक शख्स सिक्योरिटी हासिल करना चाहता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अब मैं उस बात का ज़िक्र करना चाहता हूं, जो कि मैं आज तक कहता आया हूं । सरकार हमेशा लोगों की न्यूट्रीशन बढ़ाने और ग़ल्ले की पैदावार बढ़ाने की बात कहती है । मुझे इस बात की खुशी है कि अब इस देश में इतना ग़ल्ला होता है, कि जो कि हमारी ज़रूरतों के लिए काफ़ी है । हम ग़ल्ले के मामले में सैल्फ़-सफ़िशेन्ट हो गये हैं । न्यूट्रीशन कमेटी ने चौदह औंस अनाज पर कैपिटा की सिफ़ारिश की थी, जब कि प्रैज़ेन्ट प्राडक्शन में सत्रह औंस एक आदमी के लिए मौजूद है और आईन्दा फ़ाइव यीअर प्लान में इस से भी बढ़ जायगा । लेकिन सरकार के ख़्याल में दूध की पोज़ीशन क्या है ? मैं हमेशा इस पर ज़ोर देता रहा हूं । आसाम में एक आदमी को आधी छटांक दूध मिलता है और सारे देश में दो छटांक के करीब पर कैपिटा दूध मिलता है । बच्चों को दूध नहीं मिलता है ।

अभी आप ने तक़रीर सुना कि इस देश में अन-एम्पलायमेंट बहुत है । यह हक़ीक़त है कि इस देश में वांट आफ़ एम्पलायमेंट और करप्शन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, जिन की वजह से शर्म से सिर झुकाना पड़ता है । मुझे दुख है कि हम इस का इलाज नहीं कर सके हैं । दूसरे फ़ील्डज़ में हमने बेहद तरक्की की है । हम हर जगह कह सकते हैं कि हम ने कुछ कर के दिखाया है । पहले ज़िला हिसार में कहत पड़ा करते थे, लेकिन अब कहत मीलों भाग गया और वहां पर लोग अब अच्छा खाते-पीते हैं और अच्छी पैदावार करते हैं । लेकिन खाने की चीज़ उन के पास नहीं है । लोगों को दूध नहीं मिलता है । मैं अर्ज़ करना चाहता कि जब तक देश में काफी दूध पैदा नहीं होगा, तब तक न्यूट्रीशन का मसला हल नहीं हो सकेगा । वह तभी हल हो सकता है कि लोगों को दूध मिले । मैं इस वक्त दूध के फ़वायद अर्ज़ नहीं करना चाहता । अगर आप चाहें, तो मैं ने जो एक छोटी सी किताब लिखी है, वह आप की ख़िदमत में भेज दूंगा ।

सब से बड़ा सवाल यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कहने के मुताबिक देश में बड़ी आसानी के साथ दुगना दूध हो सकता है । किस तरह से ? चारे की कमी है । कहा जाता है कि कनसेन्ट्रेट ७८ परसेंट के लिए नहीं है और चारा ३० परसेंट के लिए नहीं है । लेकिन इस बारे में अब कोशिश की गई है । सरकार की तरफ़ से एक गौ-संवर्द्धन कौसिल बनाई गई, जिसके चेयरमैन के तौर पर हमें ऐसा आदमी मिला, जो कि, मुझे उम्मीद है, देश में इनक्लाब पैदा कर सकता है । मेरा मतलब है श्री ढेबर से । चार्ज लेते ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया । लेकिन थोड़े अर्से के बाद ही उनको उठा कर दूसरी जगह भेज दिया गया---उनको शड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन में लगा दिया और उनको यह काम नहीं करने दिया गया । मैं चाहता हूं कि उनको मिनिस्टर चाहे न बनायें, लेकिन अगर उनको इसी कोंसिल में रखें, उनको गौ-संवर्द्धन का काम दें, करने का मौका दें, उनको रुपया दें, तो देश की कायापलट हो जाएगी । मिकस्ड फार्मिंग हमारा तभी सफल होगा, सहकारी खेती हमारी तभी सफल होगी जब गांवों के अन्दर जा कर लोगों को हम बतायेंगे कि वे दूध को बढ़ाएं । डेनमार्क में एक जानवर दस सेर दूध देता है जब कि हमारे देश के अन्दर एक जानवर दस छटांक दूध देता है । हमारे देश में दूध दुगुना हो जाए तो देश की कायापलट हो जाएगी । आज देखने में आता है कि रुपया पूरा खर्च नहीं किया जाता है और जो फायदे हमें मिलने चाहियें वे नहीं मिलते हैं । एक कमेटी बिठाई गई थी जिसने कहा था कि एक एकड़ गांव में दस दस एकड़ का एक फार्म होना चाहिए । लेकिन उस कमेटी की जितनी भी सिफारिशें थीं वे सारी की सारी वेस्ट पेपर बास्किट में पड़ी हुई हैं और पड़ी रहेंगी तब तक जब तक कि देश का काम खत्म नहीं हो जाएगा । इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए । जो रीयल काम करने को है उसकी तरफ मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है आप तवज्जह नहीं देते हैं । आप सब कुछ करते हैं लेकिन ये जो

छोटी छोटी चीज़ें हैं जोकि लोगों के फायदे की हैं, इनके बारे में आप कुछ नहीं करते हैं । यह जो गाय के बारे में और खेती के बारे में मैंने अर्ज़ किया है इस तरफ आपका अवश्य ध्यान जाना चहिए । आपको देखना चाहिए कि दस बरस के अन्दर देश में दुगुना दूध हो जाए और अगर ऐसा हो गया तो देश की कायापलट हो जापेगी । तब आप देखेंगे कि आपने इतना फायदा कर दिया होगा कि सारे का सारा जो मिनिस्टर्ज़ का सैट है वह भी नहीं कर सका होगा ।

गोसंवर्धन को अच्छी तरह से काम करने दिया जाना चाहिए । अगर उसने अच्छा काम किया तो देश की फ़िज़ा ही बदल जाएगी और एक दूसरी फिज़ा पैदा हो जाएगी । लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । मैंने सुना था कि ढेबर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने उसको वापिस ले लिया है और वह फिर से मुकर्रर किए जा रहे हैं । इसकी मुझे खुशी है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमने उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जो मैंने अर्ज़ की हैं तो जो पिछले पंद्रह बरस के अन्दर हमने काम किया है, और गोसंवर्द्धन कांसल को अख्तयारात दिये हैं वे बेसूद हो जावेंगे । और सब जाया हो जायेंगे ।

ये बातें हैं जो मुझे अर्ज़ करनी थीं । मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री बलराज मधोक (नई दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह अन्तरिम बजट है और इस कारण उसके द्वारा देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिति के बारे में पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता है और न ही देश के ऊपर करों का जो और बोझ पड़ने वाला है उसका पूरा ज्ञान मिल सकता है । फिर भी जो कुछ उन्होंने अपनी बजट प्रोपोजल्ज़ में और अपने भाषण में कहा है उससे देश की आर्थिक स्थिति का कुछ मूल्यांकन हो सकता है ।

उन्होंने बताया है कि रेवेन्यू एकाऊंट में अगले वित्तीय वर्ष में ६३ करोड़ का घाटा होगा और यदि उसके साथ विकास के जो कार्य हैं, उनमें जो घाटा होगा वह भी मिला दिया जाए तो घाटा बढ़ कर १४७ करोड़ हो जाएगा । जो रुपया विकास इत्यादि के लिए आने वाला है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि वह कहां से आयेगा । उन्होंने कहा है कि आठ सौ के करीब रुपया बाहर से और अन्दर से कर्जे के तौर पर आएगा और २१८ करोड़ रुपया रीपेमेंट आफ लोंज़ से आएगा । २०३ करोड़ रुपया मिसलेनियस डैट इत्यादि से आएगा । यह तो ऐसी ही बात है कि कोई आदमी अपने घर का बजट बना लेता है और कहता है कि मुझे घर में रेडियो भी चाहिए, कार भी चाहिए, सोफा भी चाहिए और ये सब चीज़ें मेरे पास होंगी लेकिन जब सवाल पैदा होता है रुपये का तो वह सोचता है कि चार सौ रुपया वहां से कर्ज़ ले लूंगा, दो सौ रुपया चोरी कर लूंगा और जो बाकी दरकार होगा वह भी कहीं न कहीं से आ ही जाएगा । इस प्रकार का हमारा प्लानिंग है, इस प्रकार का यह बजट है । माननीय मंत्री जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और अगर उनके बारे में यह कहा जाए कि वह इस बात को जानते नहीं हैं तो यह गलत होगा । लेकिन हमारी अल्पबुद्धि में तो यह चीज़ आती नहीं है । इस प्रकार का जो बजट है, इस प्रकार का जो प्लानिंग है, उससे देश का विकास कैसे हो सकता है, यह हमारी समझ में नहीं आया है ।

तीसरे प्लान की बड़ी चर्चा की गई है । उसके लिए जहां साधनों की बात कही गई है वहां यह बताया गया है कि २३०० करोड़ रुपया बाहर से मिलेगा और वह सारा उधार मिलेगा । बाहर का कर्ज़ा अगर मिल गया तब तो काम चल जाएगा और अगर नहीं मिला तो काम नहीं चल सकेगा । दूसरे प्लान में हमने देखा है कि कर्ज़ा पूरा नहीं मिला गौर चूंकि कर्ज़ा पूरा नहीं मिला इस वास्ते, हम

को नोट छापने पर मजबूर होना पड़ा, डिफिसिट फाइनेंसिंग करने पर मजबूर होना पड़ा जिस के नतीजे के तौर पर हमारे देश में मुद्रा-स्फीति हुई । इसका नतीजा यह हो रहा है कि दाम बढ़ रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : फारसी की एक सेइंग जिससे शायद आनरेबल मैम्बर वाकिफ होंगे । वह इस प्रकार है :

"खर्च कुन, अमीर शौ, अमीर शवी, जर्द सया" ।

श्री बलराज मधोक : क्या इसका अर्थ है यह मैं समझ नहीं पाया हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : खर्च करो तो अमीर होगे और जब अमीर होगे तो दौलत बहुत हो जाएगी ।

श्री बलराज मधोक : यह भी एक शेखचिल्ली का ढंग हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक फारसी की सेइंग थी जो मैंने आपको सुना दी है ।

श्री बलराज मधोक : किसी आर्थिक नीति या योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले देखें कि देश का आज मूल प्राबलेम क्या है, समस्या क्या है । वास्तव में देखा जाए तो हमारे देश की समस्या अनाज की नहीं है, कपड़े की नहीं है । दुनिया आज बहुत छोटी हो गई है । अगर किसी मुल्क में अनाज नहीं होगा तो वह दूसरे मुल्क से आ जाएगा । जैसे पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा देश में अनाज काफी है, कपड़ा काफी है । लेकिन इस सब के बावजूद हमने देखा है कि अभी थोड़ी देर पहले एक कोल्ड वेव आई थी जिसके परिणामस्वरूप सैंकड़ों लोग मर गए थे क्योंकि पहनने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं था । आज हमारे यहां कपड़ा इतना पैदा हो रहा है उसकी खपत न हो सकने की वजह से मिलें बन्द हो रही हैं । अनाज हमारे गोदामों में इतना भरा पड़ा है कि उसको दीमक खाए जा रही है । इतना अनाज होते हुए भी लोग हमारे देश में भूखों मर रहे हैं। इसलिए हमें वास्तविक समस्या क्या है इसका पता लगाना होगा । देश में कपड़े का कैहत नहीं है, अनाज का नहीं है, दूसरी चीज़ों का कहत है तो क्रय शक्ति का नहीं है हमारे देश में लोगों की परचेज़िंग पावर नहीं है और परचेज़िंग पावर इसलिए नहीं है कि लोगों के पास करने के लिए काम नहीं है । इस वास्ते हमारे देश का बुनियादी सवाल बेकारी है । यह ठीक है कि हमारे देश की आबादी अधिक है परन्तु अधिक आबादी को मारा नहीं जा सकता है । आबादी आगे चल कर और भी बढ़ने वाली है । आप परिवार नियोजन की बात करते हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उससे ऐसे लोगों को लाभ हो रहा है जिन को नहीं होना चाहिए और जिन को उसका लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है । आबादी देश की बढ़ने वाली है और इसके साथ ही साथ बेकारी भी बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी ।

इसलिए मूल कसौटी जिस पर हम को अपनी योजना को आंकना चाहिए यह है कि उससे देश की बेकारी कम हुई है या नहीं । वित्त मंत्री जी के पास आंकड़े हैं और वह उनसे यह जान सकते हैं कि बेकारी कम होने के बजाए बढ़ी है । योजना बनाते समय तो यह सोच लेना चाहिये कि आबादी बढ़ेगी । आपकी योजना तभी सफल होगी जब आबादी बढ़ते रहने के बावजूद भी बेकारी कम हो सके । जब लोगों को काम मिलेगा तब उनके पास पैसा आएगा, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वे चीज़ों की खरीद सकेंगे । यह तो पहला प्राब्लेम है ।

दूसरा प्राब्लैम महंगाई का है । महंगाई बढ़ती चली जा रही है । वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि कीमतें स्टैबेलाइज़ हो रही हैं, स्थिर हो रही हैं। दो महीने कीमतें न बढ़ें और उसके आधार पर यह कहा जाय कि कीमतें स्थिर हो गई हैं, तो यह गलत बात है। पिछले दस सालों का जो अनुभव है वह यह बताता है कि कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जैसी हमारी योजना है , जिस प्रकार हम (मुद्रास्फीति कर रहे हैं, जिस प्रकार हम डिफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार हम नोट छाप रहे हैं, जिस प्रकार हम रैकलैस स्पेंडिंग कर रहे हैं, बेदरेग़ी से खर्च कर रहे हैं, उसको देखते हुए कीमतें आगे भी बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो बंधी हुई आमदनी वालों की हालत दूभर होती चली जाएगी और हो रही है । इसलिए दूसरा बुनियादी सवाल महंगाई का है । पहला बेकारी का है । हमें देखना है कि हमारी योजनाओं द्वारा ये जो मूल सवाल हैं, हल हुए हैं, या नहीं हुए हैं। जब हम योजना को इस कसौटी पर परखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी योजना फेल हुई है, हमारी आर्थिक नीति फेल हुई है ।

इसका मूल कारण यह है कि हमारी आर्थिक योजनाएं, हमारी नीतियां यथार्थवादी नहीं हैं, डागमैटिक हैं। हमने सोशलिज्म का नारा पकड़ लिया है । हमारे सामने सोशलिज्म का मतलब साफ नहीं है । दुनिया में इसके बीसियों मतलब लगाए जाते हैं। हमें पता नहीं कि हम क्या मतलब लगाते हैं। लेकिन हमने नारा जरूर पकड़ लिया है और उसके आधार पर हम अपनी योजना बनाना चाहते हैं। हमारे सामने माडल रूस और अमरीका हैं जहां की परिस्थितियां भिन्न हैं। वहां भूमि अधिक है, पूंजी अधिक है, काम अधिक है, लोग कम हैं। इसलिए उनका सारा प्लानिंग कैपिटल इंटेंसिव है, पूंजी प्रधान हैं। वे नित नई मशीनें तैयार करते हैं ताकि लेबर को बचा सकें, आदमी कम लगें और पूंजी और मशीन का उपयोग अधिक हो। हमारे यहां परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। हमारे यहां जमीन कम है, पूंजी कम है, आदमी अधिक हैं । अगर हम अपना प्लानिंग रूस और अमेरिका के अनुरूप करेंगे । ऊपर , बड़े बड़े कारखानों के ऊपर ही बल देंगे तो देश की बुनियादी समस्याएं हैं, बेकारी की और महंगाई की, वे दूर नहीं होंगी । वे तभी दूर हो सकती हैं जब हमारी योजना यथार्थवादी होगी जिस में एक तो उपज़ बढ़े और उपज बढ़ने के साथ साथ अधिक लोगों को काम भी मिल सके । जो माल बाहर भेजना है जो चीज़ें छोटी मशीनों द्वारा नहीं बनाई जा सकती हैं, जो कैपिटल गुड़ज़ हैं, जो एक्सपोर्ट गुड़ज़ हैं, उनके लिये तो आप लेटेस्ट मशीनरी लगाएं परन्तु जिन चीज़ों की इंटरनल मार्किट के लिए जरूरत हो वे स्माल-स्कैल-इंडस्ट्री द्वारा तैयार हों ।

बाहर की मार्किट वैसे भी कम होने वाली है । हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी निर्यात एक्सपोर्ट्स बढ़ें लेकिन वे बढ़ नहीं रही हैं और न ही बढ़ सकती हैं। इसका कारण यह है कि सभी देश आर्थिक विकास द्वारा जो वहां हो रहा है, उस के अन्तर्गत अपने आप को आत्म-निर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सभी देश आत्म-निर्भर हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम होंगी । इसलिए हमें चाहिए कि हम एक्सपोर्ट्स तो बढ़ाएं लेकिन साथ ही यह मान कर चलें कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट्स हमारी कम होंगी । हमारी जो इन्टरनल मार्किट हैं, जो अन्दर की मार्किट है वह बहुत बड़ी है और अन्दर की मार्किट के लिए हम इस ढंग से कोशिश करें कि एक तो उपज बढ़े और दूसरे अधिक से अधिक लोगों को काम मिले अर्थात् अन्दर की मार्किट को हम स्माल-स्कैल-इण्डस्ट्री द्वारा फीड करें। अगर ऐसा किया गया तो मेरा निश्चित मत है कि हम बेकारी के

प्राबलैम को बहुत कुछ दूर कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जब कंज्यूमर गुड्ज़ अधिक मार्किट में आएंगी तो कीमतें भी स्थिर होंगी ।

परन्तु इस के लिये यह आवश्यक है कि आप अपनी नीति को किसी विशेष डागमा के ऊपर, किसी सेटइज्म के ऊपर आप न बांधें । वास्तव में आज भारत को किसी इज्म की जरूरत नहीं है, न उस को कैपिटलिज्म की जरूरत है, न सोशलिज्म की जरूरत है और न कम्यूनिज्म की जरूरत है । हमें सिर्फ एक ही इज्म की जरूरत है और वह है यथार्थवाद और भारतीयवाद । हम भारत को देख कर चलें, हम अपने देश की समस्याओं और देश की हालत को देख कर चलें, और यदि हम इन हालात को और देश की समस्याओं को देख कर चलेंगे और उन के मुताबिक अपनी नीति बनायेंगे तो फिर भले उसे कोई कैपिटलिस्ट नीति कहे, सोशलिस्ट नीति कहे या कम्यूनिस्ट नीति कहे, वह हमारे लिये लाभदायक होगी । यदि हम अपने हालात के मुताबिक अपनी नीतियां यथार्थवादी बनायेंगे तो हम देश को आगे ले जा सकेंगे । न हम नारों के अन्दर बह जायें न स्लोगन्स के अन्दर आ जायें । हम केवल अपनी नीतियों को यथार्थवादी बनायें ।

हमारे लिये आज यदि कोई स्लोगन हो सकते हैं तो वे तीन स्लोगन हो सकते हैं । मुल्क की एकता के लिये, सुरक्षा के लिये आज राष्ट्रवाद की जरूरत है, नैशनलिज्म की जरूरत है ताकि देश में जो तोड़ फोड़ की शक्तियां बढ़ रही हैं, डिस्रप्टिव फोर्सेज बढ़ रही हैं उन को चेक किया जा सके । दूसरे देश की आर्थिक उन्नति के लिये भी यथार्थवाद की जरूरत है, रिअलिज्म की जरूरत है । तीसरे देश को आगे लेजाने के लिये व्यक्ति की स्वतंत्रता को मेनटेन करने के लिये, उस को बचाने के लिए लोकतंत्र की जरूरत है, डिमाक्रेसी की जरूरत है । नैशनलिज्म, रिअलिज्म और डेमाक्रेसी, वास्तव में यही तीन चीज़ें हैं जिन के आधार पर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हम इन को छोड़ रहे हैं । नैशनलिज्म के नाम पर हम देश के अन्दर फिरका परस्ती का प्रचार कर रहे हैं और इस प्रकार तोड़ फ़ोड़ की शक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन को एन्करेजमेंट दे रहे हैं । सोशलिज्म के नाम पर हम देश के अन्दर ऐसी आर्थिक नीतियों को ला रहे हैं जिन से कि देश की समस्यायें हल होने के बजाय और जटिल बन रही हैं । हम उनको और उलझा रहे हैं । और जिस ढंग से पिछले आम चुनाव हुए हैं, उन में जो प्रवृत्तियां देखी गई हैं, उन से ऐसा लगता है कि हम देश में लोकतन्त्र को नष्ट करने जा रहे हैं । आज हमारे देश की राष्ट्रीयता खतरे में है, आर्थिक ढांचा खतरे में है और देश का लोकतन्त्र खतरे में है , इसलिये हमें इन तीनों को बचाना होगा । यह मूल प्राब्लेम है हमारे सामने । हमारी आर्थिक योजनाओं को, हमारी प्लैनिंग को और हमारे बजट को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

एक और समस्या जो आज हमें घुन की तरह खा रही है वह है करप्शन की । कल हमारे प्रधान मंत्री ने बोलते हुए कहा था कि वे कंविन्स्ड हैं कि करप्शन अपर लेवेल पर नहीं है । वे कहते हैं कि करप्शन नीचे हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है । करप्शन पानी की तरह ऊपर से नीचे आती है । अगर आज चपरासी दो रुपये ले लेता है, कास्टेबल ४ रुपये ले लेता है, क्लर्क पांच रुपये ले लेता है, तो इस से ऐडमिनिस्ट्रेशन करप्ट नहीं होता । ऐडमिनिस्ट्रेशन करप्ट होता है जब वजीर रुपये लेते हैं । आज मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि चन्द आनरेबल एक्सेप्शन्स को छोड़ कर जितने मिनिस्टर लोग हैं वे करप्ट

हैं। जिस मुल्क के अन्दर मिनिस्टर करप्ट हो जायेंगे, मंत्री करप्ट हो जायेंगे, नेपाटिस्ट हो जायेंगे, वहां करप्शन बढ़ेगा। और सारे जीवन में ब्याप्त हो जायेगा। मारले ने कहा है :

"What who cuts deep into politics cuts deep alrouud.

हमारे यहां भी प्राचीन काल से नियम चला आ रहा है कि "यथा राजा तथा प्रजा"। जो नेता लोग करते हैं, लोग उन को फोलो करते हैं, उन का अनुसरण करते हैं। आज वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इसी कारण सारे समाज में करप्शन बढ़ रहा है।

अभी पंडित ठाकुर दास भार्गव ने शराबबन्दी के बारे में कुछ कहा। आप प्राहिबिशन की बातें करते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं, लेकिन यह फैक्ट है कि देश में शराब का उपयोग बढ़ रहा है। यदि आंकड़े लिये जायं कि इन चुनावों के अन्दर शराब का उपयोग कितना बढ़ा और इसका पता लगाया जाय कि यह क्यों बढ़ा तो आप चकित रह जायेंगे। पिछले दिनों एक मीटिंग बुलाई दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने और कहा कि हम शराबबन्दी के लिए जुलूस निकाल रहे हैं। मैं ने उन से पूआ कि आप जुलूस कहां निकालेंगे ? उन्होंने कहा कि दरियागंज में निकालेंगे। मैं ने कहा कि दरियागंज में जुलूस मत निकालिये। अगर निकालना ही है तो जहां मिनिस्टर रहते हैं, सेक्रेटरीज रहते हैं उनकी कोठियों के पास निकालें। पहले वे शराब पीना बन्द करें तभी दूसरे बन्द करेंगे। पहले टाप के लोगों में शराब बन्द कीजिये तब कामन मैन अपने आप नहीं पियेंगे। बिना ऊपर वालों को सुधारे हुये हम दूसरों को सुधार लेंगे यह संभव नहीं है।

अत: आज देश के अन्दर सवाल है मंहगाई का, देश के अन्दर सवाल है बेकारी का और देश के अन्दर सवाल है करप्शन का। भ्रष्टाचार का सवाल है। इन तीनों चीजों के लिये हमारी गलत नीतियां और गलत आदर्श मूल रूप से जिम्मेदार हैं। जब तक हम अपनी नीतियों को ठीक नहीं करते, तब तक जनता के सामने जो हमारे ते नेता, हमारे शासक, ठीक आदर्श पेश नहीं करते तब तक हमारी समस्यायें सुलझेंगी नहीं। आप सौ नारे लगाते रहें, सौ दावे करते रहें, सौ तरह की बातें करते रहें, हमारी समस्यायें और उलझेंगी और उलझ रही हैं।

इस बजट के अन्दर विशेष उल्लेख किया गया है कि डिफेंस पर इस बार ३८ करोड़ रुपया अधिक रक्खा गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। किसी देश के लिये उसकी सुरक्षा सब से बुनियादी सवाल है। जो देश अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता उसकी सब प्लैन्स खत्म हो जाती हैं। परन्तु सवाल यह है कि ३८ करोड़ रुपया खर्च करने से क्या मुल्क की सुरक्षा हो जायेगी ? अभी अभी मेरे मित्र माननीय श्री बनर्जी ने कहा कि श्री कृष्ण मेनन की कामयाबी हमारे देश की सुरक्षा नीतियों की सफलता है। जनता ने सुरक्षा नीतियों के पक्ष में वर्डिक्ट दे दिया। लेकिन यह गलत बात है। श्री मेनन की कामयाबी कैसे हुई और कैसे नहीं हुई,यह अलग सवाल है। इसके लिये एन्क्वायरी बिठलाई जाय। मेनन उसी तरह कामयाब हुये जिस तरह से दिल्ली में मेहरचन्द खन्ना कामयाब हुये। नार्थ बाम्बे की जीत जनता का कांग्रेस या समाजवाद के पक्ष में वर्डिक्ट नहीं था। वह रुपये का और शराब का वर्डिक्ट था। रुपये और शराब से कोई भी जीत सकता है। लेकिन सवाल यह नहीं है। (*Interruptions*) जब आप का समय आये आप कहियेगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह कहना कि हम ने गोवा ले लिया इसलिये हमारी सुरक्षा नीति सफल हो गई, गलत बात है। हमारी सुरक्षा नीतियों का टेस्ट यह है कि क्या हम अपने देश की सीमाओं को पाकिस्तान के हमले से और चीन के हमले से बचा सके हैं। यह ऐसिड टेस्ट है। इस पर हम परखेंगे तो पता लगेगा कि हमारी सुरक्षा नीतियां सर्वथा फेल हुई हैं। यह कहा जाता

[श्री बलराज मधोक]

है कि जब हमारे मुल्क के अन्दर आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक समृद्धि होगी तो सब ठीक हो जायेगा, लेकिन हम भूलते हैं। इतिहास बतलाता है कि जब हम पर प्राचीन काल में हमले हुये तो हमारा देश बहुत समृद्ध था, हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन हमारी समृद्धि हमें बाहरी हमलों से नहीं बचा पाई, क्योंकि हमने अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। आज भी हम अपने देश के अन्दर कारखाने खोलने जा रहे हैं, देश को समृद्ध करने जा रहे हैं, जरूर करें। परन्तु यदि हम अपनी सीमाओं की ओर लक्ष्य नहीं करेंगे, उनकी रक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं करेंगे तो निश्चय ही हमारे अन्दर की समृद्धि हमारे लिये वरदान के बजाय अभिशाप बन जायेगी। वह कारण बन जायेगी बाहरी हमलों का। इसलिये सीमा के संबंध में मेरा कहना है कि उसका बहुत महत्व है और देश के लिये सब से प्राथमिक प्रश्न है। उसके बारे में हमारी नीति अभी तक फेल हुई है। इसलिये इस पर हम दुबारा चिन्तन करें और सोचें।

काश्मीर का मामला हमारे सामने है और लगता है कि वह और उलझेगा। बढ़ेगा। क्यों उलझेगा ? इसलिये कि हमारी नीतियां फेल हुई हैं। हमारे वित्त मंत्री वहां के लिये रुपये देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, काश्मीर हमारे देश का अंग है, हम उसका विकास करें। लेकिन क्या कभी यह सोचा गया है कि जो रुपया हम दे रहे हैं उसका क्या उपयोग हो रहा है? अपने अनुभव के आधार पर मेरा यह कहना है कि भले ही हम इतना रुपया खर्च कर रहे हैं वहां पर, लेकिन उसके फलस्वरूप भारत के प्रति सद्भावना नहीं बढ़ रही है, दुर्भावना बढ़ रही है। इस से बढ़ कर हमारी नीति की असफलता और क्या हो सकती है। वहां नई नई सड़कें बनाई जा रही हैं, उसके लिये नई योजनायें बन रही हैं। रजौडी से पुरानी मुगल सड़क के साथ साथ श्रीनगर तक नई सड़क बनाई जा रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वह सड़क साल में छः महीने बन्द रहेगी ? मैं वहां पर पैदल हो कर आया हूं और मुझे मालूम है कि वह सड़क छः महीने बन्द रहेगी। वह सीज फायर लाइन के बहुत पास है। यह चीज बिल्कुल गलत है। वहां पर बख्शी साहब का इन्टरेस्ट हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया के लोगों को इस विषय में पूर्ण विचार करना चाहिये। अगर हम को काश्मीर वैली पर नई सड़क बनानी ही है तो रजौडी से बनाना गलत है। अगर नई सड़क बनानी है तो भदरवाड से किस्तवाद तक और फिर सिंथन के पास से होकर श्रीनगर तक ले जाइये। वह बार्डर से दूर होगी और सस्ती बनेगी। इससे काश्मीर के लिये एक आल्टरनेटिव रूट भी मिल जायेगी। जब तक घर बैठ कर डिफेंस के बारे में सोचा जायेगा तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। मेरा दावा है कि बार्डर की सुरक्षा के लिये जो कुछ अब तक किया गया है वह घर बैठ कर किया गया है। मैंने सारे बार्डर को पैदल चल कर देखा है। मुझे उसमें इंटरस्ट है। मैं मेनन साहब को बतला सकता हूं कि हमारा बार्डर क्या है। अभी उस दिन चर्चा हुई डिफेंस कमेटी के अन्दर। उन्हें यह भी पता नहीं कि सरना कहां है, पठानकोट कहां है, रजौड़ी कहां है और वे हमारे डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं। यह कहना कि हमारे देश की सुरक्षा उनके हाथों में महफूज रहेगी सर्वथा गलत बात है। आज आवश्यक है कि हम सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान दें। आज यह सोचना कि हमने कुछ और टैंकस ले लिये हैं कुछ और हवाई जहाज ले लिये, हमने पाकिस्तान के साथ अपना वैलेंस मेनटेन कर लिया है, ठीक नहीं है। आज देश के अन्दर जो स्थिति है उसमें हमारा मिलिटरी वैलेंस पाकिस्तान के साथ नहीं, चीन के साथ होना चाहिये। हमारा बड़ा दुश्मन इस समय चीन है। पाकिस्तान कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम उसे कभी भी खत्म कर सकते हैं। असली मुकाबला हमारा चीन के साथ है। यदि हम चीन के साथ अपना मिलिटरी वैलेंस कायम नहीं करते तो हमारा डिफेंस कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। यह कहना कि चीन की आबादी हम से अधिक है, उसकी आमदनी अधिक है, यह गलत बात है। वहां की आबादी अधिक हो सकती है

लेकिन आमदनी अधिक नहीं है, रिसोर्सेज अधिक नहीं हैं। हमारा देश कुदरती तौर पर चीन की अपेक्षा ज्यादा रिच है, चीन की अपेक्षा हम ज्यादा अमीर हैं। यदि हम अपने साधनों के द्वारा अपने मुल्क के अन्दर इतनी सेना तैयार नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा मजबूत नहीं करते, तो फिर यह कहना कि हम चीन से लड़ना नहीं चाहते गलत है। इसका क्या हो रहा है? हम अपनी सुरक्षा मजबूत नहीं कर रहे हैं और चीन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल, मलाया, बर्मा, इन्डोनेशिया आदि हैं, जो पहले भारत को अपना गुरू मानते थे और जो हमारे नैचुरल ऐलाइज है जो विशाल भारत के अंग हैं और जिनसे आज भी हमारे सांस्कृतिक संबंध चले आ रहे हैं, वे देश भी आज हमारी ओर देखने के बजाय हमसे दूर जा रहे हैं। आज नेपाल चीन की ओर जा रहा है। मुझे इसका दुःख है कि नेपाल हमसे दूर जा रहा है, चीन की ओर जा रहा है। इसके कुछ और भी कारण हों लेकिन एक बड़ा कारण यह है कि नेपाल सोचता है कि उसका बड़ा भाई भारत चीन से अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो वह उसकी रक्षा कैसे करेगा। आज उनका विश्वास हम पर से उठ गया है। इसलिये वह अहिस्ता आहिस्ता चीन की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। यदि इस तरह से हमारे पड़ोसी देश चीन की तरफ चले गये, चीन की गोद में चले गये तो सारे एशिया में न लोकतन्त्र बच पायेगा न आजादी बच पायेगी और यहां पर तानाशाही कायम हो जायेगी। लेकिन अगर जनता को यह विश्वास हो कि जो टैक्स उससे लिया जाता है उसका उपयोग देश की सुरक्षा के लिये किया जायेगा तो वह अपने पेटों पर पट्टी बांधने के लिये और नये टैक्स देने को तैयार हो सकती है। लेकिन जब लोगों को लगता है कि उनके टैक्सों का सदुपयोग नहीं होता, तो उनको नये टैक्स देना पसन्द नहीं आ सकता।

आप दिल्ली को ही ले लें। यहां की हालत देखकर आप मुल्क की तरक्की का अन्दाजा लगा जसकते हैं। किसी मुल्क की तरक्की वहां की राजधीनी के बड़े बड़े होटलों और बड़े बड़े महलों को देख कर नहीं आंकी जा सकती। उस मुल्क की तरक्की का सही अनुमान लगाने के लिये वहां के कामन मैन की हालत को देखना चाहिये। आज यहां हालत यह है कि अभी भी कई स्कूल टैंटों में लगते हैं। यहां पुराने अनगिनत स्लम हैं और नए स्लम और बढ़ रहे हैं। आपने यहां पर विज्ञान भवन बनाया और अशोक होटल बनाया लेकिन अगर आप दो करोड़ रुपया खर्च करके झुग्गियों में रहने वालों के लिए मकान बनवा देते तो एक समस्या हल हो जाती। इस काम के लिए एक योजना तीन करोड़ रुपये की बनी थी लेकिन वह धरी रही। और अभी चुनावों के समय पुनर्वास मंत्री की तरफ से कहा गया कि नई झुग्गियां बना लो। फलस्वरूप पिछले दो महीनों में कोई दस हजार नई झुग्गियां बन गई हैं। इस तरह पुराने स्लम तो साफ नहीं हो पाते और नए बनते जाते हैं और अगर सेंटर का एक मंत्री कहे कि तुम और झुग्गियां बना लो तो फिर उन लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता जो उनको बनाते हैं। आज उनको तंग किया जाता है और जेलों में डाला जाता है, लेकिन इसमें उनका कोई दोष नहीं है। दोष तो उन मंत्री महोदय का है जिन्होंने कहा कि झुग्गियां बना लो। अगर इसकी जांच की जाए तो इसको साबित किया जा सकता है। तो आप देखें कि यह देश की राजधानी दिल्ली की हालत है।

यह ठीक है कि आपने दो योजनाओं में हजारों करोड़ रुपया खर्च किया और उससे देश की आमदनी बढ़ी, लेकिन वह गरीबों के पास नहीं गई। हो सकता है कि वह आमदनी पूंजीपतियों के पास गई हो लेकिन कामन मैन के पास नहीं गयी।

दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की रहती है जो बंधी आमदनी वाले हैं और जिनकी आमदनी नहीं बढ़ी है। आज चीजों की कीमतें लगातार बढ़ने के कारण इस श्रेणी के लोग बुरी

[श्री बलराज मधोक]

तरह पिस रहे हैं। पे कमीशन ने कहा था कि कीमतों में दस प्वाइंट की बढ़ती होने पर डियरनैस एलाउंस रिवाइज़ किया जाएगा लेकिन आज १३ प्वाइंट वृद्धि हो जाने पर भी उनका महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया जा रहा है। आप कहते हैं कि दफ्तरों में काम नहीं होता। लेकिन जब आदमी असंतुष्ट होगा तो काम कैसे करेगा। उस हालत में उसका दिल काम में नहीं लग सकता। काम दिल के उत्साह से होता है। लेकिन आज सरकारी कर्मचारियों में उस उत्साह की कमी है। इसीलिए आप इतना जोर लगाते हैं फिर भी एफीशेंसी कम हो रही है। इसलिये इस ओर आपको ध्यान देना होगा।

सरकार को दिल्ली की मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये। दिल्ली में जो देश की राजधानी है, जहां बाहर के लोग आते रहते हैं, आपको शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध करना चाहिए, चिकित्सा का अच्छा प्रबन्ध करना चाहिए और लोगों के रहने के लिये मकानों का प्रबन्ध करना चाहिए कम से कम दिल्ली की ओर तो विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि यहां की हालत को देख कर बाहर के लोग देश की अवस्था का अनुमान लगाते हैं। मैं सारा देश तो घूमा नहीं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि राजधानी की यह हालत है तो बाकी देश की हालत तो और भी बदतर होगी।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। और उस पर मैं अधिक बल देना चाहता हूं। आप देश में जगह जगह बिजली घर बना रहे हैं। यह ठीक है। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाएं। हमारे देश के अन्दर वाटर रिसोरसेज़ इतने अधिक हैं कि यदि उनको ठीक तौर से टैप किया जाए तो हम इतनी इनरजी पैदा कर सकते हैं कि उससे हमारे देश की आर्थिक उन्नति में बड़ा सहयोग मिल सकता है। काफी समय पहले जम्मू काश्मीर राज्य में सलाल में काश्मीर में एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक मशीन लगाने की स्कीम बनी थी लेकिन उस वक्त कुछ अड़चनों के कारण वह स्कीम आगे नहीं बढ़ सकी। अब फिर उस पर काम शुरू हो रहा है। इस काम को जल्दी पूरा किया जाना चाहिये क्योंकि इस को पूरा करने से आप कई लाख किलोवाट बिजली पैदा कर सकते हैं जो कि काफी सस्ती होगी, और उससे आप न सिर्फ जम्मू काश्मीर और पंजाब को बल्कि राजस्थान तक को इलेक्ट्रिफाई कर सकेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्राजेक्ट् बनाएं क्योंकि उनसे सस्ती बिजली पैदा हो सकती है जिससे हमारे देश का औद्योगिक विकास तेजी से हो सेकता है।

†**श्री इंद्रजीत मल्होत्रा** (जम्मू और काश्मीर): श्री बलराज मधोक ने अपने भाषण में कहा है कि जम्मू और काश्मीर के चुनावों में सरकार की ओर से हस्तक्षेप किया गया है और अनियमितताएं हुई हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है और चुनाव भारतीय चुनाव आयोग के प्रत्यक्ष निरीक्षण के अधीन बहुत उचित रूप से हुए हैं। यह प्रजा परिषद् थी जिस ने गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की थी और जिस का उद्देश्य साम्प्रदायिकता फैलाना है।

इस के पश्चात् लोक सभा २३ मार्च, १९६२ / चैत्र, २ १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलवार, २० मार्च, १९६२

---

२९ फाल्गुन, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४४९—७०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०७	राजस्थान उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच	४४९
११०	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की काम की दशा	४४९–५०
१११	राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधायें	४५१–५२
११३	पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति	४५२—५५
११४	दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों की मांगें	४५५—५७
११५	उत्तर प्रदेश के बदाऊं जिले में तेल के लिये छिद्रण	४५७–५८
११६	संयुक्त उपक्रमों में विदेशी पूंजी	४५८–५९
११७	मट्टी के तेल पर उत्पादन-शुल्क	४५९–६०
११९	उंगली चिह्न विभाग	४६०–६१
१२१	अखिल भारतीय सेवायें	४६१—६३
१२३	नाविक, सैनिक व वैमानिक बोर्ड	४६३–६४
१२५	सस्ती अमरीकी पुस्तकें	४६४—६७
१२६	१९६० की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों का बहाल होना	४६७—६९
१२७	दिल्ली में शीत की लहर	४६९–७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४७०—९५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०३	कटंगा में लापता सैनिक अफसर	४७०–७१
१०४	एयर इण्डिया इन्टर नेशनल से सुपर कांस्टलेशन विमान	४७१
१०५	कांगों में संयुक्त राष्ट्र सेना का भारतीय विमान	४७१
१०६	तीसरे आम चुनाव पर व्यय	४७१
१०८	तेल प्रौद्योगिकी	४७२
१०९	अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति सम्बन्धी आयोग	४७२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

तारांकित
प्रश्न संख्या

११२	बोकारो कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण .	४७२
११८	अंकलेश्वर में उपलब्ध तेल . .	४७३
१२०	सरकारी विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदें .	४७३
१२२	रोहतांग दर्रे में रज्जुपथ . . .	४७४
१२४	"एथिक्स आफ बेनिशमेण्ट ऑफ सीता" नामक पुस्तक पर प्रतिबन्ध .	४७४
१२८	"राकेटों" का निर्माण . .	४७४
१२९	मद्रास और मदुरै को उच्च श्रेणी के नगर घोषित करना .	४७५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४९	बन्द की गई कोयले की खानें	४७५
१५०	कलकत्ता में कोयले की कमी	४७५–७६
१५१	"हाई स्पीड डीज़ल ऑयल" के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला तेल	४७६
१५२	चौथा इस्पात कारखाना . .	४७६
१५३	सरकारी कर्मचारियों सम्बन्धी विभिन्न मियमों का मुद्रण . .	४७६—७८
१५४	आसाम में चीनियों तथा अन्य विदेशियों का अवैध प्रवेश .	४७८
१५५	पैट्रोल का मूल्य	४७८–७९
१५६	भारत में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश .	४७९
१५७	जेट विमान इंजनों के निर्माता .	४७९
१५८	बर्मा के सैनिक मिशन की भारत यात्रा	४७९–८०
१५९	भारतीय रुपये के सिक्कों का पिघलाया जाना . .	४८०
१६०	कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी भत्ता	४८०–८१
१६१	निसान पैट्रोल गाड़ी .	४८१
१६२	दिल्ली में कोयले की कमी	४८१
१६३	कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें	५८२
१६४	कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें .	४८२
१६५	कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें .	४८२
१६६	कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें . .	४८३
१६७	कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें .	४८४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६८	कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें	४८५
१६९	कनिष्ठ कर्मचारी परिषदें	४८५
१७१	दिल्ली में जामा मस्जिद के समीप विस्फोट	४८५–८६
१७२	कोयला खानें	४८६
१७३	समवायों द्वारा निर्गमित पूंजी	४८६
१७४	हैलीकापटर	४८६–८७
१७५	भारतीय ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की पुस्तकें	४८७
१७६	लाहौल और स्पिती	४८७
१७७	त्रिपुरा में निर्धन विद्यार्थियों को वृत्तिकायें	४८७–८८
१७८	मैसूर भूमि सुधार विधेयक	४८८
१७९	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	४८८
१८०	टी एसोसिएशन आफ इंडिया, कलकत्ता को कर की छूट	४८८–८९
१८१	केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति	४८९
१८२	राजभाषा	४८९
१८३	भूतपूर्व सैनिकों को पैंशनें	४८९–९०
१८४	कोयला उद्योग	४९०
१८५	व्यवहार न्यायालय की डिग्री से कुर्क किये जा सकने वाले वेतन की अधिकतम सीमा	४९०–९१
१८६	सूरत के पास प्राकृतिक गैस	४९१
१८७	अंकलेश्वर का तेल	४९१–९२
१८८	खम्मात और कलोल क्षेत्रों में तेल की खोज	४९२
१८९	कोयला और कोक की गैस बनाना	४९२
१९०	पाकिस्तान को कोयले का निर्यात	४९३
१९१	दिल्ली में अन्धों की शिक्षा	४९३
१९२	उड़ीसा में लौह अयस्क	४९३–९४
१९३	तीसरे वित्त आयोग का प्रतिवेदन	४९४
१९५	आम चुनावों के आंकड़े	४९४–९५
१९६	इस्पात का उत्पादन	४९५

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४९५—९९

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन रेलवे, १९६२ ।

(दो) वर्ष १९६०-६१ के विनियोग लेखे, रेलवे, भाग १—समीक्षा ।

(तीन) वर्ष १९६०-६१ के विनियोग लेखे, रेलवे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ।

(चार) खण्ड लेखे (ऋण लेखों के बारे में पूंजी विवरणों सहित) सन्तुलन-पत्र, और हानि तथा लाभ का लेखा, रेलवे, १९६०-६१ ।

(२) जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४३ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक १० मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २८५ की एक प्रति ।

(३) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :

(एक) दिनांक २० दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५३१ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(दो) दिनांक २७ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११४ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (चौथा संशोधन) नियम, १९६१ ।

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६०-६१ के लिये राष्ट्रीय खनिज पदार्थ निगम लि०, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(५) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग की रिपोर्ट का शुद्धि-पत्र ।

(दो) प्राक्कलन समिति का बानवेंवां प्रतिवेदन के पैरा २८ में की गई सिफारिश के अनुसरण में वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय और

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

डाक तथा तार महानिदेशालय में वर्ष १९५९ और १९६० में भर्ती पर किस हद तक रोक लगायी गयी है यह दर्शाने वाला विवरण ।

(६) वर्ष १९६०-६१ के लिये भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यास-धारियों की वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(७) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २४ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २३७ ।

(ख) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २६८ ।

(ग) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २६९ ।

(८) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २४ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २३२ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ ।

(ख) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६६ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ ।

(ग) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६७ ।

(९) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४२३ ।

(ख) दिनांक २ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४२४ ।

(ग) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९८ ।

(घ) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १४९९ ।

(ङ) दिनांक ३० दिसम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५२० ।

(च) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २५ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(छ) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८६ ।

(ज) दिनांक २० जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ८७ ।

(झ) दिनांक २७ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०३ ।

(ट) दिनांक २७ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०४ ।

(ठ) दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३० ।

(ड) दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३१ ।

(ढ) दिनांक ३ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३२ ।

(ण) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १९१ ।

(त) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १९७ ।

(थ) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १९८ ।

(द) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १९९ ।

(ध) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २०० ।

(न) दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या. २०१ ।

(प) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २७२

(१०) नौ सेना अधिनियम, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत दिनांक १० मार्च, १९६२ की एस० आर० ओ० संख्या ८९ द्वारा शोधित दिनांक १० फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४६ में प्रकाशित पत्नियों तथा बच्चों का भरण-पोषण (वेतन से कटौती की दर) विनियम, १९६२ की एक प्रति ।

(११) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २७ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०२ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (पहला संशोधन) नियम, १९६२ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(दो) दिनांक ४ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४१ में प्रकाशित भारत सरकार और फिनलैण्ड के गणराज्य की सरकार के बीच आय पर दोहरे करारोपण से बचने के लिये किया गया करार।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४९९

एक सौ चौवनवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ४९९–५००

खान और तेल मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) ने तेल कम्पनियों से हुए करारों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक पारित . . . . . ५०१—०३

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१-६२ . . . ५०३—१३

वर्ष १९६१-६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) पर चर्चा आरम्भ होकर समाप्त हुईं। मांगें पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं।

विधेयक पुरस्थापित और पारित ५१३–१४

रेलवे मन्त्री (श्री जगजीवन राम) ने विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६२ को पुरस्थापित किया और यह भी प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

सामान्य आय-व्ययक सामान्य चर्चा . . . . . ५१४—३४

सामान्य आय-व्ययक १९६२-६३ पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शुक्रवार, २३ मार्च, १९६२/२ चैत्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि—

सामान्य आय-व्ययक १९६२-६३ पर अग्रेतर चर्चा, और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार।

GIPND—LS III—2036 (Ai) LS—23-4-62—130.